तृतीय माला, खण्ड १८—अंक ५४

सोमवार, २९ अप्रैल, १९६३
९ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १८ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १०६७ से १०७२, १०७४ से १०७८, १०७८-क, १०७९ और १०८० ५४२३–४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . ५४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७३, १०८१ से १०८४ और १०८६ . ५४४६–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१४ से २४२८, २४२० से २४५४, २४५६ और २४५८ से २४८० . . . ५४४९–७८

दिनांक २५-२-६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर में शुद्धि ५४७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में-- ५४७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना-- ५४७८–८०

दिल्ली में जल सम्भरण ।

सदस्य के निलम्बन के बारे में ५४८०–८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४८१–८२

विधि मंत्री द्वारा वक्तव्य ५४८२

प्राक्कलन समिति-- ५४८२–८३

(१) सिफारिशों के उत्तर सम्बन्धी विवरण ।

(२) कार्यवाही--सारांश

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४८३

लोक लेखा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन । ५४८३

बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . ५४८४–८८

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा . ५४८४–८५

श्री प्रभात कार ५४८५

श्री स० मो० बनर्जी ५४८५

श्री हेडा . ५४८५–८६

श्री शिव चरण गुप्त ५४८६–८७

खंड १ तथा २ . ५४८८

पारित करने का प्रस्ताव . . ५४८८

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ५४८७–८८

*किसी नाम पर अंकित यह × चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

सोमवार, २९ अप्रैल, १९६३

९ वैशाख, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोयला खान मजदूरों का कल्याण

+

*१०६७. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९६२-६३ में कोयला-खान मजदूरों के कल्याण के लिये कितनी धनराशि व्यय की है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) २,५६,९३,१०० रु० ।

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, क्या मैं जान सकती हूं कि यह जो रुपया खर्च होता है वह विभिन्न कमेटियों के द्वारा खर्च होता है या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खर्च होता है ?

श्री र० कि० मालवीय: इस फंड के खर्च के लिए सब कमेटीज़ बनी हुई हैं । जिन जिन प्रान्तों में कोयला उत्पादन होता है, जैसे बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, वहां हर जगह सब कमेटियां बनी हुई हैं और इन सब कमेटियों में कोयला खानों के मालिकों के प्रतिनिधि रहते हैं, मजदूरों के प्रतिनिधि रहते हैं और गवर्नमेंट के भी आफिसर्स रहते हैं और जो उन की सिफारिशें होती हैं उन पर विचार हो कर यह रकम खर्च की जाती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि यह जो रकम रखी है इन में से कितना रुपया लोगों के पीने के पानी की सुविधा पर खर्च किया गया है, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि मजदूरों को शुद्ध पानी मुहय्या नहीं होता जहां कोयले की खानें हैं ?

श्री र० कि० मालवीय: जहां तक कि पीने के पानी का सवाल है, एक बहुत बड़ी स्कीम झरिया कोलफील्ड में चालू की जा रही है जिसम करीब ७५ लाख रुपया खर्च होगा । इस फंड में से कुछ रुपया लोन के रूप में और कुछ अनुदान के रूप में इस काम के लिये दिया जा रहा है । इस के अलावा

कुवें भी खोदे जाते हैं जिन पर सन् १९६२-६३ में करीब ५१,४७९ रुपया खर्च हुआ और दूसरी जगहों पर भी वाटर स्कीम्स लागू की जा रही हैं । जिन जिन एम्पलायर्स ने अपनी कालोनीज में पानी की योजनाएं बनायी हैं, उन के लिए भी हम लोग रुपया देते हैं ।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने एक अंक बताया कि इतना रुपया खर्चा हुआ है । सन् १९६२-६३ में । क्या मैं जान सकता हूं कि कितना कितना रुपया किन किन राज्यों में खर्च हुआ, और क्या खर्च करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मजदूरों की जितनी संख्या है और उनकी जैसी हालत है उस के अनुपात से रुपया खर्च किया जाय ?

श्री र० कि० मालवीय : जी हां । जो सेस वसूल होता है उसके लिए कायदा यह है कि जिस प्रान्त में जितना सेस जमा किया जाता है वह सारा उसी प्रान्त में और उसी प्रान्त की एडवाइजरी कमेटी की सलाह से खर्च किया जाता है । वैसे जितना भी लेबर कोल फील्ड्स में है वह सब कवर्ड है । कोयला खानों में करीब ४ लाख लोग काम करते हैं और उन के परिवारों को मिला कर करीब १६ लाख आदमी होते हैं । यह रुपया इन सब लोगों की भलाई के कामों केलिए खर्च किया जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस समस्त राशि का एक बहुत बड़ा भाग खान मजदूरों के लिए मकान बनाने पर खर्च किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री र० कि० मालवीय**: जी हां । १९६३-६४ में इस उपकर से लगभग २७०० लाख रुपये की प्राक्कलित आय होने वाली है । इस राशि में से ५० प्रतिशत उन के मकानों पर खर्च किया जायगा । पहले की भी जमा की हुई कुछ राशि है और वह भी मकानों पर खर्च की जा रही है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : असनसोल और रानीगंज क्षेत्र में पीने का अच्छा पानी सम्भरण करने की एक योजना थी और बाद में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई । क्या में जान सकता हूं कि क्या इस योजना को पूरा किया जा रहा है और इस अच्छे जल के सम्भरण के लिये कोयला मजदूर कल्याण निधि में से कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**श्री र० कि० मालवीय** : जल संभरण की दो अलग अलग योजनायें हैं, एक असनसोल क्षेत्र के लिये और दूसरी झरिया क्षेत्र के लिये । मैं ने अभी अभी कहा है कि झरिया जल परियोजना पर जो राशि खर्च होनी है लगभग ७५ लाख रुपये होगी । इस योना के लिये ऋण तथा हमारी राज सहायता के रूप में काफी धन राशि मिल जायेगी । असनसोल क्षेत्र के लिये भी एक योजना है । परन्तु उसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । ज्यों ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, यह आरंभ हो जायेगी । उस योजना के लिये भी पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण तथा राज सहायता के रूप में काफी धन राशि दी जायेगी ।

श्री प० ल० बारुपाल : बीकानेर, जिले में, राजस्थान में, कोयला निकलता है । वहां पर जो पालना की कोलरी है उसमें मजदूरों को पानी न मिलने के कारण बड़ी दिक्कत है । क्या उनके लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

अध्यक्ष महोदय : एक एक जगह के बारे में सवाल पूछा जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री र० कि० मालवीय : पालना के बारे में, कुछ दिन हुए जब मैं जयपुर गया था तो बात हुई थी । पालना की कोलरी अभी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है । उसका क्षेत्र बहुत छोटा है और उसका सैस बहुत कम वसूल होता है । तो भी कोल कमेटी जिस ढंग से सिफारिश करेगी उसके मुताबिक काम किया जाएगा ।

श्री विभूति मिश्र : कोयला खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सेहत बहुत खराब हो जाती है । क्या सरकार ऐसा इन्तिजाम करना चाहती है, और उनको ऐसी सहूलियत देना चाहती है कि उनकी सेहत ठीक रह सके ?

श्री र० कि० मालवीय : जहां तक सेहत का सवाल है, हमारे इस फंड से सबसे ज्यादा एमाउंट, करीब ५०-५२ लाख रुपया, सिर्फ सेहत पर खर्च होता है । दो बड़े बड़े अस्पताल आसनसोल और धनबाद में है, और उसके साथ साथ रीजनल अस्पताल हैं और जितने कोलरीज के अस्पताल हमारे स्टेंडर्ड के हैं उनको भी हम सहायता देते हैं । इस प्रकार हम मजदूरों की सेहत को प्रोटेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।

आकाशवाणी पर हिन्दी का प्रयोग

*१०६८. **श्री भक्त दर्शन**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले आकाशवाणी को हिन्दी के प्रयोग के बारे में परामर्श देने के लिए श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में जो विशेष समिति नियुक्त की गई थी, उसकी अब तक कितनी और किन किन तिथियों को बैठकें हुईं ;

(ख) समिति ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर किस सीमा तक अमल किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) तीन, २२ अक्तूबर, २० दिसम्बर, १९६२ और २४ फरवरी, १९६३ को ।

(ख) एक स्टेटमेंट (विवरण) जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सभा की मेज़ पर रखा जाता है ।

(ग) सिफारिशों को इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) करने का काम बराबर चल रहा है ।
[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--१२४४/६३ ।]

श्री भक्त दर्शन : जो विवरण दिया गया है उस में सिफारिशें हैं उनमें पहली सिफारिश यह है कि हिन्दी के समाचार बुलेटिनों की भाषा यथासम्भव इतनी सरल होनी चाहिए कि उसे अधिक से अधिक श्रोता जिन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो हिन्दी अच्छी तरह नहीं जानते, आसानी से समझ सकें । मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझ सकते इन लोगों में अहिन्दी भाषी प्रान्तों जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार आदि के और दक्षिण भारत के लोग भी शामिल हैं या इनमें केवल वे लोग शामिल हैं जो उर्दू जानने के कारण हिन्दी को अच्छी तरह नहीं समझ सकते ?

श्री शाम नाथ : इसमें ज्यादात तो वे लोग शामिल हैं जो नार्थ इंडिया में, दिल्ली पंजाब, वगैरह में रहते हैं और जो उर्दू जानते हैं और हिन्दी अच्छी तरह नहीं समझ सकते । इसी तरह बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह के जो लोग ए० आई० आर० के हिन्दी ब्राडकास्ट सुनते हैं, और वे अच्छी तरह हिन्दी नहीं जानते, तो उनको भी इन में शामिल समझना चाहिए ।

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण में दूसरी सिफारिश यह है कि समाचारों का अंग्रेजी से अनुवाद करते समय प्रयत्न यह हो कि अनुवाद मूल जैसा अच्छा हो । क्या माननीय मंत्री जी ने यह विचार किया है कि यहां से हिन्दी के भाषणों के समाचार अंग्रेजी के द्वारा जाते हैं और फिर उनका हिन्दी में अनुवाद किया जाता है । क्या आकाशवाणी ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती कि यहां से हिन्दी के समाचार हिन्दी में अपने मूल रूप में जाएं और उसी रूप में प्रसारित किए जाएं ।

श्री शाम नाथ : उसकी कोशिश की जा रही है कि जो सजेशन दिया गया है उसको पूरा किया जा सके । जहां तक लोक सभा की प्रोसीडिंग्स का सवाल है, यहां भी एक साहब हिन्दी वाले आते हैं और वह हिन्दी में लिख कर ले जाते हैं और उसको बाद में ब्राडकास्ट किया जाता है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस विवरण में दी गई सिफ़ारिशों में एक यह भी है कि नये शब्दों को निश्चित करते समय संस्कृत से ज्यादा सहायता ली जानी चाहिए । मैं यह जानना चाहता हूं कि आकाशवाणी से इस समय जो हिन्दी प्रसारित की जा रही है, क्या उस में इस सिफारिश पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री शाम नाथ : इस सिफारिश पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ।

†**श्री मुत्तु गोंडर** : क्या सरकार जानती है कि हिन्दी के बहुत अधिक प्रचार के कारण लोग रेडिय सीलोन की ओर अभिमुख हो रहे हैं और यदि हां, तो क्या वह आकाशवाणी में सभी राष्ट्रीय भाषाओं को समान अवसर देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग सवाल है ।

श्री सरजू पांडेय : क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि आल-इंडिया रेडियो से जिस हिन्दी का प्रसारण किया जाता है, वह बहुत ग़लत होती है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शाम नाथ : ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

†**डा० रानेन सेन**: क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि बंगाल से ऐसी शिकायतें आई हैं कि आकाशवाणी में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी, अर्थात संस्कृतयुक्त हिन्दी, बंगाल में वे लोग नहीं समझ पाते जो कि इन प्रसारणों को सुनना चाहते हैं? यदि हां, तो इस सम्बंध में भारत सरकार तथा मंत्रालय ने क्या प्रबंध किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : जहां तक हमें पता है, जब से समिति ने काम करना आरम्भ किया है कोई शिकायतें नहीं आई हैं । जब से श्री प्रकाश समिति ने इस सिलसिले में काम शुरू किया है, हमें कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि यह भाषा देखने का काम एक ऐसे महानुभाव को सौंपा गया है, जो विदेश मंत्रालय में काम करते हैं और जिन्हें इतना समय नहीं मिलता कि इस काम को देख सकें, और इसी लिए भाषा का परिमार्जन नहीं हो सका है ?

श्री शाम नाथ : यह सही है कि डा० बच्चन, जो एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज़ मिनिस्ट्री में आफ़िसर आन स्पेशल ड्यूटी हैं, हमारे एडवाइज़र हैं । वह जितना ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकते हैं, वह हमारे काम के लिए देते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सरोजिनी महिषी** : माननीय मंत्री ने कल परसों कहा था कि सामान्य ग्रामीण कार्यक्रम में कुछ मिनटों का हिन्दी कार्यक्रम जोड़ना विचाराधीन नहीं है । क्या मैं उस के कारण जान सकती हूं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : दबाव इतना ज्यादा है, इतने अधिक समाचार-सारों की आवश्यकता है, आकाशवाणी से इतनी अधिक जानकारी की मांग होती है कि हम अन्य केन्द्रों से हिन्दी प्रसारणों के लिये और अधिक समय देने की स्थिति में नहीं हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: यहां दिये गये विवरण में मद ५ है जिस में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने चाहियें कि इस काम में लगे हुये कर्मचारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकने के योग्य हों। क्या मैं जान सकना हूं कि कर्मचारीवृन्द का पुनरस्थापन करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं, क्या उपाय किये गये हैं ताकि कुछेक आवश्यकतायें पूरी हो सकें ? मैं कुछ विशिष्ट सा उत्तर चाहता हूं, मोटा उत्तर नहीं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हम वर्तमान कर्मचारियों का निरीक्षण करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वे उपयुक्त हैं कि नहीं, और यदि वे उपयुक्त नहीं होंगे तो शायद उन की छटनी करनी पड़ेगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : चूंकि अहिन्दी-भाषियों में दो तरह के लोग हैं–एक ऐसे हैं, जो उर्दू से मिक्स्ड हिन्दी ज्यादा समझते हैं और दूसरे संस्कृत से मिक्स्ड हिन्दी ज्यादा समझते हैं, इस लिए उन दोनों का समावेश कैसे किया जा रहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : हमें बीच का रास्ता लेना है और जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम बहुत खुश हैं कि इस समिति की नियुक्ति के बाद बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं हैं । आजकल के हिन्दी प्रसारणों से प्रत्येक व्यक्ति न्यूनाधिक सन्तुष्ट प्रतीत होता है ।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** : मुझे प्रकाश नाम के बारे में कुछ सन्देह है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह मेरे माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री हैं ? दूसरे, क्या सरकार आल इंडिया रेडियो को शीघ्र ही पूर्ण रूप से आल हिन्दी रेडियो में बदलने का इरादा रखती है ?

†**श्री शाम नाथ** : समिति के सभापति भूतपूर्व राज्यपाल श्री श्रीप्रकाश हैं ।

†**श्री शिव नारायण**: इस समिति में कितने सदस्य हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : सात ।

†**डा० गोविन्द दास** : जहां तक भाषा की नीति का सम्बन्ध है, उस सदन की एक समिति बनी थी और उस ने भाषा की नीति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित सिद्धान्त तय किये थे । जो यह कमेटी बनी है, क्या उस ने उन सिद्धान्तों को सामने रख कर भाषा की नीति के बारे में अपनी सिफ़ारिशें की हैं ?

श्री शाम नाथ: जी हां । जो कमेटी एम० पीज़० की बनी थी, उस ने जो सिफ़ारिशें की थीं, वे इस कमेटी के सामने पेश की गई थीं । इस कमेटी ने उन पर ग़ौर कर के अपनी सिफ़ारिशें कीं, जिन पर अमल हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

टोकियो में आयोजित अणु वैज्ञानिक सम्मेलन

†*१०६९. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में टोकियो में आयोजित अणु वैज्ञानिकों के एक सम्मेलन में 'यूरेटम' की तरह 'एशियाटम' नामक एक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के बनाये जाने के बारे में भारत सरकार और सम्मेलन में सम्मिलित देशों की क्या राय है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) हां । ११ मार्च, १९६३ को टोकियो में एशिया तथा प्रशान्त के देशों के अणु शक्ति के शान्तिमय प्रयोगों के संवर्द्धन के लिये हाल ही के सम्मेलन में यूरेटम की तरह एशिया तथा प्रशान्त के देशों का एक संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी ।

(ख) प्रस्ताव की सरकार द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस संगठन के विशिष्ट कृत्य क्या हैं तथा भाग लेने वाले देश अनुसंधान के परिणामों को कैसे बांटेंगे ?

†**श्री दिनेश सिंह** : यह ऐसा व्यौरा है जिसका निर्णय संगठन के बन जाने के बाद ही किया जायेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी विशेष देश द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य के परिणामों को बांटने से सहमत हो गई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : विचार इस संगठन के अनुभव में भाग लेने का है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाग लेने वाले सभी देश अणु के शान्तिमय प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने की योजना के लिये काम करना मान गये हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : टोकियो में प्रतिनिधि सिद्धान्त रूप से मान गये थे परन्तु अब यह मामला प्रत्येक सरकार को निर्दिष्ट किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस सिलसिले में पहल कौन सा देश कर रहा है, क्या भारत सरकार को इस विषय पर कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो भारत सरकार का उत्तर क्या है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : भारत सरकार ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और जैसा कि मैं ने पहले कहा है सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया था कि यह एक अच्छी चीज होगी । अब यह मामला प्रत्येक देश को निर्दिष्ट किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं जानना चाहता था कि पहल किस ने की है और दूसरे यह कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? क्या भारत सरकार ने लिखित रूप से कोई सूचना भेजी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री का निर्देश किस सूचना की ओर है । इस विषय पर काफी पत्र-व्यवहार हुआ होगा । सिद्धान्त को मान लिया गया है और अब निर्णय करना अलग अलग देशों का काम है । बिना जानकारी के मैं नहीं बता सकता कि कौन सा देश विशेष रुचि ले रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस प्रस्ताव की क्रियान्विति से आणविक अनुसन्धान के संगठन में यदि राष्ट्रीय नहीं तो महाद्वीपीय रुकावटें खड़ी नहीं हो जायेंगी और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सार्वभौमिक वैज्ञानिक अनुसन्धान में खड़ी होने वाली ऐसी रुकावटों को दूर करने का है क्योंकि मेरा विश्वास है कि सरकार की नीति ऐसे वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा होने वाले मानवता के कल्याण अथवा प्रगति को संकट में डालने की नहीं है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इस से आणविक अनुसन्धान सहयोग में कोई रुकावट खड़ी नहीं होगी ।

गांधी साहित्य

†*१०७०. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी जी के साहित्य के प्रचार के सम्बन्ध में उन का मंत्रालय क्या कर रहा है; और

(ख) किन किन भाषाओं में प्रचार कार्य करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). मिनिस्ट्री आफ़ इनफ़र्मेशन और ब्राडकास्टिंग महात्मा गांधी के सभी लेखों, भाषणों और पत्रों को सिलसिलावार तरीका से "कलेक्टिड वर्क्स आफ़ महात्मा गांधी" के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित कर रही है । इन वर्क्स की माला में ५५ पुस्तकें होंगी और उन के १९६९ तक पूरा होने की आशा है । इन पुस्तकों का गुजराती एडीशन नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, द्वारा प्रकाशित किया जायेगा । दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के एडीशन राज्य सरकारों के ज़रिये निकाले जाने की उम्मीद है । गांधी साहित्य के दूसरे ग्रन्थ भी, जिन में गांधी जी की प्रार्थना-सभाओं के प्रवचन शामिल हैं, प्रकाशित हो चुके हैं । "एक्स्ट्रैक्ट्स फ्राम गांधी जीज़ स्पीचिज़ एंड राइटिंग्ज़ आन दि शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़" और "महात्मा गांधी—एक विद्यार्थी के रूप में" नाम की दो किताबें तैयार की जा रही हैं । गांधी साहित्य का प्रचार अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा दूसरी बड़ी भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है ।

इस के अलावा गांधी साहित्य का प्रचार इस मिनिस्ट्री के और विभागों के ज़रिया भी समय समय पर किया जाता है । आकाशवाणी भी १९५९ से हर शुक्रवार को सुबह अपने सभी केन्द्रों से बड़ी भारतीयभाषाओं में आध घंटा का ब्राडकास्ट कर रहा है, जिस में गांधी जी की प्रार्थना-बैठकों में दिये हुए भाषणों के एक्स्ट्रैक्ट्स और उन के प्रिय गीतों में से कुछ चुने हुए गीत शामिल होते हैं । आकाशवाणी ने तीस दो-तरफ़ा ग्रामोफ़ोन रिकार्ड्ज़ भी बिक्री के लिए तैयार किये हैं, जिन में गांधी जी के भाषणों के चुने हुए एक्स्ट्रैक्ट्स हैं, ताकि उन का सन्देश उन के अपने स्वर में आम जनता को प्राप्त हो सके—

†**अध्यक्ष महोदय** : जब उत्तर लम्बा हो तो अच्छा है कि वह विवरण के रूप में हो जिसे कि पटल पर रख दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ** : आगे के लिये हम ध्यान रखेंगे लेकिन अब यदि आप की आज्ञा हो तो मैं अंग्रेजी में भी उत्तर पढ़ दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

†**श्री त्यागी** : हिन्दी इतनी मिली-जुली थी कि हर एक ने उसे समझ लिया है ।

श्री विश्वनाथ पांडेय : किन किन विदेशी भाषाओं में महात्मा जी के साहित्य का प्रचार हो रहा है ?

†**श्री शाम नाथ** : विदेशी भाषाओं में हम कुछ नहीं कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ पांडेय : इस साहित्य के प्रचार में इस समय कितने रुपये का व्यय हो रहा है ?

†**श्री शाम नाथ** : इस समय यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या मैं जान सकता हूं कि ५५ खंडों में से कितने अब तक अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किये जा चुके हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : आठ खंड अंग्रेजी में तथा सात खंड हिन्दी में प्रकाशित हो चुके हैं । अंग्रेजी खंड ९ और १० तथा हिन्दी खंड ८ और ९ मुद्रणालय में हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि हालांकि यह पुस्तकें इन्फार्मेशन ऐंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री तैयार कर रही है, वह नवजीवन प्रेस द्वारा प्रकाशित की जायेंगी । क्या मंत्रालय ने यह तय कर लिया है कि जो पुस्तकें वहां से प्रकाशित होंगी उन के मूल्य उचित होंगे, वह इतने कम होंगे कि वह हर एक आदमी तक पहुंच सकें और उन को आसानी से पापुलराइज किया जा सके ?

श्री शाम नाथ : मैं ने सिर्फ गुजराती एडिशन के मुताल्लिक कहा था कि गुजराती एडिशन नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद छापेगा ।

अध्यक्ष महोदय : बाकी के लिये उन्होंने कहा कि जो कुछ छपवाया जायेगा वहां से उस में इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि उन का मूल्य उचित हो और आम आदमी उन को खरीद सके । मि० आल्वा ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस लम्बी-चौड़ी निरर्थक चीज में से कितना सात वर्ष से छोटे शिशुओं तथा १५ वर्ष से छोटे बच्चों के लिये रखा जाने की संभावना है ?

†**श्री शाम नाथ** : जहां तक विद्यार्थियों के लिये साहित्य का सम्बन्ध है, शिक्षा मन्त्री ने श्री श्यामलाल सर्राफ द्वारा पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर दिया था । उस उत्तर में उन्होंने बताया था कि शिक्षा मन्त्रालय द्वारा कौनसी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं और इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय में जो काम किया जा रहा है उसके बारे में भी कुछ जानकारी दी थी ।

†**श्री मनेन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार १४ राष्ट्रीय भाषाओं के अतिरिक्त सिंधी या नेपाली जैसी अल्पसंख्यक भाषाओं में गांधी साहित्य छापने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : ऐसी कोई योजना हमारे विचाराधीन नहीं है ।

श्री सरजू पांडेय : अभी माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त गांधी साहित्य का प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी होगा । मैं जानना चाहता हूं कि किन किन भाषाओं में उसका प्रकाशन होगा और उर्दू में होगा या नहीं ?

श्री शाम नाथ : जितनी भाषायें कांस्टिट्यूशन में दी गई हैं उन सब में कलेक्टिव वर्क्स आफ महात्मा गांधी छपेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उर्दू के लिये पूछ रहे हैं ।

श्री शाम नाथ : उर्दू के मुताल्लिक मेरे पास इस वक्त इन्फार्मेशन नहीं है, मैं पता लगा सकता हूं ।

श्रीमती चावदा : माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया कि नवजीवन प्रेस की तरफ से २५ किताबें गुजराती में छपेंगी, उनके आम दाम क्या हैं ?

श्री शाम नाथ : वह तो छपने वाली हैं । अभी यह नहीं मालूम कि उन किताबों की क्या कीमत होगी ।

†**श्री सोनावने** : क्या मैं जान सकता हूं कि किन मुख्य भारतीय भाषाओं में ये प्रकाशन छापे जाते हैं और नवजीवन ट्रस्ट के अतिरिक्त और किन संस्थाओं को इन्हें छापने की अनुमति दी गई है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : नवजीवन ट्रस्ट से हमें बहुत से लेख और पत्र मिले थे इसलिये उनके द्वारा दी गई सहायता को देखते हुए हमने गुजराती संस्करण उन्हें दे दिया है । परन्तु राज्यों की भाषाओं में प्रकाशन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना चाहिये ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : अब जबकि दो मन्त्रालय गांधी साहित्य की रेख-देख कर रहे हैं क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार गांधी साहित्य तथा गांधी दर्शन को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिये विषयों के रूप में आरम्भ करने की सोच रही है ?

†**श्री शाम नाथ** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि शिक्षा मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और वह प्रश्न स्वयं माननीय सदस्य ने ही पूछा था । श्रीमान्, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : जरूरी नहीं है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह काम कुछ प्रकाशकों की बजाय विभिन्न साहित्य अकादमियों को सौंपने का विचार रखती है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : क्योंकि यह बहुत महंगा कार्यक्रम है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें जिसे चाहें यह काम सौंप दें ।

जवानों के लिये ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन

†*१०७१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठंडे मौसम में और अधिक ऊंचाई पर जवानों के लिए ज्यादा कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन तैयार करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान परियोजना किस अवस्था में है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस परियोजना के लिए कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) अधिक ऊंचाई पर काम करने वाली सेनाओं की पोषाहारी तथा भोजनात्मक आवश्यकताओं की समस्या का अध्ययन करने के लिये वैज्ञानिकों का एक दल अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भेजा गया है ।

(ख) इस समय कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आम सैनिकों को दिये गये भोजन में कमी के बारे में कोई शिकायतें प्रतिरक्षा मन्त्रालय के ध्यान में लाई गई हैं ? क्या प्रतिरक्षा मन्त्री ने स्वयं उनकी जांच-पड़ताल की है और क्या मन्त्रालय दिये जाने वाले भोजन की किस्म से सन्तुस्ष्ट है या किन्हीं सुधारों पर विचार हो रहा है ?

†**श्री रघुरामैया** : वैज्ञानिकों के इस दल द्वारा किये जाने वाले अध्ययन का सारा उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या विभिन्न ऊंचाइयों पर उन्हें इस समय दिया जा रहा भोजन उपयुक्त है अथवा कोई परिवर्तन आवश्यक है । इस अध्ययन का सारा उद्देश्य ही यह है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई एसा सारकृत भोजन तैयार किया गया है अथवा शीघ्र ही तैयार करने का विचार है जिसे ले जाना इस समय उपलब्ध ऐसे भोजन से अधिक आसान हो ?

†**श्री रघुरामैया** : इसे तैयार कर लिया गया है और कुछ समय पूर्व हमारे जवानों के लिये जल रहित एवं सारकृत भोजन पदार्थों की एक प्रदर्शनी प्रतिरक्षा मन्त्रालय में लगाई गई थी ।

†**श्री रंगा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सम्बन्धित जापानी प्राधिकारियों और विशेषज्ञों से कोई पूछताछ की है कि क्या उनके पास अधिक प्रोटीन वाले भोजन के बारे में, जो कि उन्होंने स्वयं तैयार किया है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी सेनाओं को दिया था, कोई जानकारी है ?

†**श्री रघुरामैया** : निस्सन्देह वैज्ञानिकों की यह समिति सारी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखेगी ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस भोजन में पशुओं से लिये गये कुछ तत्व भी होंगे या यह पूर्णतः शाकाहारी और संशलिस्ट वस्तुओं का होगा ?

†**श्री रघुरामैया** : इसमें सब कुछ है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, क्या इस पर विचार किया जा रहा है कि उस ऊंचाई पर चीनी सैनिकों को किस तरह का भोजन दिया जा रहा है या दिया रहा था ताकि हम उससे कुछ सीख सकें ?

†**श्री रघुरामैया** : वैज्ञानिकों का दल निस्सन्देह ध्यान में रखेगा कि उस ऊंचाई पर किस तरह का भोजन उपयुक्त रहता है तथा उन लोगों की हालत क्या है जो अब इसे खाते हैं ।

आसाम में सैनिक स्कूल

†*१०७२. **श्रीमती रेणुका बड़कटको** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने आसाम में सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना मंजूर कर ली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और केन्द्रीय सरकार ने इस संस्था के लिए कितनी रकम आवंटित की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) आसाम सरकार ने उस राज्य में सैनिक स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ख) आसाम सरकार ने स्थान चुनने के लिये और स्कूल की स्थापना से सम्बन्धित अन्य बातों को देखने के लिये एक समिति नियुक्त की है। स्कल के स्थापित हो जाने पर सैनिक स्कलों की योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने खर्चे पर तीन सैनिक अधिकारी देगी तथा प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्म-चारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां जारी करेगी।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : इस स्कल पर कुल कितना व्यय होगा और उसमें राज्य का कितना भाग होगा ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम सैनिक स्कूल में प्रिंसिपल, हैड-मास्टर और रजिस्ट्रार के तौर पर काम करने के लिये लेफ्टिनेंट-कर्नल, मेजर तथा कैप्टेन के पद के तीन सैनिक अधिकारी देते हैं। अनुमानित लागत कोई ५०,००० रुपये होगी। यह लागत हम पूरी करते हैं।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : राज्य का भाग कितना होगा ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : शेष का व्यय राज्य द्वारा किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : स्कूल की कुल क्षमता क्या है ? क्या यह केवल लड़कों के लिये है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तीसरा प्रश्न मुझ से पूछे बिना किया जा रहा है।

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह केवल लड़कों के लिये है। कुल क्षमता ५५० होगी।

†**श्री बसुमतारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पर्वतीय प्रान्तों के लड़कों को कोई वरीयता दी जायेगी ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : ये सभी स्कूल अखिल भारतीय स्कूल हैं जहां दाखिला प्रतियोगिता के आधार पर होता है। यदि वे प्रतियोगिता में सफल हो जाते हैं तो उन्हें दाखिला अवश्य ही मिलेगा।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : इस बात को देखते हुए कि अभी तक वहां कोई सैनिक स्कूल नहीं था, क्या मैं जान सकता हूं कि स्कूल वहां जल्दी से खुल जाये इसके लिये सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

†**श्री दा०रा० चव्हाण** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उपाय किए जा रहे हैं। एक समिति नियुक्त कर दी गई है जिसने स्थान आदि सब तय कर लिया है।

श्री विभूति मिश्र : असम के ही छात्र इस सैनिक स्कूल में लिये जायेंगे या सारे हिन्दुस्तान के छात्रों को भी लिया जाएगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बता दिया गया है।

श्री शिव नारायण : अब तक क्या उपाय किये गये हैं और कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक यही तो उन्होंने बताया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार को ज्ञात है कि सैनिक स्कूलों में पढ़ने का खर्चा बहुत अधिक है तथा आम आदमी की पहुंच से बाहर है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि खर्च कम करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि आम आदमी अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज सकें ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : सरकार इस बात को जानती है कि ऐसे स्कूलों में पढ़ने का खर्चा निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर है । परन्तु राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा रखी गई छात्रवृत्तियां हैं जो योग्यता और साधनों के आधार पर निर्धन लड़कों के लिये हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : सैनिक स्कूलों की स्थापना के इलावा आसाम के लोगों के लिये राइफल प्रशिक्षण या अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण को सुधारने के लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका सम्बन्ध सैनिक स्कूलों से है ।

'कुओमिन्तांग' सरकार के साथ राजनयिक संबंध

†*१०७४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुओमिन्तांग चीन भारत के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करेगा ; और

(ख) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९६३ में भारत में होने वाले आगामी अन्तर्राष्ट्रीय कपास मन्त्रणा आयोग में कुओमिन्तांग सरकार को अपना शिष्टमण्डल भेजने के लिए आमन्त्रित किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां । यह समाचार बिल्कुल निराधार हैं ।

(ख) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय कपास मन्त्रणा समिति की ओर से निमन्त्रण भेजे गये हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : भारतीय उपमहाद्वीप पर चीन द्वारा अकारण ही किये गये आक्रमण की सार्वभौम निन्दा के सम्मुख कुओमिन्तांग चीन का क्या रुख है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : वह प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उठता ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : कितने अवसरों पर भारत ने ऐसे किन्हीं सम्मेलनों में भाग लिया है जिन में जि कुमोमिन्तांग चीन का प्रतिनिधि भी उपस्थित था ?

श्री दिनेश सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ उन में से एक है ।

श्री त्यागी : क्या हम कुओमिन्तांग चीन से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने जा रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, नहीं ; मैं इस से अवगत नहीं हूं ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच नहीं है कि कुओमिन्तांग चीन के साथ हमारे झूठे प्रेम के कारण, जिस से कि साम्यवादी चीन को हमारे विरुद्ध हमारे प्रदेशों पर दावे करने में भी सहायता मिली है, साम्यवादी चीन के साथ हमारे वर्तमान राजनयिक सम्बन्धों के भी, चाहे वह कितने भी नाजुक क्यों न हों, टूट जाने की संभावना है ? क्या सरकार ने समस्या के इस पहलू पर भी विचार किया है कि नहीं, क्योंकि उपमंत्री महोदय ने अभी कहा है कि हमारे उन के साथ सम्बन्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : कुओमिन्तांग चीन (फारमोसा) को निमंत्रण देते समय हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस का किसी भी प्रकार से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिये कि हम उन की सरकार को कोई मान्यता दे रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : डा० सिंघवी ।

†**श्री त्यागी** : मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिल सका । मैं ने एक प्रश्न पूछा था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने बहुत देर पहले अपना प्रश्न पूछा था । उस के पश्चात् दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दिया जा चुका है । डा० सिंघवी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : यदि किसी सरकार को उसके वस्तुतः विद्यमान होने के आधार पर ही मान्यता दी जाती है, तो सरकार राष्ट्रवादी चीन की कुओमिन्तांग सरकार को मान्यता न देने के तथ्य को किस आधार पर न्यायसंगत ठहराती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मेरा प्रतिवेदन है कि यह प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया था कि कुओमिन्तांग सरकार से हमारे कोई व्यापार सम्बन्ध नहीं थे । मैं जो बात जानना चाहता था वह यह थी कि क्या वास्तव में हमारा उन के साथ कुछ व्यापार होता है और यदि नहीं, तो क्या उस देश को निर्यात करने तथा वहां से आयात करने की कुछ सम्भावनायें हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं ने कहा था कि मैं इसे तत्काल ऐसे ही नहीं बता सकता । यह प्रश्न तो सम्मेलन के सम्बन्ध में है ।

†**श्री कृ० चं० पंत** : क्या निमंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया है अथवा आतिथेयी देश भारत द्वारा ?

†**श्री दिनेश सिंह** : आयोग की ओर से, आतिथेयी देश भारत द्वारा ।

लाओस की स्थिति

†*१०७५.
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरूआ :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लाओस की अनिश्चित स्थिति की जानकारी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां पर शान्ति पुनः स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) सशस्त्र युद्ध की समाप्ति करवाने तथा लाओस में सम्बन्धित दलों के बीच सहकारी सम्पर्क पुनः स्थापित कराने की दृष्टि से, भारत आयोग के एक सदस्य तथा सभापति के रूप में लाओस के विभिन्न दलों तथा सह-सभापतियों के प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर सम्पर्क रखता रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का जिसका कि भारत सभापति है प्लेन आफ़ जार्स का दौरा करने की अनुमति दी गई है जहां कि युद्ध चल रहा है और यदि हां, तो कितनी बार और क्या यह देखने के लिए कि वहां युद्ध न हो उस स्थान पर कोई स्थायी प्रतिनिधि रखा जा सका है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां ; आयोग ने अनेकों बार प्लेन आफ जार्स का दौरा किया है । इन दिनों वे वहां विभिन्न अवधियों के लिये दलों को रखते हुए रहे हैं । वे यह आशा करते हैं कि कि वे उन्हें वहां उस समय तक बनाये रखेंगे जिस समय तक कि यह आवश्यक हो ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री लार्ड होम रूस के विदेश मंत्री कामरेड ग्रोमयको से मिले थे और उन्होंने लाओस की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की थी । इस के पश्चात् एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जानी थी परन्तु लार्ड होम तथा श्री ग्रोमयको के बीच कुछ मत-भेद थे । क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री तथा रूस के विदेश मंत्री के बीच उन मतभेदों का लाओस की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा उस आपत्तिग्रस्त तटस्थ देश में पुनः शान्ति स्थापित करने के लिए और क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं यह नहीं जानता कि उसका क्या परिणाम निकला है परन्तु उस का जो भी परिणाम निकला है वह यह है कि संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार का ध्यान बैंकाक स्थित लाओस के राजदूत द्वारा हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर गया है कि चीनी सेनाओं की दो बटालियनें लाओस में युद्ध में लड़ रही हैं ; यदि हां तो क्या चीनियों को लाओस में युद्ध में लड़ने से रोकने के लिये सरकार ने रूस से प्रार्थना की है क्योंकि इससे समस्त दक्षिण पूर्व एशिया में शान्ति को खतरा है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हमारी सरकार को करना चाहिये परन्तु यह कार्य तो लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को करना है और, मुझे विश्वास है, कि वे इन सभी मामलों की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि प्लेन आफ़ जार्स के युद्ध को समाप्त करने के मार्गों के सम्बन्ध में एक समझौते पर पहुंचने के लिये तटस्थ प्रधान मंत्री सुवन्न फूमा तथा पाथेट लाओ के प्रतिनिधि के बीच जो बातचीत हुई है वह असफल रही है ; यदि हां, तो इस मामले में सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : समझौता वार्ता चल रही है । कुछ समय पूर्व उन्हों ने एक समझौता किया था । फिर वह समझौता कायम नहीं रखा जा सका और अब वे फिर समझौता वार्ता कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार इस मामले को डिफेंस मिनिस्ट्री के मातहत सौंपने को तैयार है जिससे कि देश निश्चिंत हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ।

†**श्री कपूर सिंह** : श्री हेम बरुआ ने अभी एक प्रश्न पूछा था और मेरा विचार है कि उस का सीधा उत्तर नहीं दिया गया । इसलिये, मैं उसे दूसरी प्रकार से पूछूंगा । क्या इस बहुविस्तृत समाचार में कोई सचाई है कि लाओस की वर्तमान स्थिति किसी साम्यवादी शक्ति के भाग लेने के कारण भड़क रही है तथा बिगड़ गई है ?

श्री दिनेश सिंह : हम अभी तक इस मामले में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते क्योंकि भारत इस आयोग का सभापति है और सह-सभापति को किसी प्रतिवेदन के दिये जाने से पूर्व हमारे लिए कुछ भी कहना वांछनीय नहीं होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या भारत के सभापतित्व में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग वास्तव में लाओस के किसी भाग की स्थिति को नियंत्रण में करने की स्थिति में है अथवा यह घटनाओं का केवल एक असहाय दर्शक मात्र ही रह गया है और यदि हां, तो स्थिति को नियंत्रण में करने के संबंध में इस आयोग की स्थिति को दृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं यह नहीं जानता कि नियंत्रण आयोग से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है—इस की कभी कोई सेना अथवा कोई कार्यकारी प्राधिकार नहीं था, परन्तु .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सैनिक रूप से नहीं ।

†**श्री दिनेश सिंह** : . . . इस आयोग की उपस्थिति का पूर्ण उद्देश्य यह था कि यह वास्तविक घटनाओं का एक प्रतिवेदन दे सकेगा जिससे कि इस विषय पर लोगों की राय जानी जा सकेगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हाल ही में लाओस के राजा, मंत्री जिनकी हत्या कर दी गई है तथा लाओस के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया था । क्या उन्होंने भारत सरकार का ध्यान स्थिति की गम्भीरता की ओर दिलाया था और क्या उन्होंने कुछ ऐसे उपायों का सुझाव दिया था जिस से कि इस चरमावस्था को आने से रोका जा सकता था ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हमने लाओस की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा की थी । परन्तु मैं सदन को यह याद दिला दूं, कि उनके वापस जाने के पश्चात् युद्ध प्रारम्भ हुआ था ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या भारत सरकार का ध्यान आयोग के पोलैंड देश के सदस्य द्वारा दिये गये इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि प्लेन आफ़ जार्स में अमरीकी सेनायें हेलीकोप्टरों द्वारा उतारी जा रही हैं जिस के परिणामस्वरूप लाओस के अन्दर युद्ध चल रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उस झगड़े की कुछ छाप यहां पर भी पड़ रही है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : पोलैंड के सदस्य द्वारा दिये गये समाचार की मुझे जानकारी नहीं है । उन्होंने कुछ शिकायतें की होंगी अथवा अपने तौर पर कुछ बातें कही होंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग का पुनर्गठन

+

†*१०७६. { **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग को अधिक कार्यसाधक बनाने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) योजना आयोग में काम के अनुसार, स्टाफ की स्थिति और प्रबन्ध के सम्बन्ध में समय समय पर पुनर्विचार किया जाता है । चालू महीने में ऐसा एक पुनर्विचार हाथ में लिया गया है और यह काम अभी चल रहा है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्लानिंग कमीशन को मोर एफीशेंट बनाने की दृष्टि से अभी उस में जो क्लास १, क्लास २, क्लास ३ और क्लास ४ आफिसर्स हैं, उन में रिआरगेनाइजेशन के फल स्वरूप कितने आफिसर्स को कम करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, और परिवर्तन के बाद उनकी संख्या क्या होगी ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा): समें क्लस १ और क्लास २ आदि का सवा नहीं है । प्लानिंग कमीशन किस प्रकार ज्यादा अच्छी तरह काम कर सके इस पर वक्तन फवक्तन विचार होता है, और इस वक्त इस सवाल को इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि इसके काम में कितनी इकानमी की जा सकती है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि प्लानिंग कमीशन में इस समय कितने गजटेड आफिसर हैं और क्लास ३ और क्लास ४ आफिसर्स की संख्या क्या है और रिआरगेनाइजेशन के बाद क्या पोजीशन होगी ?

†**श्री त्यागी** : कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन** : मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं सुन सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि मैं ने सवाल नहीं समझा ।

†**श्री नन्दा** : मैं जानकारी देता हूं—२६५ राजपत्रित कर्मचारी तथा ५९३ अराजपत्रित कर्मचारी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं ने यह भी पूछा था कि रिआरगेनाइजेशन के बाद क्या अवस्था होगी ?

†**श्री त्यागी** : चपरासी कितने हैं ?

†**श्री नन्दा** : कुल मिलाकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या २५३ है . . **(अन्तर्बाधायें)** क्या मैं उत्तर पूरा कर सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक इसी बात की अनेकों बार माननीय मंत्रियों से मैं ने प्रार्थना की है कि जिस समय वह किन्हीं प्रश्नों का अथवा किन्हीं अनुपूरक प्रश्नों का विशेष रूप से किसी माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों तो उन्हें मेरी ओर यह भी देखना चाहिये कि मैं ने उसके लिये अनुमति दी है अथवा नहीं। मेरे अनुमति न देने के पश्चात् भी सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उत्तर दिये जाते हैं ।

†**श्री नाथपाई** : क्या यह सच है कि योजना आयोग की कार्यक्षमता को बढ़ाने की तथा इन आशंकाओं को दूर करने की दृष्टि से कि यह वार्धक्य-प्राप्त राजनीतिज्ञों की भरती करने का एक स्थल है, सरकार राजनीतिज्ञ-सदस्यों की संख्या को कम करने के लिये तथा उनके स्थान पर अर्थशास्त्रियों तथा इंजीनियरों जैसे विशेषज्ञों को रखने के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ?

†**श्री नन्दा** : योजना आयोग के गठन में इस बात के सम्बन्ध में हर एक ध्यान रखा गया है कि यह ऐसा है जिससे कि कार्य की आवश्यकताय तथा योजना आयोग के कर्तव्यों की पूर्ति की जा सके । जो भी आक्षेप किया गया है वह पूर्णतः अवांछनीय है ।

†**श्री नाथ पाई** : इस में कोई आक्षेप नहीं है ।

†**डा० क० ल० राव** : गत पांच वर्षों में कर्मचारियों के ऊपर किये जाने वाले व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री नन्दा** : मैं जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या योजना आयोग के स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त इस के कुछ अंश-कालिक सदस्य भी हैं और यदि हां, तो योजना आयोग में कितने स्थायी सदस्य हैं तथा कितने अंशकालिक सदस्य ?

†**श्री नन्दा** : अंश-कालिक सदस्यों का तो प्रश्न ही नहीं है । इसमें कुछ मंत्री हैं जो कि सदस्य हैं तथा जिनके अन्य कर्तव्य भी हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : कुछ भूतपूर्व मंत्रीगण भी ?

†**श्री नन्दा** : जी नहीं ।

†**श्री मुरारका** : क्या पुनर्गठन के एक भाग के रूप में योजना आयोग को यह सुझाव दिया गया है कि उसे योजनायें बनाने के कार्य से ही सम्बन्धित रहना चाहिये तथा योजनाओं की परियोजनाओं की कार्यान्विति का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये ।

†**श्री नन्दा** : योजना की परियोजनाओं की कार्यान्विति के कार्य भार इसके ऊपर नहीं हैं ।

एमरजेंसी कमीशन

†*१०७७. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को एमरजेंसी कमीशन के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है;

(ख) क्या यह इस सम्बन्ध में दिये गये निदेशों के विपरीत है; और

(ग) यदि हां, तो उस आदेश को वापस कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) एमरजेंसी कमीशन दिये जाने के लिये कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से पहले उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ता है ।

(ख) यह एक ऐसा मामला है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है ।

(ग) स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना की गई है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि इस गलत नीति के कारण सैकड़ों नौजवानों के कैरियर खराब हो चुके हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यह तो सही नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मेरी सूचना को सही मान कर सरकार इस पर कदम उठायेगी ? जब कि हजारों नौजवान पुलिस में सरविस करने को तैयार हैं, क्या कारण है कि उनको इमरजेंसी कमीशन के अन्दर मौका नहीं दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं इस बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (क) का उचित रूप से उत्तर नहीं दिया गया है । प्रश्न तो यह था कि क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को एमरजेंसी कमीशन के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है । उत्तर यह है कि प्रशिक्षण में सम्मिलित होने से पूर्व उन्हें ऐसा करना पड़ता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रार्थनापत्र भेजने से पूर्व नहीं ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : मैं स्थिति को स्पष्ट करूंगा । उत्तर प्रदेश की पुलिस के तीन सब-इंसपैक्टर थे जिन्होंने कि एमरजेंसी कमीशन दिये जाने के लिये आवेदन पत्र भेजे थे । सर्विस सलेक्शन बोर्ड द्वारा उनका इन्टरव्यू लिया गया था और उन्हें चुन लिया गया था । उन्हें अनुमति नहीं दी गयी थी । इसके परिणामस्वरूप एक अधिकारी ने अपना त्यागपत्र दे दिया और प्रशिक्षण में सम्मिलित हो गया ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार यह देखने के लिये कदम उठायेगी, कि यह असमर्थता दूर कर दी जाती है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या यह विशेष असमर्थता अन्य किसी राज्य के पुलिस अधिकारियों पर भी लागू होती है ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : हमने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करे जिसके अनुसार वह राज्य के पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर एक सामान्य प्रतिबन्ध लगाती रही है । अभी तक हमें उन से कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । जहां तक प्रश्न के द्वितीय भाग का सम्बन्ध है, इस समय वह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को अनुत्साहपूर्ण बनाने का मामला कब संघ सरकार के सामने पहली बार आया और तब से भूल सुधार करने के लिये इस सम्बन्ध में कितनी बार प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण** : यह हाल ही में हमारे ध्यान में लाया गया था ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस प्रश्न के पूछे जाने से पहले अथवा इस प्रश्न के साथ ही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दा०रा० चव्हाण** : इस प्रश्न के पूछे जाने से पहले ही यह मामला हमारे ध्यान में लाया गया था ।

नेफा के लिये शिक्षा कार्यक्रम

†*१०७८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही नेफा के लिए शिक्षा कार्यक्रम स्वीकार किया है जिससे वहां पर चीन द्वारा फैलाये जाने वाले सिद्धान्तों के खतरे का सामना किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री डा० एरिंग)**: (क) नेफा में शिक्षण कार्यक्रम को हाल ही में घनीकृत कर दिया गया है । भारत की परम्पराओं के लिये जागरूकता तथा गौरव की भावनाओंको प्रोत्साहित करने के लिये सर्वदा से ही प्रयत्न किया जाता रहा है । चीनी आक्रमण के दौरान नेफा के छात्रों के व्यवहार से इस नीति का समर्थन हुआ है जिसेकि अब दृढ़ बनाया जा रहा है ।

(ख) हाल ही में २६ स्कूल खोले गये हैं जिन में ३० अध्यापक हैं तथा ११२४ विद्यार्थी भर्ती हुए हैं। नेफा में अब कुल ६ हाई स्कूल, २० मिडिल स्कूल, १५९ प्राइमरी स्कूल तथा ४ नर्सरी स्कूल हैं जब कि स्वतंत्रता मिलने के समय वहां पर केवल दो ही प्राइमरी स्कूल थे ।

१९६३–६४ के निर्धारित लक्ष्य में २ और हाई स्कूल, ६ मिडिल स्कूल तथा २७ जूनियर बेसिक प्राइमरी अथवा नर्सरी स्कूल सम्मिलित हैं ।

नेफा के जन जातियों के शिक्षकों को गहन प्रशिक्षण भी दिया गया है जिनकी संख्या कुल शिक्षण केन्द्र की संख्या ६४१ में से अब १३३ है ।

नेफा के स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रीय गान का गायन किया जाता है तथा प्रातःकाल भी प्रार्थना के गायन में छात्रों से भारत के समस्त लोगों के साथ भ्रातृत्व के सम्बन्ध में बातें भी सम्मिलित होती हैं। आदिम जातियों की बोल-चाल की भाषाओं में महात्मा गांधी के सम्बन्ध में एक पाठ्यक्रम भी अनूदित कर दी गई है । पाठों में भारत, इसके संविधान तथा इस के बड़े बड़े ऐतिहासिक नेताओं के सम्बन्ध में बातें सम्मिलित होती हैं । राष्ट्रीय दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाये जाते हैं तथा राष्ट्रीय छात्रसेना दल का हाई स्कूलों तक विस्तार कर दिया गया है । छात्रों ने स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में अंशदान दिये हैं तथा कालेजों के अनेकों छात्रों ने एमरजेंसी कमीशन के लिये प्रार्थनापत्र भेजे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उत्तर इस प्रकार के लम्बे लम्बे वक्तव्य सभा-पटल पर एक विवरण के रूप में रख दिये जाया करें ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : चीन की सैद्धान्तिक चुनौती का सामना करने तथा नेफा में रहने वाले विभिन्न आदिम जातियों के लोगों के निकटवर्ती स्थानों के लोगों के साथ सम्बन्धों को दृढ़ करने के लिये, क्या नेफा में शिक्षा को आसाम की शिक्षा के साथ समन्वित करके शिक्षा सम्बन्धी नीति को पुनः उन्नतिशील बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**श्री डा० एरिंग** : जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है, नेफा में हमारी नीति ठोस शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण पर विश्वास करने, वैयक्तिक संपर्क द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने तथा छात्रों में भारत की नागरिकता को प्रति गौरव की भावनाओं को भरने की है । यह किसी भी

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनीतिक सिद्धान्त शिक्षा अथवा सैद्धान्तिक शिक्षण से अच्छी समझी जाती है। जैसा कि मैंने बताया है २६ स्कूल हाल ही में खोल दिये गये हैं जिन में ३० अध्यापक हैं तथा ११२४ विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त किया है। यह स्कूल उन स्कूलों के अतिरिक्त है जो कि वहां पर पहले ही से हैं।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां कि आसामी भाषा को निरुत्साहित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जाये ।

†**श्री डा० एरिंग** यह बात ठीक नहीं है, अपितु नेफ़ा के लोग अधिकांशतः हिन्दी तथा अंग्रेज़ी चाहते हैं। क्योंकि आसाम एक पड़ौसी राज्य है इसलिय आसामी भाषा का इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त न करते हुए भी उन लोगों को अवश्यमेव ही इसे सीखना पड़ता है और वे इसे सीखते भी रहे हैं। प्रारम्भ में मातृभाषा ही माध्यम होती है। अन्य कक्षाओं में हिन्दी भी एक विषय होती है फिर उसके पश्चात् आसामी भाषा होती है। मध्य पूर्व में, कुछ स्कूलों में आसामी भाषा अब शिक्षा का माध्यम है।

†**श्री बसुमतारी** : किस किस क्षेत्र में छात्र आसामी भाषा को शिक्षा का माध्यम होने की मांग कर रहे हैं तथा वहां वह यह अनुभव करते हैं कि हिन्दी उनसे बहुत दूर है तथा एक प्रकार से उन पर लाद दी गई है ?

†**श्री डा० एरिंग** : जैसा कि मैंने बताया है नेफ़ा के हमारे लोग हिन्दी तथा अंग्रेज़ी को पसन्द करते हैं। वे निश्चित रुप से यह नहीं कहना चाहते कि वे आसामी भाषा को नहीं चाहते, परन्तु वे अंग्रेज़ी तथा हिन्दी को ही अधिक चाहते हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि गत दस वर्षों के दौरान नेफ़ा के लड़के तथा लड़कियां पेकिंग के पीपल्स इंस्टीट्यूट फार माइनारिटीज़ में शिक्षा दिये जाने के लिये जाते रहे हैं तथा फिर स्पष्ट प्रयोजनों के लिये वापस भेजे जाते हैं ; यदि हां, तो शिक्षा द्वारा चीनी सिद्धान्तों के प्रचार का सामना करने के अतिरिक्त, क्या नेफ़ा के लड़के तथा लड़कियों को चीन में जा कर शिक्षा प्राप्त करने को रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**श्री डा० एरिंग** : अभी तक हमने इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं सुनी है।

†**श्री हेम बरूआ** : हम उत्तर नहीं सुन सके हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक, उस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या हम यह समझलें कि इस देश के बिनाश के लिये नेफा के लड़के तथा लड़कियां पेकिंग में शिक्षा प्राप्त करने के लिय जाते रहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने प्रश्न पूछा था। उत्तर मिल गया है। क्या अब वह यह चाहते हैं कि मैं उन्हें इस बात से अवगत कराऊं। अगला प्रश्न।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं आपसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि मुझे प्रश्न संख्या १०८० को पहले तथा प्रश्न संख्या १०७८ को बाद में पूछने की अनुमति दें।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या उनका कोई कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं ।

†**श्री हेम बरूआ** : राज्य मंत्री यहां पर हैं । वह उनकी सहायता कर सकती हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब अगले प्रश्न पर चला गया हूं । उन्हें अपना प्रश्न तुरन्त ही दुहराना चाहिये था ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : अगले प्रश्न का उत्तर कुछ लम्बा है, परन्तु प्रश्न के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आप मुझ सहयोग देंगे ।

†**श्री त्यागी** : यहां भारतीय नौसेना के सम्बन्ध में एक प्रश्न है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है । मेरा विचार है कि उसे पहले लिया जाना चाहिये ।

१९६२ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम चुनाव

†*१०७८-क. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ अप्रैल, १९६३ को लोक-सभा को 'साइक्लोस्टाइल्ड डिबेट' (पृष्ठ १२०३१ और ३३) जिस में यह आरोप लगाया गया था कि १९६२ के आम चुनावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक निर्वाचन क्षेत्र में अमरीकी धन व्यय किया गया था, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त आरोप की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने ११ अप्रैल, १९६३ को लोकसभा में श्री विश्वनाथ राय द्वारा दिए गए भाषण को देखा है ।

मई, १९६२ में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने प्रधान मंत्री का ध्यान एक साप्ताहिक पत्र में कुछ आरोपों की ओर दिलाया था जिसमें यह बताया गया था कि देवरिया उत्तर प्रदेश से श्री विश्वनाथ राय, संसद् सदस्य ने यह कहा था कि एक विदेशी महिला कितने ही दिनों तक उनके निर्वाचन क्षत्र में रही थी और उसने यहां पर काफी धन व्यय किया था :। तुरंत बाद ही प्रधान मंत्री ने श्री विश्वनाथ राय को इसके बारे में लिखा । उन्होंने अपने उत्तर में प्रधान मंत्री को बताया कि एक विदेशी महिला आम चुनावों में उनके निर्वाचन क्षेत्र में बार बार घूमती रही । चुनाव के बाद उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि वह उन महिला से मिले थे और उसने उन्हें बताया था कि उन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में लगभग ६०,००० रुपये व्यय किए थे । उनका विचार है कि उनके मित्र ने उन्हें बताया था ।

प्रधान मंत्री ने इस मामले की जांच करने का प्रयत्न किया था परन्तु उनको श्री विश्वनाथ राय के वक्तव्य की पुष्टि किसी ने भी नहीं की । वह महिला तब तक भारत से जा चुकी थी ।

लोक-सभा में श्री विश्वनाथ राय के भाषण के बाद श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने पुनः प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया । उन्होंने अपने उत्तर में पुनः यही कहा कि एक विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

महिला ने उनके निर्वाचन क्षेत्रमें धन व्यय किया है और उनको उनके घनिष्ट मित्र ने बताया है कि उसने ६०,००० रुपया व्यय किया है। किसी का नाम नहीं बताया गया।

लोक सभा में भी भाषण में श्री विश्वनाथ राय ने किसी का नाम नहीं लिया था। उनकी बात को सत्य प्रमाणित करना या गलत बताना संभव नहीं हो सकता है।

प्रधान मंत्री को खेद है कि बिना किसी प्रमाण के संसद् में किसी के विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है।

छावनी अधिनियम

\+

१०७९. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में और आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) काम के कब तक पूरा होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) १५० प्रस्तावित संशोधनों में से १४५ की जांच सम्पूर्ण हो चुकी है।

(ख) चूंकि व्यापक संशोधन उलझे हुए से हैं और उनके लिए नगरपालिका नियमों का विस्तृत तथा क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक है, अभी उस कार्य को सम्पूर्ण कर पाना संभव नहीं हो पाया। वर्तमान आपातीकाल में प्रस्तावित व्यापक विधेयक आगे विचार करना स्थगित कर दिया गया है।

श्री का० रा० गुप्त : वर्तमान संकटकालीन स्थिति में एक्ट को जो नहीं लाया जा रहा है, उसके कारण क्या यह सच नहीं है कि बहुत से पत्र प्रतिरक्षा मंत्रालय में आते हैं और बहुत देरी तक उनके बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाता है और वे पड़े रहते हैं ?

†**श्री दा० रा० चव्हाण :** यह ठीक नहीं है।

प्रश्न संख्या १०८० के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्न संख्या १०८० का उत्तर दिया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** लोक हित में।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय मंत्री चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाना

†*१०८०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९६३ की ध्यान दिलाने की सूचना के उत्तर में दिये गये वक्तव्य में कही गई बातों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना में तेज रफ्तार वाले समुद्री जहाजों की व्यवस्था की गई है जिससे ऐसे जहाजों जिनको पहचाना न जा सका हो तथा जिनकी गति-विधि सन्देहास्पद हो, का पीछा किया जा सके तथा पता लगाया जा सके।

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे समुद्री जहाजों का निर्माण अथवा अर्जन करने का तथा अन्यथा नौसेना को शक्तिशाली बनाने का है, यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर तक पहुंचने की चीन की योजना की जानकारी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) और (ख). भारतीय नौसेना में कुछ तेज़ चलने वाले जहाज हैं। विमान वाहक विक्रन्त के विमान भी संदेहास्पद जहाजों की खोज कर सकते हैं। तेज़ रफ्तार वाले और जहाजों का देश में निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सभा में ब्योरे बताना लोक हित में नहीं है।

(ग) सरकार जानती है कि चीनी नौसेना अपनी पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर में भेज सकता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को जानकारी है कि लेनिन का यह कहना कि पेरिस का रास्ता पेकिंग और कलकत्ता होकर है। अब पेकिंग उन का हो ही गया है और अगला स्थान कलकत्ता होगा। यदि हां, तो इस को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** । यह सामान्य प्रश्न है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को कोई सूचना मिली है कि चीन इंडोनीशिया के समुद्र में चौकियां बना रहा है तथा इस प्रकार एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने के लिये सामाजिक स्थित दृढ़ कर रहा है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कोई उत्तर नहीं दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतया यह लोकहित में नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या कारण है कि सभा की लगातार मांग होने पर भी सरकार पर्याप्त संख्या में पनडुब्बियां लेने का प्रयत्न नहीं कर रही है तथा अब चीन के हमने का खतरा होने के कारण क्या सरकार ने पनडुब्बियों को लेने के बारे में अपनी नीति बदल दी है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : नौसेना कार्यालय ने प्रस्ताव पर विचार करना आरम्भ कर दिया है। क्या सरकार ने भी उन से प्रस्ताव बनाने को कहा है। इस संबंध में शीघ्रता की जायेगी। इस में समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रजी में

अल्पसूचना प्रश्न और उत्तर

जामनगर के निकट विमान दुर्घटना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९. श्री जोकीम आल्वा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अप्रैल, १९६३ को जामनगर के निकट एक विमान गिर गया जिस में एक पाइलट अफसर था; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां ।

(ख) नियमों के अनुसार जांच न्यायालय ने आदेश दिया है कि दुर्घटना के कारणों की जांच करे । जांच न्यायालय की कार्यवाही मालूम हो जाने पर पूरे ब्यौरे बताये जायेंगे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या मंत्री महोदय को गत कुछ सप्ताहों में दो दुर्घटनाओं का पता है, एक ऊधम पुर में हुई थी जिस से जमाल्पुर फ्लाइंग अफसर मारा गया था तथा दूसरी उरीसा में हुई थी । ये दुर्घटनायें विमान में किसी खराबी के कारण हुई थीं अथवा अज्ञानी निर्देशकों के कारण ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : इस का उत्तर देना कठिन है क्योंकि यह सब बातें जांच न्यायालय के निर्णयों पर आधारित होंगी ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या माननीय मंत्री जानते ये कि जब एयर इंडिया अथवा इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में दुर्घटना के कारण चालक मर जाता है तो उस के परिवार को प्रतिकर के रूप में काफी धन दिया जाता है । क्या इस तथ्य के आधार पर कि हमारे युवक चालक त्याग करते हैं क्या उन के परिवारों को काफी प्रतरकर दिया जायेगा ।

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : आश्रितवेतन नामक एक योजना है तथा सामान्यत: इन परिस्थितियों में यही दी जाती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अस्पृश्यता निवारण संबंधी चलचित्र

†**१०७३. श्री दलजीत सिंह**: क्या **सूचना और प्रसा ण** मत्री ९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र तैयार करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : नवम्बर, १९६१ में निर्माता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित पाण्डुलिपियों को उचित नहीं माना गया और उस से बताये गये तथ्यों के आधार पर दूसरी पाण्डुलिपि के तैयार करने को कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी पर छोटा राष्ट्रीय गान

†*१०८१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पर छोटा राष्ट्रीय गान बजाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्य निषेध

†*१०८२. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री राम हरख यादव :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है जो इस बात का अध्ययन करेगा कि मद्यनिषेध से जनता का उत्साह किस सीमा तक जागृत हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के निर्देश पद क्या हैं;

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):** (क) सरकार देश के प्रतिबन्धित तथा खुले क्षेत्र में अवैध प्रक्रिया की जांच करने के लिये अध्ययन दल नियुक्त करने जा रही है । यह समिति मद्यनिषेध के वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करेगी तथा सुधार कार्यों के लागू करने के उपायों का सुधार करेगी ।

(ख) निर्देश पद का विवरण सभा पटल पर रखा जता है । **[पुस्तकालय में रखा गया पत्र देखिये संख्या १२४५/६३]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये आयुध कारखाने

†*१०८३. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका तथा ब्रिटेन के तकनीकी तथा मशीनी सहयोग से स्थापित किये जाने वाले नये आयुध कारखानों की स्थापना के लिए स्थानों का चुनाव कर लिया है तथा यदि हां, तो वे कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) क्या इन नये कारखानों की शीघ्र स्थापना के लिए उत्पादन शाखा (प्रोडक्शन विंग) में प्रशासनिक परिवर्तन कर दिए गए हैं; और

(ग) क्या विकास कार्य संभालने के लिये निरीक्षण तथा आयोजन के महानियंत्रक का नया पद कायम किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) जी हां । नये आयुध कारखानों में स्थापना स्थान पर अन्तिम निर्णय ले लिया है । परन्तु आयुध कारखानों के स्थापना स्थान बताना लोकहित में नहीं है ।

(ख) जी हां । प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन में एक कारखाना विभाग बनाया गया है जो इन नये कारखानों की स्थापना में शीघ्रता करायेगा ।

(ग) जी हां ।

चीनियों द्वारा युद्धबन्दियों की मुक्ति

†*१०८४. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम हरख यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रैड क्रास ने चीनी अधिकारियों को सूचना दी है कि वह मुक्त हुए युद्धबन्दियों को तुरन्त लेने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस असमर्थता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मुक्त बन्दियों को अविलम्ब होने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रजी में

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दां० रा० चव्हाण): (क) एक युद्धबन्दियों के दल के बारे में भारतीय रैड क्रास ने चीनी रैड क्रास से प्रार्थना की थी कि युद्धबन्दियों को छोड़ने की तिथि बदल दें क्योंकि वह चीनी रैड क्रास द्वारा बताई गई तिथि को बन्दियों को लेने की स्थिति में नहीं थे।

(ख) और (ग). ४६९ बन्दियों का एक दल बुमला में छोड़ा जाना था। चीनियों ने उन को १५ अप्रैल, १९६३ को छोड़ने को कहा था परन्तु उस तिथि को बुमला के भारतीय रेड क्रास उन को लेने की स्थिति में नहीं था क्योंकि बुमला को जाने वाला रास्ता बर्फ से भरा पड़ा था जिस को हटाना बहुत जरूरी था। यह अनुमान है कि १ मई, १९६३ तक बुमला से बर्फ पर्याप्त मात्रा में हटा दी जायेगी और युद्ध बन्दी ले लिये जायेंगे। तदनुसार चीनी अधिकारियों को सूचना दे दी गई है तथा उन्हों ने १ मई, १९६३ को हमारे सैनिकों को देना स्वीकार कर लिया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*१०८६. **श्री दो० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बीरेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिरपुर, कागजनगर में मैसूर में अस्लमान तथा डंडोली में और पंजाब में अमृतसर में अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० भट्टाभिरामन)** : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२४६/६३।]**

वर्धा में प्रतिरक्षा कारखाने

२४१४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सामग्री के उत्पादन के लिये वर्धा में दो कारखाने खोलने का निश्चय किया गया है;

(ख) क्या इन कारखानों के लिये विदेशी सहायता अपेक्षित है, यदि हां, तो किस रूप में; और

(ग) इन कारखानों में किस सामग्री का उत्पादन कितनी मात्रा में होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) प्रतिरक्षा साज सामान के निर्माण के लिये कई कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इन कारखानों के स्थान प्रकट करना लोकहित में नहीं है। –

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां। मशीनरी और प्लांट जुटाने के लिये तथा तकनीकी सहायता के लिये भी यथा आवश्यकता तथा प्राप्य विदेशी सहायता लेने का विचार है।

(ग) इन कारखानों में शस्त्रों तथा गोली बारूद की मदों का निर्माण करने की परियोजना है। साज सामान की किस्मों तथा राशियों के विषय में विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

नेफा में विमान दुर्घटना

†२४१५. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में नेफा में कितनी विमान दुर्घटनायें हुई; और

(ख) दुर्घटना के क्या कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९६२–६३ में नेफा में एक असनिक विमान दुर्घटना हुई थी। कलिंग एयर लाइन्स का सामान गिराने वाला डकोटा विमान २१ सितम्बर, १९६२ को सेला के निकट गिर गया था। तीनों विमान चालक तथा पांचों अन्य कर्मचारी मर गये थे।

(ख) असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय द्वारा दुर्घटना की जांच की गयी थी। सामान गिराने वाले स्थान पर मौसम खराब होन के कारण एसा हुआ था।

ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट

†२४१६. **श्री उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) जून १९६२ से आजतक ब्रिटेन के लिए कितने पासपोर्ट जारी किए गए थे ?

(ख) कितने आवेदन पत्र मिले थे तथा दूसरी अवधि में कितने स्वीकार किए गये ; और

(ग) इसी अवधि में कितने अस्वीकार कर दिए थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १ जून, १९६२ से १५ अप्रैल, १९६३ की अवधि में ब्रिटेन के लिए १७,७३६ पासपोर्ट जारी किए गए।

(ख) ब्रिटेन के लिए पासपोर्ट सुविधाओं के लिए २०,७७८ आवेदनपत्र मिले थे जिसमें से १७,७३६ स्वीकार किए गए थे।

(ग) १,१६२।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में जयपुर में ट्रांसमीटर

†२४१७. **श्री उलाका** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ८ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जिला कोरापट (उड़ीसा) में जयपुर में २० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने का पहले जो निर्णय किया था उसको बदलने का कारण क्या है तथा क्या वहां पर १० किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) कोरापट जिले के जयपुर में १० किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के लिए भवननिर्माण कब पूरा हो जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) राष्ट्रीय आपात-काल के कारण यह आवश्यक हो गया की सीमा क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए नई स्थापनाओं को कुछ उपकरण भेजें।

(क) लगभग जुलाई १९६३ से।

उड़ीसा में पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति

†२४१८. **श्री उलाका** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में उड़ीसा में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने तकनीकी व्यक्ति पंजीबद्ध हैं; और

(ख) दूसरी अवधि में अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) अप्रैल १९६१—मार्च १९६२—२,६२७

अप्रैल, १९६२—दिसम्बर १९६२—१,७१८

महाराष्ट्र में रेडियो सेटों का वितरण

†२४२०. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना अवधि में महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) दिसम्बर १९६२ के अन्त तक राज्य को किसने रेडियो दिये गए?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) ४००० तथा ५००० के बीच।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ तक इस राज्य को ६७५६ रेडियो दिए गए थे। इसमें पहली तथा दूसरी योजना अवधि के सम्भरित ५६९६ रेडियो भी शामिल हैं। १९६२–६३ के लिए आवंटित ९७५ रेडियो शीघ्र संभरित कर दिए जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानीय विकास निर्माण कार्य

†२४२१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में स्थानीय विकास निर्माण कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया था; और

(ख) इसी अवधि में राज्य द्वारा कितने धन का उपयोग किया गया था ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख). १९६२–६३ के लिए स्थानीय विकास निर्माण कार्य के अधीन महाराष्ट्र राज्य के लिए ३९ लाख रुपये का आवंटन बताया गया है। राज्य सरकार ने अप्रैल, १९६२ से दिसम्बर, १९६२ तक ३७ लाख रुपये का व्यय और जनवरी से मार्च, १९६३ तक का व्यय १८·०० लाख रुपये का अनुमानित व्यय बताया था। १९६२–६३ के लिए ४४·४५ लाख रुपये का तदर्थ अनुमान दिया गया था तथा समस्त वर्ष के वास्तविक व्यय आंकड़े मिलने पर आवश्यक समायोजन कर दिया जायेगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष ३१ मार्च में ही खत्म हुआ है इसलिए जिलों से वास्तविक व्यय के अन्तिम आंकड़े इकट्ठा करने में समय लगेगा।

महाराष्ट्र में पंजीबद्ध व्यक्ति

†२४२२. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में १९६२–६३ में––स्नातक तथा अवर स्नातक––कितने व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया था ;

(क) इसी अवधि में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था ; और

(ग) इसी अवधि में कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को रोज़गार दिलाया गया था ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख).

श्रेणी	अप्रैल–दिसम्बर १९६२ में पंजीबद्ध व्यक्ति	अप्रैल १९६२ से दिसम्बर १९६२ तक रोजगार पाने वाले व्यक्ति
स्नातक	७,५५५	१,०४९
अवर स्नातक (मैट्रिकुलेट्स समेत)	७१,४१७	८,९९०

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

भारतीय वायुसेना के विमान चालक

†२४२३. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायसेना के सामान्य कर्त्तव्य (विमान चालक) शाखा में कमीशन देने के लिए पुरुष भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र मांग गये थे ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र मिले थे, कितने व्यक्ति इंटरव्यू के लिए बुलाये गये थे तथा आज तक कितने चुने गये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, १९६२ में समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन के उत्तर में २९८७० आवेदन पत्र मिले थे। १३ अप्रैल, १९६३ तक ३९१८ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए तथा परीक्षा के लिए बुलाया गया था। उपयुक्त तथा डाक्टरी परीक्षा में ठीक पाये गये अभ्यर्थियों को अन्ततः चुन लिया गया था। उनकी संख्या बताना लोकहित में नहीं है।

एमरजेंसी कमीशन के अफसर

†२४२४. **श्री रेड्डियार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमरजैंसी कमीशन आफसर पेंशन, भविष्य निधि, तथा उपदान के अधिकारी होंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी दरें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) और (ख). १९५५ में जारी किए गए आदेशों के अधीन एमरजेंसी कमीशन अफसरों को विकलांग पेंशन तब मिलेगी जब वह सेवा में विकलांग हो जायें। विकलांग पेंशन अफसर के पद तथा अंगभंग की सीमा के आधार पर दी जाती है। यह एक सुबालटर्न के न्यूनतम ४५ रुपये तथा लैफ्टिनेंट कर्नल के ३३६.२५ रुपये अधिकतम दी जाती है। अफसर की विधवा को विशेष परिवार पेंशन भी मिलती है यदि अफसर सैनिक सेवा करता हुआ मारा जाय। अफसर के पद पर पेंशन की दर आधारित होती है। यह सुबालटर्न के लिए १५०.०० रुपये मासिक तथा लैफ्टिनेंट कर्नल को २२० रुपये मासिक मिलता है।

पदमुक्त होने पर एक एमरजेंसी कमीशन अफसर को प्रत्येक कमीशन सर्विस के लिए ७५० रुपये प्रतिवर्ष उपदान मिलेगा। इसमें परिवर्तन करने पर विचार किया जा रहा है।

इन अफसरों को अधिकार है कि वह प्रतिरक्षा सेवा अफसर भविष्य निधि में रैगुलर कमीशन अफसरों के समान अंशदान दे सकते हैं।

योजना परियोजना

†२४२५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आपातकाल के कारण पुनरीक्षित योजना प्राथमिकता परियोजना को पूरा करने में क्या प्रगति हुई हैं; और

(क) क्या जो योजना परियोजना में परिवर्तन किए गए हैं इनके अतिरिक्त भी और कोई परिवर्तन करने की संभावना है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) और (ख). आपात के कारण योजना में कुछ परिवर्तन किए गए थे। जैसे कुछ को शक्तिशाली बनाना, कुछ कम महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रम बदलना तथा व्यय में अत्यधिक मितव्ययता करना। कुछ आवश्यक परिवर्तनों तथा उच्चतम प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में शीघ्रता करने के अतिरिक्त १९६३–६४ के लिए स्वीकृत योजना परियोजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की संभावना नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा डकैतियां

२४२६. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुस कर कितनी डकैतियां कीं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

नाल हवाई अड्डा

२४२७. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बीकानेर जिले के नाल हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण में कितना रुपया खर्च किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि स्थानीय समाचार-पत्रों में इस आशय की खबरें छपी हैं कि नाल हवाई अड्डे में काम आने वाला सीमेंट चोरबाजारी में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सूचना प्रकट करना लोक-हित में नहीं है ।

(ख) तथा (ग). जी हां । आरोप की जांच की जा रहीं है ।

श्री अली सबरी की भारत यात्रा

†२४२८. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यकारिणी परिषद् के प्रधान श्री अली सबरी, अप्रैल, के अन्त में नई दिल्ली आयेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यकारिणी परिषद् के प्रधान, श्री अली सबरी, भारत सरकार के अतिथि के रूप में २६ से २८ अप्रैल तक नई दिल्ली में ठहरे थे ।

(ख) इस दौरान श्री अली सबरी से पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल से हज के लिये तीर्थ यात्री

†२४२९. **श्री कोया** . क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे जेद्दा स्थित राजदूतावास को केरल के हज-यात्रियों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि उनको केवल दो मुअल्लिम दिये जाने की वजह से बहुत कठिनाई उठानी पड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कारवाई की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी, हां ।

(ख) जद्दा स्थित भारतीय राजदूतावास ने आवश्यक जांच कराई परन्तु वे शिकायतें सही नहीं निकलीं। इसलिये सऊदी अरब सरकार को कुछ लिखना आवश्यक नहीं समझा गया।

पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा में अनधिकृत प्रवेश

†२४३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में त्रिपुरा में अनधिकृत रूप से प्रविष्ट पाकिस्तानियों द्वारा लूटमार किये जाने की दुर्घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानियों द्वारा त्रिपुरा में अनधिकृत प्रवेश करके लूटमार किए जाने की निम्नलिखित घटनाओं की सूचना मिली है :—

(१) १९/२०–२–१९६३ की रात को लगभग २०/३० पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने पुलिस स्टेशन कलमचूरा की आनन्दपुर बस्ती में घुस कर भारतीय नागरिकों के तीन मकानों में आग लगा दी जिससे ५०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई ।

(२) ४/५–३–६३ की रात को लगभग १५/१६ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने आनन्दपुर बस्ती में घुसकर भारतीय नागरिकों के तेरह मकानों में आग लगा दी जिससे १६०० रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई ।

पूर्व पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा किये गये अपराधों के सम्बन्ध में विरोध-पत्र भेजे गए हैं और उनसे मुआवजा देने के लिये कहा गया है ।

जवानों के लिये उपहार

†२४३१. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता द्वारा मोर्चे पर नियुक्त जवानों के लिये भेजे गये विशेष उपहार वास्तव में उनको प्राप्त नहीं हुए ;

(ख) क्या उनमें से अधिकांश उपहार कुछ समय पूर्व कलकत्ता के बाजार में बेचे गए थे; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) जी, नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत जवानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जवानों के शीघ्र एवं समान वितरण के लिए निर्दिष्ट हिदायतें जारी की गई हैं। मोर्चे पर नियुक्त जवानों को उपहार नियमित रूप से प्राप्त हो र हैं।

(ख) ऐसा कोई निर्दिष्ट उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बोमडीला में अस्पताल

२४३२. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री २५ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोमड़ीला के अस्पताल में कितने मूल्य की दवाइयां व अन्य सामान आदि भेजा गया; और

(ख) कितने मूल्य का सामान उस अस्पताल से चीनी सेनायें उठा ले गयीं ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) बोमडीला में फिर से प्रशासन स्थापित हो जाने के बाद से २८,८२५ रुपये के मूल्य का सामान भेजा जा चुका है ; और सामान का इन्तज़ाम किया जा रहा है।

(ख) १,१०,००० रुपये का।

तीसरी योजना की प्रगति

†**२४३३. श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में हुई तीसरी योजना की प्रगति का पुर्नविलोकन कब प्रकाशित किया जाएगा ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):** राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों से मई, १९६३ के मध्य तक आवश्यक आंकड़े भजने के लिये कहा गया है। वह रिपोर्ट संसद् में अगले सत्र में पेश की जाएगी।

राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के गुमशुदा अफसर

†**२४३४. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के दो गुमशुदा अधिकारियों—बरसालपुर के भाट राव भूर सिंह और प्लाटून कमांडर धन सिंह—के पाकिस्तान में होने का पता लगा है;

(ख) क्या वे पाकिस्तान में छिपे हुए भारतीय डाकुओं के जाल के शिकार हुए हैं; और

(ग) क्या वे मुक्त कर दिए गए हैं और अपने कार्य-स्थल पर लौट आए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). कुछ भारतीय डाकुओं ने जिनका कार्यक्षेत्र राजस्थान-पश्चिम पाकिस्तान सीमान्त है, ११, मार्च, १९६३ को धोखे से बरसालपुर के एक भारतीय नागरिक ठाकुर भूर सिंह और राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के एक प्लाटून कमांडर श्री धन सिंह को पकड़ लिया। उनको पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में ले जाया गया जहां पाकिस्तानी रेंजरों ने डाकुओं का पीछा किया। पीछा किये जाते समय डाकुओं ने ठाकुर भूर सिंह को गोली से उड़ा दिया जिनका शव उठाकर बीकानेर लाया गया। राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के प्लाटून कमांडर को पाकिस्तानी रेंजरों ने छुड़ा लिया है तथा यह आश्वासन दिया है कि आवश्यक लिखापढ़ी पूरी होते ही उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिन

२४३५. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से समय-समय पर जो समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जाते हैं वे अन्य केन्द्रों से पूरे के पूरे प्रसारित नहीं किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश भर के सब केन्द्रों से हिन्दी के समाचार बुलेटिन नियमित व समान रूप से प्रसारित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) रांची और शिमला के सिवाए हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित अन्य सभी केन्द्र हिन्दी के चारों बुलेटिन प्रसारित करते हैं। शिमला से तीन बुलेटिन रिले होते हैं और रांची से दो। बम्बई, श्रीनगर और पंजिम को छोड़ कर हिन्दी तर क्षेत्रों के केन्द्र हिन्दी का एक बुलेटिन रिले करते हैं; बम्बई से दो बुलेटिन रिले होते हैं और श्रीनगर व गोआ से एक भी बुलेटिन रिले नहीं होते। यह सच नहीं है कि जो भी समाचार बुलेटिन रिले किया जाता है वह पूरे का पूरा रिले नहीं किया जाता।

(ख) हिन्दीतर क्षेत्रों के केन्द्रों के लिये हिन्दी के सभी बुलेटिन रिले करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी भाषाओं में प्रसारित होने वाले समाचार बुलेटिन भी रिले करने होते हैं और अपनी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनें भी प्रसारित करनी होती हैं। शेष बुलेटिनें दिल्ली से जिस समय प्रसारित होते हैं, उस समय शिमला और रांची से कोई प्रसारण नहीं होता।

प्रेस परामर्शदात्री समिति

२४३६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परामर्शदात्री समिति में कौन-कौन से व्यक्ति सदस्य नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) उसके अन्तर्गत जो दो उप-समितियां नियुक्त की गई हैं उन में कौन-कौन से व्यक्ति रखे गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस परामर्शदात्री समिति और उसकी उप-समितियों की अब तक कितनी-कितनी व कब-कब बैठकें हुई हैं; और

(घ) उस समिति व उन उप-समितियों ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) प्रेस परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नाम ये हैं:—

श्री आर० आर० दिवाकर, संसद्-सदस्य,
अध्यक्ष, इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी।
श्री ए० आर० भट, सदस्य विधान परिषद्,
अध्यक्ष, इंडियन लेंगवेजेज न्यूज़पेपर्स, एसोसिएशन।
श्री सी० के० भट्टाचार्य, संसद् सदस्य,
अध्यक्ष, आल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ़रेंस।
श्री एस० मुलगांवकर।
श्री ए० वी० नायर।
श्री तुषार कांति घोष।
श्री जी० नरसिम्हन।
श्री श्रीकान्त ठाकुर विद्यालंकार।
श्री बी० आर० नरला, संसद् सदस्य।
श्री हयातउल्ला अन्सारी, सदस्य विधान परिषद्।
श्री चन्द्रकान्त एफ० शाह।
श्री एम० सुभान।
श्री ए० जे० जार्ज।
श्री एस० आर० सोनी।
श्री तेजा सिंह।
श्री बशीर अहमद सईद।
श्री के० के० शाह, संसद् सदस्य।
श्री हिरेन मुखर्जी, संसद् सदस्य।
श्रीमती हंसा मेहता।
श्री हरिश सी० जैन,
अध्यक्ष, एडवर्टाइजिंग एजेन्सीस एसोसिएशन आफ़ इंडिया।

(ख) प्रेस परामर्शदात्री समिति की प्रथम बैठक में बनाई गई दो उप-समितियों के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) प्रेस के लिए आचार-संहिता बनाने के लिये उप-समिति :—
श्री तेजा सिंह (चेयरमैन)।
श्री आर० आर० दिवाकर, संसद् सदस्य।
श्री ए० आर० भट, सदस्य विधान परिषद्।
श्री एस० मुलगांवकर।
श्री एम० सुभान।
श्री के० नरेन्द्र
श्री एम० यू० फार्कलीट
उप-समिति द्वारा सहयोजित।

(२) भारत में प्रेस परिषद् की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए उप-समिति :—

श्री बशीर अहमद सईद, चेयरमैन ।
श्री सी० के० भट्टाचार्य, संसद् सदस्य ।
श्री ए० वी० नायर ।
श्री चन्द्रकान्त एफ० शाह ।

(ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही है :—

समिति का नाम	समिति की बैठकें	
	संख्या	दिनांक
प्रेस परामर्शदात्री समिति .	२	५ नवम्बर, १९६२ और ९ व १० अप्रैल, १९६३ ।
आचार-संहिता उप-समिति .	२	५ दिसम्बर, १९६२ और १९ व २० दिसम्बर, १९६२ ।
प्रेस परिषद् उप-समिति	२	१० व ११ दिसम्बर, १९६२ और ७ व ८ जनवरी, १९६३ ।

(घ) दोनों उप-समितियों ने अपना कार्य समाप्त कर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । प्रेस परामर्शदात्री समिति ने नई दिल्ली में ९ और १० अप्रैल, १९६३ को हुई अपनी द्वितीय बैठक में उन पर विचार किया था और उनका निपटान कर दिया था ।

जवानों के लिये पुस्तकें

२४३७. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लड़ने वाले जवानों के लिये पुस्तकें भेजना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की पुस्तकें ; और

(ग) कितनी पुस्तकें फौज में भेजी गई हैं और कितनी इस प्रयोजन के लिये एकत्रित की गई हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख). जवानों के लिये पुस्तकों का प्रबन्ध केन्द्र द्वारा नहीं किया जाता । साल बसाल यूनिटों/फार्मेशनों को कुछ निधियां तथा साहित्य अनुदान दिए जाते हैं जिनसे उन द्वारा सैनिकों के लिये पुस्तकें, समाचार-पत्र, पत्र तथा पत्रिकाएं खरीदी जाती हैं ।

(ग) जवानों के लिये जनता से उपहार स्वरूप प्राप्त ६२९१५ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में से अब तक ५७२५३ उन में बांट दी गई हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

फिज़ियोलॉजी संस्था

२४२८. { **विश्वनाथ पाण्डेय :**
बालगोविन्द वर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़िज़ियोलांजी संस्था जो प्रतिरक्षा प्रयोगशाला का अंग है, को दिल्ली से हटा कर मद्रास ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां तो कब; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) फिज़ियोलांजी और संबद्ध विज्ञानों की प्रतिरक्षा संस्था को मद्रास ले जाया जा रहा है और कुछ कर्मचारी तथा उपकरण। स्टोर वहां पहुंच चुके हैं।

(ख) कर्मचारी फरवरी/मार्च १९६३ में भेजे गए थे और उपकरण/स्टोर ४ अप्रैल १९६३ को।

(ग) संस्था के लिये स्थायी जगह के लिए विभिन्न स्थानों का विचार करके मद्रास को सबसे अधिक उपयुक्त पाया गया था।

बन्दियों के लिये आकाशवाणी कार्यक्रम

†२४३९. { **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्दियों के नैतिक उत्थान के लिये आकाशवाणी से कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोआ की मुक्ति के लिये कोष

†२४४०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की मुक्ति के आन्दोलन की सहायता करने के लिए एक समिति ने १९६१ में कोष एकत्रित किया था ;

(ख) यदि हां तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या है और उसके द्वारा कुल कितनी राशि जमा की गई ;

(ग) क्या एकत्रित राशि का लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां तो कब और किसके द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९६१ में राष्ट्रीय गोआ आन्दोलन समिति नामक एक गैर-सरकारी समिति ने "गोआ आन्दोलन कोष" के लिय धन एकत्रित किया था।

(ख) इस गैर-सरकारी समिति के पद-धारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू—संरक्षक

श्रीमती अरुणा आसफ अली—सभापति

रेवर्न्ड डा० एच० ओ० मासकरेनहास } उप सभापति
श्री बी० ए० दलाल }

श्री रमेश चन्द्र }
श्री जार्ज वाज }
श्री वी० एन० लावण्डे } संयुक्त-सचिव
श्री कैजेटन लोबो }

डा० ए० वी० बालिगा—कोषाध्यक्ष

वह समिति एक गैर-सरकारी निकाय थी अतः सरकार को एकत्रित राशि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

पाकिस्तान जाने के लिए पारपत्र

†२४४१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में भारतीय नागरिकों से पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्रों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र मंजूर किये गये; और

(ग) कितने प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरल** (क) से (ग): सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अमेरिका में प्रकाशित 'इण्डिया न्यूज'

२४४२. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका में जो "इंडिया न्यूज" नामक समाचार पत्र निकाला जाता है वह कितनी-कितनी अवधि पर निकाला जाता है ;

(ख) इसे विज्ञापनों और अन्य तरीकों से अलग-अलग कितनी आय होती है; और

(ग) उस पर सालाना कितना व्यय आता है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) साप्ताहिक।

(ख) कुछ भी नहीं। यह पत्रिका न तो बिक्री के लिय है और न इसमें विज्ञापन ही रहते है। यह मुफ्त ही बांटी जाती है।

(ग) लगभग ६७,५०० डालर।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी आक्रमण के विरुद्ध प्रचार पर व्यय

†२४४३. **श्री यात्रिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी आक्रमण से उत्पन्न आवश्यकता के कारण हाल में युद्ध के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है उसके प्रचार पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) विभिन्न भाषाओं में प्रचार की विभिन्न मदों पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनको भेजे गए विभिन्न राज्य-भाषाओं के पोस्टरों और प्रचार सामग्री का पूर्णोपयोग किया गया है; और

(घ) क्या किन्हीं राज्य-सरकारों ने उनके प्रयोग के लिए मुद्रित पोस्टरों में किन्हीं भाषा संबंधी अथवा अन्य गंभीर दोषों का संकेत किया है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) जी नहीं।

उड़ीसा से भर्ती

†२४४४. **श्री प्र० कु० घोष:**
श्री य० ना० सिंह :
डा० कोहोर :
श्री महानन्द :
श्री यशपालसिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उड़ीसा के कितने व्यक्ति सेना (२) नौसेना और (३) वायुसेना में है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : यह सूचना सभा में प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

योजना कोष का व्यपवर्तन

†२४४५. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य योजना कोष को अनुमोदित परियोजनाओं से अपनी पसंद की योजनाओं में व्यपवर्तित करने लगे हैं;

(ख) यदि हां तो ऐसे राज्य कितने है; और

(ग) क्या व्यपवर्तन के संबंध में निर्णय करने से पूर्व योजना आयोग से परामर्श किया गया था ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा योजना उपमन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : (क) से (ग) जी हां। परन्तु समस्त योजनाओं की तुलना में व्यपवर्तन बहुत अधिक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आवण्टन

†२४४६. **श्री बूटा सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य के समाचार पत्रों को कितना अखबारी कागज आवण्टित किया गया;

(ख) यह आवण्टन किस आधार पर किया गया है; और

(ग) क्या अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए बिक्री के लेखापरीक्षण बोर्ड द्वारा अखबारों की बिक्री संख्या का सत्यापन कराया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में १९६१-६२ और १९६२-६३ में क्रमशः १११.५६ मीट्रिक टन और १००.३० मीट्रिक टन अखबारी कागज दिया गया था।

(ख) यह आवण्टन प्रत्येक अखबार की बिक्री संख्या पृष्ठ के आकार और उसके प्रकाशन की नियमितता के आधार पर किया गया था।

(ग) जी नहीं ?

एमरजेंसी कमीशन के प्रशिक्षार्थियों द्वारा इस्तीफे

†२४४७. **श्री कपूर सिंह :**
श्री य० ना० सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों ने, जो हाल में एमरजंसी कमीशन के लिए भर्ती किये गये थे प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व ही त्यागपत्र दे दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने व्यक्तियों ने और उसके कारण क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, हां।

(ख) १४ जनवरी से ६ मई १९६३ तक १४ छात्रसैनिकों (जेंटिलमेन कैडेट) ने त्यागपत्र दिये थे। उन्होंने अपने त्यागपत्रों में ये कारण किये है; (१) ट्रेनिंग के शारीरिक परिश्रम को सहन न कर सकना; (२) सैनिक जीवन के प्रति रुझान न होना; (३) घरेलू समस्याएं; (४) स्वभावगत अनुपयुक्तता और (५) सैनिक जीवन में रुचि न होना और उसकी कठिनाईयों को न झेल सकना ।

पंजाब में पासपोर्ट की जालसाजी का मामला

†२४४८. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान पंजाब सरकार के एक मंत्री द्वारा पंजाब विधान-सभा में दिए

---

†मूल अंग्रेजी में

गए इस आशय के वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि पासतोटों की जालसाजी के मामले की फाइल अदालत से गुम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी क्योंकि गुमशुदा सूचियां केन्द्रीय सरकार के रेकार्ड की नहीं थी। भारत सरकार की संबंधित फाइल सुरक्षित है।

अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग

†२४४९. **श्री नि० रं० नास्कर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों में सहयोग के संबंध में पोलेंड के साथ कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) करार में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है :

(१) अणुशक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोगों और तत्संबंधी गवेषणा के बारे में अवर्गीकृत सूचना का आदान-प्रदान, उस सूचना को छोड़कर जिसको कोई भी पक्ष आदान-प्रदान करने के लिए स्वतंत्र न हो क्योंकि वह किसी तीसरे पक्ष के सहयोग से प्राप्त की गई थी;

(२) वैज्ञानिकों का पारस्परिक आदान-प्रदान;

(३) किसी भी पक्ष द्वारा चाहे गए आण्विक सामान अथवा उपकरण की खरीद की सुविधाओं का विस्तार;

(४) दोनों पक्षों द्वारा सहमत संयुक्त परियोजनाओं की क्रियान्विति में सहयोग; और

(५) भारतीय वैज्ञानिकों के पोलेंड में और पोलड के वैज्ञानिकों के भारत अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए आधिछात्रवृत्तियां मंजूर करना।

पहले यह करार पांच वर्षों की अवधि के लिये लागू होगा और उसका समय समय पर पारस्परिक सहमति से पुनर्नवन संशोधन एवं विस्तार किया जा सकेगा।

गोआ में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना

२४५०. **श्री ओंकारलाल बैरवा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोआ की बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस योजना में इस पर कितने रुपये व्यय करने का विचार है ;

(ग) यह जमीन कितने परिवारों को दी जायेगी?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां। सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोआ में बीहड़ भूमि में और कछार क्षेत्र की भूमि में खेती शुरू कराने की एक योजना मंजूर की है।

(ख) चालू योजना में इस पर ४१.७८ लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) इस भूमि पर ८०० परिवारों को बसाने की योजना है।

भारतीय सेना में चीनी लोग

†२४५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से चीनी लोग नेपाली गोरखा नामों को धारण करके आसाम राइफल्स और अन्य गोरखा टुकड़ियों में भरती हैं ;

(ख) यदि हां, तो संकट काल की घोषणा होने के पश्चात् कितने ऐसे मामले मालूम हुए हैं; और

(ग) भारतीय सेना से ऐसे लोगों की छंटनी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० र० चव्हाण) :** (क) और (ख) चीनी उद्भव के केवल दो व्यक्ति बनावटी नाम से हाल ही में भर्ती हुए मालूम हुए हैं, एक सेना में और दूसरा आसाम राइफल्स में : दोनों भाई हैं। मालूम होने के तुरन्त पश्चात् वे जांच पड़ताल तथा अग्रतर कार्रवाई के लिये असैनिक पुलिस को सौंप दिये गये।

(ग) जैसे पहले श्री राम सेवक यादव तथा अन्य सदस्यों के २४ जनवरी, १९६३ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ के उत्तर में बताया जा चुका है, इस प्रकार सेवा में उन के घुस आने को रोकने के लिये उचित कार्रवाई की गई है।

दिल्ली में कारखाने

२४५२. **श्री कछवाय :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कई ऐसी फैक्टरियां हैं जिनमें १०० से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं परन्तु वे न्यूनतम वेतन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि वे न्यूनतम वेतन बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आ जायें ?

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) :** (क) जी हां। (सम्भवतः यह हवाला न्यनतम वेतन अधिनियम के बारे में है)।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की धारा ३ (१ए) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि संबंधित सरकार यदि चाहे तो किसी भी ऐसे अनुसूचित रोजगार में, जहां सारे राज्य में एक हजार से कम कर्मचारी काम करते हों, वेतन निश्चित न करे।

(ग) इस समय किसी प्रशासन के पास अधिनियम की अनुसूचि में नए रोजगार जोड़ने का कोई सुझाव नहीं है।

नागालैण्ड प्रशासन के लिये वित्तीय शक्तियां

†२४५३. { श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के प्रशासन को अधिक वित्तीय शक्तियां देने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां, यह प्रस्ताव सिद्धान्त रुप में स्वीकार किया गया है।

(ख) वैदेशिक कार्य मंत्रालय का एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी नागालैंड सरकार के परामर्श के साथ ब्यौरे का अध्ययन करने के लिये मई के प्रारम्भ में नागालैंड जायेगा। उसकी सिफारिश आने के बाद अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

औद्योगिक समझौता संकल्प

†२४५४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ ने नई दिल्ली की अपनी हाल की बैठक में औद्योगिक समझौता संकल्प के कार्य-मंत्रालय की समीक्षा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं; और

(ग) इन सिफारिशों की दृष्टि से सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कार्मिक संघ से कोई सूचना नहीं मिली।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

आयुध डिपो, शकूर बस्ती

†२४५६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध डिपो, शकूर बस्ती में बहुत सी चीजों के स्थानीय क्रय के बारे में बड़ी भारी अनियमितताओं की सूचना प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** (क) से (घ). आयुक्त डिपो, शकूर बस्ती द्वारा स्टोर के स्थानीय क्रय सम्बन्धी अनियमितताओं के निम्न दो मामलों का पता चला :—

(१) **कड़ाहियों का क्रय**—यह आरोप लगाया गया था कि विशिष्ट ब्योरे से घटिया चीजें खरीदी गई थीं। डिपो ने सितम्बर, १९६२ से दिसम्बर, १९६२ की अवधि में एकांश को सज्जित करने के लिये जल्दी से लोहे की ५१ कड़ाहियां खरीदी थीं ।

(२) **"बंब" उपकरण** की खरीद—

यह आरोप लगा था कि संभरण आदेश देने के मामले में एक फर्म के साथ पक्षपात किया गया और घटिया सामान मिला तथा स्वीकार कर लिया गया।

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को, जिसने इस मामले की जांच की है, पहला आरोप सिद्ध करने का साक्ष्य नहीं मिला। दूसरे आरोप की जांच अभी पूरी नहीं हुई।

मिस्र में आबू सिम्बल मन्दिर

†२४५८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिश्र में आबू सिम्बल के ऐतिहासिक मन्दिर की मरम्मत तथा रक्षा की योजना के सम्बन्ध में युनेस्को की महासभा में प्रस्तुत हुए संकल्प पर भारत ने क्या मत दिया ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** यह मामला महा सभा में दो बार उठा। पहले, सभा ने विधि सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसने यह निर्णय दे दिया था कि, युनेस्को के बजट से दस वर्षों की अवधि के लिये योजना को चलाने के लिये महानिदेशक के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये दो - तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। इस मामले पर, भारतीय शिष्टमंडल ने मतदान नहीं दिया। तदुपरांत, महासभ ने महानिदेशक के, प्रस्ताव पर मत दान किया और भारत ने उसके पक्ष में मत दिया।

केरल में आण्विक बिजली घर

†२४५९. **श्री प० कुन्हन् :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बिजली की कमी को मिटाने के लिये एक आण्विक बिजली घर स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी म

दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निवास स्थान

†२४६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रतिरक्षा कर्मचारियों को काम देने के मामले में दिल्ली और नई दिल्ली को दो अलग स्थान मानती है ;

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिरक्षा संगठनों में काम करने वाले तथा दिल्ली छावनी में रहने वाले कर्मचारियों को दिल्ली चले जाने तथा दिल्ली वालों को नई दिल्ली चले जाने के लिये क्यों कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री द० रा० चव्हाण)**: (क) जी नहीं।

(ख) यह कार्रवाई इसलिये की जाती है क्योंकि वर्तमान आदेशों के अधीन दिल्ली छावनी को प्रतिरक्षा कमचारियों को मकान देने के लिये दिल्ली नई दिल्ली से पृथक स्थान माना जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

समाचार पत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य

†२४६१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भाषा समाचारपत्र संघ ने संविधान में संशोधन करके संविहित पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ)**: (क) सरकार को बंबई में १४ अप्रैल, १९६३ को उनकी बैठक में भारतीय भाषा समाचार पत्र संघ की कार्यपालिका समिति द्वारा पारित एक संकल्प की एक प्रति मिली है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि सरकार को संविधान में संशोधन करके एक संविहित पृष्ठानुसार मूल्य अनुसूची नियत करनी चाहिये।

(ख) और (ग): इस समय कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल

२४६२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में मेहतरों, चौकीदारों तथा चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों को अभी भी ३०–१–३५ रुपये के वेतन-क्रम में वेतन दिया जा रहा है और दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनका वेतन-क्रम ७०–१–८५ रुपये नहीं किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वेतन-क्रमों को संशोधित न करने के क्या कारण हैं ?

तिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी हां। द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें छावनी बोर्डों के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं। दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा चालित स्कूलों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी सेविवर्ग के वेतन-दर नेशनल इंडस्ट्रीयल ट्रिबुनल के निर्णय के अन्तर्गत हैं जिनके अनुसार वह ३१–१–३५ वेतनदर के ही अधिकारी हैं।

दिल्ली छावनी में बिजली की कमी

२४६३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में रहने वाले असैनिकों के लिये बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पूरी करने के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ग) समस्त प्रार्थियों को कब तक कनेक्शन मंजूर कर दिये जायेंगे?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। इसका कारण यह है कि दिल्ली छावनी की असैनिक जनता को उतनी विद्युच्छक्ति दी जा सकती है, जितनी प्रतिरक्षा आवश्यकताएं पूरी कर लेने के पश्चात् बच जाए।

(ख) दिल्ली छावनी (सदर बाजार) कोतवाली सब-स्टेशन की वर्तमान क्षमशक्ति, वर्तमान् ट्रांस्फारमर को तबदील करके २०० किलोवाट से ३०० किलोवाट तक बढ़ाई जा रही है।

(ग) आशा है कि यह काम लगभग एक वर्ष में हो जाएगा।

एम० ई० एस०, दिल्ली छावनी

२४६४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी के एम० ई० एस० को भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० के अन्तर्गत, जैसा कि वह समय-समय पर संशोधित किया जा चुका है, लाइसेंस प्राप्तकर्ता की समस्त शक्तियां एवं दायित्व प्राप्त हैं ;

(ख) क्या एम० ई० एस० द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के लिये बनाये गये विनियम भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुरूप हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार का एक विभाग होने के नाते एम० ई० एस० इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, १९१० के अधीन लाइसेंसदार नहीं है, परन्तु इस विधेयक के अनुभाग ५१–ए के अधीन उसे लाइसेंसदार के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त हैं सिवाए उनके कि जो उस अनुभाग की पहली परन्तुक में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली छावनी बोर्ड की वर्क्स कमेटी

२४६५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री काशी राम गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी बोर्ड ने वर्क्स कमेटी का निर्माण अभी तक नहीं किया है जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३(१) के अन्तर्गत आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इण्डस्ट्रीयल डिस्प्युट्स एक्ट के अनुभाग ३(१) की मांग के अनुसार दिल्ली छावनी द्वारा वर्क्स कमेटी बनाई गई थी, और उसकी समयावधि १९६० में समाप्त हो गई थी। कमेटी का पुनस्संगठन नहीं किया गया।

(ख) अम्बाला छावनी बोर्ड के एक कर्मचारी से संबद्ध एक मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, कि छावनी बोर्ड के सभी कर्मचारियों को इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट की शर्तों के अधीन 'कार्मिक' नहीं कहा जा सकता, और यह आवश्यक है कि छावनी बोर्डों के औद्योगिक अथवा अर्धौद्योगिक कार्यों को उसके ऐसे कार्यों से अलग किया जाए, जिनका उद्योग से कोई संबंध नहीं है। छावनी बोर्ड के कर्मचारियों का कार्मिकों के तौर पर वर्गीकरण का प्रश्न विचाराधीन है, क्योंकि वर्क्स कमेटी तभी बन सकती है जब 'कार्मिकों' की संख्या १०० या अधिक हो।

(ग) छावनी बोर्ड दिल्ली को निदेश दिया गया है कि इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करे।

छावनी नियमों का अनुवाद

२४६६. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की विभिन्न छावनियों के नियमों और उप-

नियमों को वहां की प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी में अनुदित किये जाने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): सभी छावनी बोर्ड अभी अंग्रेजी में ही अपना काम चला रहे हैं। हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषाओं को अपनाने की साध्यता पर छावनी बोर्डों से विचारविमर्श किया गया है, जिन्होंने इसमें अपनी कुछ असुविधाएं व्यक्त की हैं। उनकी जांच की जा रही है।

दिल्ली छावनी में छावनी फण्ड क्वार्टर

२४६७. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी में छावनी बोर्ड फंड के कम से कम ९० प्रतिशत क्वार्टरों की जिनमें असैनिक रह रहे हैं, तुरन्त बड़े पैमाने पर मरम्मत किये जाने की जरूरत है ; और

(ख) यदि हां, तो क्वार्टरों की मरम्मत के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) तथा (ख). केवल एक क्वार्टर में भारी मरम्मत आवश्यक है, जो तभी की जा सकेगी जब उसे वर्तमान् किरायेदार ने खाली किया। शेष क्वार्टर वाजबी हालत में हैं। आवश्यक मरम्मत की जा रही है।

दिल्ली छावनी में भूमिगत नालियां

२४६८. **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली छावनी में भूमिगत नालियों सम्बन्धी योजना तैयार करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) लगभग किस तिथि से योजना पर कार्य आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) इस पर कितनी लागत का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) तथा (ख). दिल्ली छावनी में भूगर्भ नालियों के लिए एक योजना बनाई गई है और विचाराधीन है। यह प्रश्न भी, कि आपातकाल के कारण योजना को स्थगित कर दिया जाए, विचाराधीन है।

(ग) लगभग १४४ लाख रुपये

दिल्ली छावनी का असैनिक क्षेत्र

२४६९. **श्री काशीराम गुप्त :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २५ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सदर बाजार, दिल्ली छावनी में असैनिक क्षेत्र के विस्तार के प्रश्न पर, जिसे सरकार ने सिद्धान्त रूप में पहले ही स्वीकार कर लिया है, पुनर्विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है; और

(ग) क्या असैनिक क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली भूमि सैनिक योजनाओं के अन्तर्गत है और यदि नहीं, तो इस विषय में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग): दिल्ली छावनी के असैनिक क्षेत्रों के प्रसार का प्रश्न आपाती-घोषणा के पश्चात् स्थगित कर दिया गया था। प्रतिरक्षा की बढ़ी आवश्यकताओं को सामने रखते हुए, सैनिक अधिकारियों को फरवरी १९६३ में सुझाव पर नए सिरे से विचार करने को कहा गया था। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उनकी रिपोर्ट की प्राप्ति पर विषय पर पुनः विचार किया जाएगा।

वाणिज्यिक फर्मों में सैनिक पदाधिकारी

†२४७०. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के कितने वरिष्ठ सेना अधिकारी ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करके व्यापारी फर्मों में नौकरी की है और किन शर्तों पर;

(ख) क्या अद्यतन सूची सभा पटल पर रखी जाएगी और

(ग) उनमें से कौन कौन दिल्ली में हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण)**: (क) और (ख). 'सरकार के वरिष्ठ सेना अधिकारियों' शब्दों का संभवतः उल्लेख उन सेवा निवृत्त अफसरों से है, जो स्थल, जल तथा वायु सेवाओं में उच्चपदों पर थे। इस आधार पर, जहां तक सूचना उपलब्ध है, सभा पटल पर रखी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० १२४७/६३]**

(ग) जहां तक मालूम है, निम्न दस अफसर अब दिल्ली में हैं :—

१. मेजर जनरल यू० सी० दुबे
२. ब्रिगेडियर डी० चौधरी
३. ब्रिगेडियर एल० एल० भंडारी
४. ब्रिगेडियर एस० एस० मलिक
५. ब्रिगेडियर अनन्त सिंह
६. ब्रिगेडियर एम० एम० बादशाह

---

†मूल अंग्रेजी में

७. लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यवाहक ब्रिगेडियर) एम० आर० बुढ़ाघर

८. कर्नल राजेन्द्र सिंह

९. लैफ्टिनेंट कर्नल (कार्यवाहक–कर्नल) टी० के० मुकर्जी

१०. लैफ्टिनैंट कर्नल (कार्यवाहक कर्नल) जे० सी० कपूर ।

गोआ में आयात लाइसेंसों के लिये जांच समिति

†२४७१. **डा० गायतोंडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ प्रशासन ने आयात निर्यात देने के संबंध में आरोपित अनियमितताओं की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की थी,

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ग) इस समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) गोआ प्रशासन के तीन अफसरों तथा एक गैर सरकारी व्यक्ति पर आधारित एक समिति गोआ, दमन और दीव के लैफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अक्तूबर १९६२ में, गोआ में आयात लाइसेंस देने संबंधी आरोपित अनियमितताओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी ।

(ख) समिति के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट गोआ प्रशासन को दे दी है ।

(ग) समिति ने अभी अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप नहीं दिया ।

वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी समन्वय समिति

२४७२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में वैज्ञानिक गवेषणा में समन्वय के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये डा० भाभा के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं और वह कब तक प्रतिवेदन देगी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जी हां । देश में किये जा रहे वैज्ञानिक कार्य (विशेषकर अनुसंधान योजनाओं) की जांच करने तथा रिपोर्ट देने और कार्य को यथासंभव कम खर्च से सुचारु रूप में चलाने के लिये इस महीने डा० एच० जे० भाभा के सभापतित्व में एक समिति का निर्माण किया गया है, जिसके सदस्य डा० डी० एस० कोठारी, डा० एस० हुसैन जहीर, श्री एस० एस० खेरा तथा डा० एस० भगवन्तम हैं। यह समिति देश में सरकार के अधीन या सरकार से सहायता पाने वाले विभिन्न संगठनों और संस्थानों में किये जा रहे वैज्ञानिक कार्य की जांच करेगी तथा रिपोर्ट देगी। यह समिति कार्य को अधिक कारगर ढंग से चलाने के लिये सुझाव देगी, तथा साधनों का अधिक प्रभावात्मक ढंग से लाभ उठाने और एक ही कार्य को अनावश्यक रूप में दुबारा करने से बचने की दृष्टि से विभिन्न प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संगठनों के बीच कार्यों के समन्वय के संबंध में सरकार को सलाह देगी । समिति द्वारा रिपोर्ट देने के लिये कोई निश्चित अवधि नहीं रखी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अम्बाला छावनी में आग

†२४७३ **श्री अ० ना० विद्यालंकार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि २२ मार्च, १९६३ की रात्रि को अम्बाला छावनी के एक मुख्य बाजार में भयानक आग लग गई जिसके कारण दर्जनों दुकानें नष्ट हो गई जिनके परिणामस्वरूप कई लाख रुपये के माल और सम्पत्ति की न पूरा होने वाला तथा भारी हानि हुई;

(ख) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, अम्बाला छावनी के पास आग बुझाने का सामान और कर्मचारी न्यूनतम निर्धारित मात्रा में भी नहीं हैं; और

(ग) यदि ऐसी बात है तो इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी, हां। इस आग में दुकानों को क्षति पहुंची। आग लगने के कारणों आदि की जांच छावनी बोर्ड की एक समिति के द्वारा की जा रही है। जांच का परिणाम अभी मालूम नहीं हुआ।

(ख) जी नहीं। छावनी बोर्ड, अम्बाला के पास, आग बुझाने का पर्याप्त सामान है। इसके अतिरिक्त, छावनी में आग बुझाने की सेवा की चार और इकाइयां हैं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बाल फिल्म संस्था के लेखे

†२४७४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल ने बाल फिल्म संस्था का विशेष लेखापरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और क्या रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायगी?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) १८ अप्रैल १९६३ को लोक सभा पटल पर रखे गये लेखापरीक्षा रिपोर्ट (असैनिक) १९६३ की कंडिका ९३ की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

बाल फिल्म संस्था

†२४७५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बालोपयोगी फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, ब्रेसल्ज ने, युवकों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में बच्चों की फिल्म संस्था को १००० डालर मंजूर किये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह राशि कैसे और कब प्राप्त हुई थी तथा संस्था के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) यह राशि भूतपूर्व महा सचिव, बाल फिल्म संस्था, द्वारा ब्रूसेल्ज में १५-१२-६१ को प्राप्त की गई थी, जहां वह एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये गये थे। अभी तक राशि संस्था के रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई।

सिक्किम में दुर्भिक्ष

†२४७६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस समाचारों में कोई सत्यता है कि पिछले दो महीनों से पश्चिम सिक्किम में अकाल की स्थिति फैली हुई है; और

(ख) खाद्य की इस कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने सिक्किम की सहायता करने के लिये क्या किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). पश्चिम सिक्किम में दुर्भिक्ष के बारे में प्रेस की सूचना के अतिरिक्त कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। दुर्भिक्ष की हालत या कथित खाद्य की कमी की पुष्टि नहीं हो पाई। सरकार इस मामले में जांच कर रही है।

छावनी नगर नसीराबाद

†२४७७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नसीराबाद (राजस्थान) की नागरिक समिति ने छावनी नगर पर किराया नियंत्रण विधि को लागू करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर सरकार पिछले तकरीबन दो वर्षों में विचार कर रही है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हां, मई १९६२ में।

(ख) से (घ). जनवरी १९६१ में राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि :

(१) राजस्थान भूगृहादि (किराया तथा निष्कासन नियंत्रण) अधिनियम, १९५०, जिस रूप में नसीराबाद छावनी पर लागू होता है, राज्य विधान मंडल की शक्ति से परे है ;

(२) दिल्ली और अजमेर नियंत्रण अधिनियम १९५२, अभी तक नासीरावाद छावनी में लागू था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मार्च १९६२ में, राजस्थान सरकार ने इच्छा व्यक्त की कि समूचे राज्य में किराया नियंत्रण विधान में एकरूपता लाने के लिये, अधिनियम, छावनियों (किराया नियंत्रण विधियां) अधिनियम, १९५७ के सक्षम उपबंधों के अधीन भारत सरकार द्वारा नसीराबाद छावनी पर भी लागू किया जाना चाहिये। स्थानीय राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम नसीराबाद छाननी पर, दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ के रद्द होने के पश्चात ही नसीराबाद छावनी पर लागू किया जा सकता है।

नवम्बर, १९६२ में, राज्य सरकार ने बताया कि दिल्ली और अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम १९५२ को, जिस रूप में वह नसीराबाद छावनी पर लागू होता है, रद्द करने के लिये अपेक्षित संशोधन किया गया है। अब राजस्थान भूगृहादि (किराया और निष्कासन नियंत्रण) अधिनियम, १९५० को नसीराबाद छावनी पर लागू करने की कार्यवाही की जायेगी।

एम० ई० एस०, बैरकपुर

†२४७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० ई० बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) के अधीन काम करने वाले एम० ई० एस० के लगभग ३० कार्यकर्ताओं को पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से उन की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिली है ;

(ख) क्या इन मामलों में वेतन भी नियत नहीं किया गया ;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(घ) इन को निपटाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण)**: (क) जी नहीं। स्थिति यह है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक (शोधित वेतन) नियमों १९६० के १५ सितंबर, १९६० को लागू होने की तिथि पर विविध प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों के वेतन शोधित वेतन भागों में पुनर्निर्धारित किये जाने थे, जिस के आधार पर आगे वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी थी।

(ख) ३० कर्मचारियों का वेतन अस्थायी तौर पर पुनर्निर्धारित किया जा चुका है और उस वेतन के आधार पर अग्रिम भुगतान भी अस्थायी तौर पर किया जा चुका है। दो मामलों में वेतन अन्तिम रूप से पुनः निर्धारित किया जा चुका है, जब कि शेष २८ मामलों में प्रशासी अधिकारी लेखा परीक्षक प्राधिकारियों के परामर्श से कार्रवाई कर रहे हैं।

(ग) विलम्ब के कारण ये हैं :

(१) बहुत से सम्बद्ध व्यक्तियों ने एम० ई० एस० में काम किया था, अतः इन सब दफ्तरों से सत्यापन जारी था।

(२) कुछ मामलों में अवधि की रुकावट को दूर करने के प्रश्न पर विचार करना जरूरी था।

(३) वेतन पुनर्धारिण तथा परिणामस्वरूप बकाया राशि के बिल तैयार करने से संबंधित बहुत सी औपचारिकतायें पूरी करनी थीं।

(४) लेखा परीक्षक प्राधिकारियों की आपत्तियों का निपटारा करना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) शीघ्रातिशीघ्र सभी बकाया मामलों का निपटारा करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

डाक्टरों को सेना में कमीशन

२४७९. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने असैनिक डाक्टरों को कमीशन देने की सुविधा का प्रबन्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कमीशन देने की क्या शर्तें हैं; और

(ग) उन्हें कितने साल सेवा करने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हां । ऐसा होता रहा है ।

(ख) सैनिक डाक्टरों को सेना चिकित्सालय-दल में अल्पकालीन नियमित कमीशन, आपाती कमीशन, रिजर्व कमीशन और सीधे स्थायी नियमित कमीशन देने की शर्तें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गय । देखिये संख्या एल० टी० १२५४/६३ ।]**

(ग) चिकित्सक स्नातक जिन के पास अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र हैं, आपाती कमीशन तथा अल्पकालीन नियमित कमीशन के अधिकारी हैं—अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रों को किसी अस्वीकृत असैनिक अस्पताल में अनिवार्य डाक्टरी सेवा की संयुक्त अवधि प्रतिरक्षा चिकित्सालयों में १२ मास सेवा के पश्चात् स्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों में परिणत किया जा सकता है ।

सेना मुख्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क

†२४८०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय में काम करने वाले अ० डि० क्लर्कों के वेतन नियत करने के मामले १९५८ से प्रतिरक्षा मंत्रालय (मु० प्र० अधिकारी) के पास लंबित पड़े हैं, उन कर्मचारियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई टाइप की परीक्षा पास करने के पश्चात् और सरकारी आदेश, दिनांक ५ जनवरी, १९५९ के अधीन टाइप परीक्षा से मुक्ति मिलने के पाश्चात् से ।

(ख) क्या यह भी सच है कि वायु बल तथा नौ सेना मुख्यालयों में ऐसे ही मामलों का फैसला किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो सेना मुख्यालय में इन मामलों का निपटारा न होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन नियत करने के नियम समूचे सशस्त्र बल मुख्यालयों पर समान रूप से लागू नहीं होते;

(ङ) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिस में वे मामले बताये जायें, जो दो से ले कर पांच वर्षों तक लंबित हैं; और इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या यह सच है कि इन मामलों का निपटारा न होने के कारण अ० डि० क्लर्कों की वार्षिक वेतन वृद्धियां १९५८–५९ से रुकी पड़ी हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) से (च). एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १२५५/६३ ।]**

दिनांक २५ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर में शुद्धि

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : २५ फरवरी, १९६३ को श्री हरि विष्णु कामत, श्री म० ला० द्विवेदी, श्रीमती सावित्री निगम, तथा श्री स० चं० सामन्त द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर का शुद्धि-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ८५३/६३ ।]**

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व सूचना दी थी । उसे अग्राह्य कर दिया गया । उस प्रस्ताव का कारण यह था कि एक प्रमुख समाचार पत्र में यह संवाद प्रकाशित हुआ था कि खाद्य उत्पादन में पिछले दो वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हो रही है और उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है। जब कि खाद्य मंत्री ने सभा को जो जानकारी दी थी वह इसके विपरीत थी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : साम्यवादी दल के उपनेता को यह ज्ञात है कि हम किस प्रक्रिया को अपना रहे हैं वे मुझ से मेरे कक्ष में मिल सकते थे और तदुपरांत इसे अपराह्न में रखा जा सकता था। जहां तक कारण न बताने का प्रश्न है, ग्यारह बजे तक मेरे पास सूचनायें आती रहती हैं। उस समय मेरे लिये उनकी अग्राह्यता के सम्बन्ध में कारण देना संभव नहीं होता है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आप अवसर सरकार को यह अवसर देते हैं कि वे आ कर सभा में स्थिति का स्पष्टीकरण करें। हमने सोचा था कि आप इस अवसर पर भी सरकार को स्पष्टीकरण का मौका देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को चाहिये था कि वे मुझसे मेरे कक्ष में मिल लेते यदि वे वहां मुझ से सहमत नहीं हो सकते तो मैं उन्हें सभा में इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता था। तब उन्हें किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता। यह बात स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभी सदस्यों के लिये लागू होती है।

अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में जल संभरण

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं अबिलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं और स्वास्थ्य मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देवें :

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में जल संभरण की भारी कमी तथा जल संभरण के घंटों में कमी करने का निश्चय—

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : हर वर्ष गर्मी के महीनों में जल संभरण दिन के समय १२ बजे से ३ बजे तक और रात को १० बजे से ४ बजे तक बंद रहता है । चालू वर्ष में भी १ अप्रैल, १९६३ से यही प्रतिबन्ध लगाये गये हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि निगम जल संभरण के घंटों में और कमी करने का विचार कर रहा है ।

तथापि कुछ क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है । इसका कारण यह है कि वितरण की लाइनों की कम क्षमता के कारण दबाव अपर्याप्त है । निगम ने इस प्रकार की योजना की है कि उनके स्थान में बड़ी क्षमता के पाइप लगाये जायें ।

इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है कि मालवीय नगर के सभी ब्लाकों में दिन में कुछ घंटे पानी मिले ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ८० लाख गैलन पानी की अधिक कमी हो गई है क्या इसका कारण यह है कि यहां की कुल सफाई और संचय क्षमता ९५० लाख गैलन ही है ?

†**डा० सुशीला नायर** : यद्यपि जल प्राप्ति की वर्तमान क्षमता ९७० लाख गैलन है तथापि हमारे नलों की क्षमता केवल ९२० गैलन ही है हमने पम्पों की क्षमता में वृद्धि के सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति हमेशा पैदा होती है तो उसके लिये पहिले से ही प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ?

†**डा० सुशीला नायर** : दिल्ली में निकट भविष्य में प्रति व्यक्ति ५० गैलन जल उपलब्ध करने की योजना है । यह विचार है कि १९९१ तक जल संभरण को ४००० लाख गैलन बढ़ाया जाये । हमने इस सम्बन्ध में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से बातचीत की है वे दिल्ली को जल देने को तैयार हैं । तथापि इन योजनाओं को पूरा करने में कुछ समय लगेगा ।

†**श्री यशपाल सिंह** (कैराना) : साउथ एवेन्यू ने पीने के पानी की जो सख्त कमी है उसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सारी दिल्ली का इन्तजाम हो जायेगा ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : क्या सरकार अन्य बातों के अलावा तप और त्याग के द्वारा जनता की मन शुद्धि करने का प्रयत्न कर रही है ?

†**डा० सुशीला नायर** : जल के अपव्यय को रोकने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । दिल्ली में ५००० आम नल हैं उनसे १०० लाख गैलन जल का अपव्यय होता है । उन्हें यह नोटिस दिया गया है कि यदि वे जल का अपव्यय नहीं रोकेंगे तो नलों को बन्द कर दिया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के इल्म में यह बात है कि जब तक यमुना के ऊपर निभर किया जायेगा तब तक पीने के पानी की कमी रहेगी । इस लिये ट्यूब वैल तैयार करने में सरकार क्यों देर कर रही है और क्या सरकार की योजना ट्यूब वेल्स के लिए है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : शाहदरा के इलाके में कुछ ट्यूब वेल्स लगा दिये गये हैं और कुछ और लगाने का इरादा है। बाकी शहर में करीब ६०० हैंड पम्प्स लगे हुए हैं। मगर उन का पानी इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिये आवश्यकता पड़ने पर उस पानी को उबाल कर पीने की हिदायत की जा रही है। माननीय सदस्य ने और क्या पूछा था, वह मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : उस को जाने दीजिये।

सदस्य के निलम्बन के बारे में

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली)† : हमारे जन संघ के दो सदस्यों को भाषा बिल पर सस्पेंड किया गया था। इस लिये पहले तो मैं सदन से यह अनुरोध करूंगा कि चूंकि अब भाषा विधेयक समाप्त हो चुका है इस लिए उन लोगों को फिर से सदन में आने की आज्ञा दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो आप ने मुझे लिखी नहीं थी।

श्री ब्रजराज सिंह : दूसरा निवेदन यह है कि अब कमिटीज के एलेक्शन हो रहे हैं तो उस में उन को वोट देने का अधिकार है या नहीं ?

†**श्री बड़े** (खारगांव)† : दो सदस्यों को सभा से निलम्बित कर दिया गया है मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको संसदीय समिति के लिये निर्वाचन में भी भाग लेने का कोई हक नहीं है। मेरे विचार से उन्हें समिति में मतदान देने का पूरा हक होना चाहिये। 'मे' द्वारा लिखित "पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" में यह निहित किया गया है कि प्रत्येक संसद् इस विषय में अपने नियम बना सकती है। अतः सदस्यों को इस विषय पर विचार करना चाहिये।

†**श्री त्यागी** (देहरादून)† : समितियों का चुनाव एक वर्ष के लिये होता है। उस समय उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत के जरिये होता है समितियों के ढांचे अथवा स्वरूप में सभा की कार्यवाही में से कुछ सदस्यों को निलम्बित किये जाने के कारण बिघ्न नहीं पड़ना चाहिये उन्हें समितियों के निर्वाचन में मत देने की अनुमति दी जाये।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं श्री त्यागी का समर्थन करता हूं कि उन्हें समितियों में रहने दिया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर)† : मेरी राय यह है कि उन्ह समितियों में मतदान करने की अनुमति दी जाये।

†**श्री दाजी** (इन्दौर)† : सभा की रेंसेवाओं से किसी सदस्य को निलम्बित करने का यह तात्पर्य नहीं है कि उसे सदस्यता के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाये। उसे पूरी अवधि के पहिले सदस्यता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। समितियों के निर्वाचन में उन्हें मत देने का अधिकार दिया जाये।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर)† : यदि उन्हें सभा की सेवाओं से वंचित कर दिया है तो इसके तात्पर्य ही यह हैं कि वे सभा के भीतर नहीं रह सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : जहां तक हमारा व्यक्तिगत मत है हम उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहते हैं। तथापि जब तक दंड की अवधि शेष रहती है इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि निलम्बित सदस्य को सदस्य के रूप में मतदान करने अथवा अन्य अधिकारों का उपयोग करने के समेत कोई भी कार्य करने से वंचित किया जाता है। अतः जब तक वह दंड चलता रहेगा उनको मत देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मेरा सुझाव है कि इस संबंध है उदारतापूर्वक विचार किया जाये तथा सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : लोक-सभा के प्रक्रिया नियमों में कहीं भी 'सभा की सेवा' शब्दों की व्याख्या नहीं की गयी है। यह मालूम होता है कि 'सभा की सेवा' शब्दों का अर्थ वस्तुतः यह नहीं है कि समितियों के लिये मतदान संबंधी कोई सेवा। सम्बद्ध सदस्यों को समितियों के लिये मतदान से वंचित न किया जाये।

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित-आंग्लभारतीय): नियम ३७४(३) में सभा के अहाते की व्यापक व्याख्या की गयी है। उसके अनुसार निलम्बित सदस्य सभा चेम्बर, दीर्घायें, गैलरियों इत्यादि में भी प्रवेश नहीं कर सकता है।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर): जब किसी सदस्य को सभा की सेवा से निलम्बित किया जाता है तो उसका यह अर्थ होता है कि उसे सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया जाये समितियों में मतदान भी सभा की कार्यवाही का एक भाग है अतः उन्हें मतदान की अनुमति देने से दंड का प्रयोजन ही निष्फल हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे सामने एक निश्चित प्रश्न है कि निलम्बित सदस्यों को समितियों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार दिया जाये या नहीं। समितियां विशेष प्रयोजन से गठित की जाती हैं। तथा उनमें कार्य करना भी सभा की सेवा करने के ही समान है। अतः मेरा मत है कि समितियों में काम करना और उनमें मतदान करना सभा की सेवा के अंतर्गत है। अतः जब तक हम अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक वे मतदान करने के अधिकारी नहीं हैं।

†**श्री रंगा** : मेरे विचार से हमें इस संबंध में सभा के निश्चय तथा नियमों में संशोधन करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ?

[सभा पटल पर रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२२३/६३।]

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य जमा योजना विधेयक के बारे में महान्यायवादी का मत

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अनिवार्य जमा योजना विधेयक के बारे में महान्यायवादी के मत की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२२४/६३।]

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अ० प्र० जैन ने मुझे कुछ प्रश्न दिये हैं जिनके संबंध में यह कहा गया है कि वे मंत्री महोदय या महान्यायवादी को प्रेषित कर दिये जायें। यदि अन्य सदस्य भी उनसे प्रश्न पूछना चाहें वे मुझे एक घंटे के भीतर दे देवें।

विधि मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान जी मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री अ० प्र० जैन का यह कथन कि मैंने अनुच्छेद ३१ (२क) का संरक्षण लिया है गलत है, मैंने बिल्कुल विरोधी बात कही थी।

प्राक्कलन समिति

सिफारिशों का उत्तर संबंधी विवरण

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं निम्नलिखित विवरण, जिन में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के वे उत्तर दिये गये हैं, जो सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक-सौ सत्रहवां प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण;

(दो) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के चौदहवां प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण;

(तीन) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सोलहवां प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण;

(चार) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सत्रहवां प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण;

(पांच) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सत्ताईसवां प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण।

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही सारांश और इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय--हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया)

---

†मूल अंग्रेजी में

लिमिटेड, भोपाल---सम्बन्धी पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं वर्तमान अधिवेशन में ससद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये और २२ अप्रैल, १९६३ को सभा में दी गई अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या २) बिल, १९६३ को सभा पटल पर रखता हूं।

लोक-लेखा समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं निम्नलिखित के बारे में लोक लेखा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :--

(१) लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिरक्षा सेवायें), १९६० का पैरा ५७।

(२) समिति की प्रतिरक्षा सेवा लेखे सम्बन्धी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही।

विधि मंत्री द्वारा वक्तव्य

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति के कारण मैं डालमिया जैन गुट के अनेकों समवायों के मामलों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये कुछ समय पूर्व सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में कुछ पहलुओं पर महान्यायवादी श्री सी० के० दफ्तरी और मद्रास उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश श्री ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री के प्रतिवेदन के कुछ पहलुओं के बारे में अपना वक्तव्य देता हूं।

सभा को ज्ञात है कि इस प्रतिवेदन के अध्ययन के पश्चात् इसे उक्त दो महानुभावों की राय जानने के लिये भेजा गया था। उनका प्रतिवेदन सरकार को २५ अप्रैल १९६३ को प्राप्त हो गया है। सरकार ने उनके प्रतिवेदन की जांच कर ली है तथा उनके सुझावों तथा सिफारिशों पर उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

सर्वश्री दफ्तरी और शास्त्री का प्रतिवेदन दो भागों में है। भाग १ में विभिन्न अनियमितायें और प्रथायें हैं। जिनकी विपन बोस आयोग नेविवेचना की थी और बताया था कि सरकार द्वारा इनके बारे मैं क्या और उचित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। समिति ने सिफारिश की है कि इन पर कोई कानूनी कार्यवाही करने के पूर्व सरकार कुछ सौदों के बारे में जांच पड़ताल करे। साथ ही यह बात स्वीकार करेगी कि प्रतिवेदन का वह भाग सभा पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंकि हमको उन सौदों के बारे में साक्ष्य का विश्लेषण है इसको प्रकट कर देने से किसी न्यायालय में और कार्यवाही करने में, जो सरकार करना चाहे, बाधा पड़ सकती है।

प्रतिवेदन का भाग २ समवाय अधिनियम के संशोधन और प्रशासन के बारे में वह सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों और सुझावों के आधार पर समवाय विधि प्रशासन ने समवाय अधिनियम के संशोधन के लिये अस्थायी प्रस्ताव बना लिये है। अब सर्वश्री दफ्तरी और शास्त्री की सिफारिशो पर यह विभाग विचार करेगा और यथासमय समवाय अधिनियम में संशोधन के लिये एक विधेयक सभा में पेश किया जायेगा।

मैं प्रतिवेदन के दूसरे भाग को सभा पटल पर रखता हूं **[सभा पटल पर रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १२३१/६३]**।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : में चाहता हूं कि प्रतिवेदन का आंशिक रूप सभा में नहीं रखा जाये अपितु पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये क्योंकि अधूरे प्रतिवेदन से सभा के निर्णय में अन्तर आ सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य एक सुझाव दे रहे हैं कि पूरा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि सरकार दूसरा भाग सभा पटल पर नहीं रख रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यदि प्रतिवेदन सभा के सामने नहीं है, तो जब तक उचित रूप से जांच न हो जाए, चर्चा करनी जरूरी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि किसी मामले पर किसी न्यायालय में विचार हो रहा हो तो हम उस मामले पर यहां चर्चा नहीं कर सकते। जब यहां चर्चा होगी, तो माननीय सदस्य इन मामलों को उठा सकेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या विधि मंत्री की राय में यह मामला न्यायाधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस बात पर फिर विचार करेंगे। माननीय सदस्य जब इस प्रतिवेदन पर विचार करें तो वे इस मामले को भी उठा सकते हैं।

बंगाल वित्त (बिक्री कर) (दिल्ली संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

जनवरी १९६३ में मुख्य मंत्रियों की बैठक में इस बात पर लगभग समझौता हुआ था कि अधिनियम की अनुसूची १ में दी गई कुछ विलास वस्तुओं पर सभी राज्यों में ७ प्रतिशत की दर को बढ़ा कर १० प्रतिशत कर दिया जाए। कई राज्यों ने इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं। आशा है अन्य राज्य जल्दी कदम उठाएं गे। खंड (२) के उपखंड (१) में प्रस्तावित संशोधन उक्त निर्णय को दिल्ली क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए है।

पास वाले राज्यों के मुकाबले में दिल्ली में बिक्री की दरें कम थीं। दरों को बिलकुल बराबर करना तो कठिन है फिर भी यह वांछनीय है कि जितना फर्क भी कम किया जा सके किया जाए ताकि पास वाले राज्यों का राजस्व और व्यापार सुरक्षित किया जा सके और दिल्ली राज्य का राजस्व बढ़ जाए। दिल्ली में बिक्री कर का सामान्य दर ४ प्रतिशत से बढ़ा कर ५ प्रतिशत कर देने का विचार है।

खंड (२) का उपखंड (२) इस प्रस्थापना को लागू करने के बारे में है। इस परिवर्तन से दिल्ली और पड़ौसी राज्यों में वर्तमान फर्क काफी कम हो जाएगा। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में राजस्व में १.१५ करोड़ रूपयों की वृद्धि होगी। वर्ष १९६३–६४ में चूंकि अतिरिक्त राजस्व वर्ष के केवल दो चौथाई के लिये होगा, अतः असली राजस्व लगभग ५७.५ लाख होगा।

उम्मीद है कि सभा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार करेगी। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में लागू बंगाल बिल (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : बिक्री कर का तो उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ता है। बिक्री कर की दर बढ़ने से पहले ही ऊंची कीमतें और बढ़ जाएंगी। यद्यपि यह कर विलास वस्तुओं पर होगा, फिर भी इसका प्रभाव अन्य वस्तुओं पर भी पड़ता है। व्यापारी लोग इन बातों का अनुचित प्रयोग करते है।

माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि बिक्री कर उपभोक्ता कर न बन जाये। चूंकि इस कर का बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय इस पर पुनः विचार करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि 'सिंगल पुआइंट" बिक्री कर और मल्टी पुआइंट बिक्री कर के प्रश्न पर मुख्य मंत्रियों की बैठक में विचार हुआ था ?

दिल्ली में चूंकि कोई विधान सभा नहीं है, इसलिये यहां के लोगों को हमेशा नुकसान रहता है। क्या इस विधेयक को लाने से पूर्व दिल्ली के प्रतिनिधियों और दिल्ली के विभिन्न राजनैतिक दलों से सरकार ने परामर्श किया था ?

देहली में कीमतें पहले ही बढ़ गई हैं। बिक्री कर में वृद्धि से कीमतें और बढ़ जाएंगी। मैंने जो दो प्रश्न उठाए है माननीय उपमंत्री उनका उत्तर दें।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : बिक्री कर का भार उपभोक्ता पर पड़ेगा। कई बार बिक्री कर सरकार के पास नहीं जाता है। दुकानदार ग्राहक से कहता है कि यदि रसीद न लो तो बिक्री कर नहीं लिया जाएगा। वह बिक्री कर ले कर अपने पास रख लेते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पड़ौसी राज्य ने बिक्री कर देहली के बराबर कर दिया है यह बड़ी अच्छी बात है। इससे संचार पर बोझ कम होगा और पड़ौसी राज्यों की शिकायतें कि देहली का बाजार उन पर छा रहा है, भी दूर हो जाएंगी। इस लिए में विधेयक का समर्थन करता हूं।

बिक्री कर का बकाया जमा नहीं होना चाहिये। जल्दी जल्दी इक्ट्ठा किया जाना चाहिए।

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली सदर) : विकास कार्यक्रमों पर अधिक व्यय की आवश्यकता के कारण यह विधेयक लाया गया है। १९५७ में भारत सरकार ने कपास, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री कर को उत्पादन शुल्क में मिला दिया। इस से राजस्व भी बढ़ गया और कराधन प्रक्रिया भी आसान बन गई। बाकी चीजों के संबंध में भी इसी प्रक्रिया पर पालन करना चाहिए। सरकार इस मामले पर विचार करे।

बिक्री कर के लिये अलग से न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए. क्योंकि काम काफी बढ़ गया है।

कराधान मंत्रणा समिति जैसी कि देहली में पहले थी स्थापित की जानी चाहिये। इस समिति के द्वारा बिक्री कर के संबंध में सभी कठिनाइयों का हल हो जाएगा।

यह विधेयक इसलिए लाया गया है कि देहली में बिक्री कर का दर पड़ोसी राज्यों में बिक्री कर के दर के बराबर हो जाए। कई मामलों में देहली को नुक्सान होता है। कई बार कई सरकारी निर्णयों से देहली के व्यापारियों को हानि होती है। इन सब मामलों पर सरकार को विचार करना चाहिए ताकि देहली के व्यापारियों को किसी तरह का नुकसान न हो।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : श्री प्रभात कार और श्री बनर्जी ने यह बात उठाई है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में बिक्री कर के सम्बन्ध में एकरूपता लाने की प्रस्थापना पर क्यों विचार किया गया था। हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करते रहे हैं। हम उनसे यह भी कहते रहे हैं कि यदि बिक्री कर के ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किया जाए कि आसानी से कर इकट्ठे किए जा सकें, तो ऐसा करने से उन्हें लाभ होगा। इस प्रकार से बिक्री कर और आयकर का अपवंचन भी नहीं होगा। इसी प्रयोजन के लिये वित्त मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों की बैठक में एक समिति नियुक्त करने की प्रस्थापना रखी गई। विभिन्न राज्यों के साथ बिक्री कर की समस्या पर विचार करने के लिये और उस में एकरूपता लाने के लिये एक समिति बनाई गई जिसके सभापति स्वर्गीय डा० बी० सी० राय थे। राज्य सरकारों से बिक्री कर को उत्पाद-कर में बदलने के लिये अनुरोध करने के सम्बन्ध में सरकार के पास कई अभ्यावेदन आए।

समिति विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से मिली और इस मामले में राज्यों के साथ प्रगति करने के लिये पूरी कोशिश की गई, परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ राज्य इस बात को नहीं माने। इस लिए बिक्री कर को उत्पाद-शुल्क में बदलने के बारे में समिति एक रूप से सिफारिशें नहीं कर सकी। कुछ प्रक्रियाएं अपनाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि वे जिस प्रकार से बिक्री कर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यह हमारी कठिनाई है। कठिनाइयों के बारे जानते हुए भी हम अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या आप उन्हें एकरूपता रखने के लिए सलाह नहीं दे सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : हम उन्हें सलाह देते रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं, तर्क वितर्क करते रहे हैं। डा० बी० सी० राय के सभापतित्व में एक समिति भी बनाई गई। उन्होंने सिफारिशें तो कीं, परन्तु राज्य सरकारों से मनवा नहीं सके।

दूसरी बात देहली में बिक्री-कर की सम्भावनाओं के बारे में थी। देहली का बहुत सा माल अन्य राज्यों में पृष्ठदेश में जाता है। यह तो बड़ा वितरण केन्द्र है। इसका अपना पृष्ठदेश नहीं है। अतः इस कर का अन्तिम प्रभाव अन्य पड़ौसी राज्यों पर भी पड़ता है। ये राज्य चाहते थे कि देहली में यथा सम्भव करके ढांचे को उन राज्यों के करों के ढांचे के बराबर कर दिया जाए। उनको कुछ विलास वस्तुओं पर बिक्री कर ७ से १० प्रतिशत करने के लिए कहा गया। सब राज्य सरकारें मान गईं। अतः देहली को अलग से नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि इस का उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

दुकानदारों के बिल न बनाने की रोक थाम के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। व्यापारी को न केवल बिक्री का बिल बनाना पड़ता है, परन्तु खरीद का भी हिसाब रखना पड़ता है। जब वह अपनी खरीद का हिसाब रखता है, तो यदि वह बिक्री कर का उचित हिसाब नहीं रखता, तो वह पकड़ा जा सकता है। उस पर भी कुछ लोग कानून के पंजे से बचने के लिए काफी होशियार हैं। उनकी रोकथाम करना बहुत कठिन है।

श्री प्रभात कार : अपने प्रशासन को ठीक करिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हम अपने प्रशासन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आय कर की बकाया राशियों को बहुत कम कर दिया है। हम बिक्री कर के प्रशासन का भी सुधार करना चाहते हैं, परन्तु इसमें कुछ कठिनाई यह आ जाती है कि यह मामला राज्य सरकारों के अधीन भी है।

'मल्टी पुआइंट' बिक्री कर उपभोक्ताओं और खरीदारों के लिये एक कठिन समस्या है। परन्तु यह भी राज्य सरकारों के अधीन है। 'सिंगल पुआइंट' या 'मल्टी पुआंइट' कर लगाना तो उनके अधीन है।

इस विधेयक के आम समर्थन के लिए में अनुगृहीत हूं।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : कराधान के दर का बात ही नहीं हम तो एकरूपता चाहते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : देहली की मन्त्रणा समिति में इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। इन सब समस्याओं पर विचार किया गया था, एक सामान्य सूत्र बनाया गया और उसी आधार पर यह विधेयक सभा के सामने आया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर कोई संशोधन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ और २, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१

वर्ष १९६०-६१ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
१७	नागा पहाड़ियां—त्वनसांग . .	७,०९,१२६
२४	आय पर कर आदि	१,१५,५२८
४६	मंत्रिमंडल	२,०५,८१९
५६	मनीपुर	३,०६,८६९
६६	श्रम और रोजगार मंत्रालय . . .	५३,२२२
८२	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,७२,००,२२०
८५	सामान्य राजस्व में डाक तथा तार विभाग का लाभांस तथा रक्षित निधि में विनियोजन . .	७७,४०,६५९
८७	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत .	७,६२,३१४
९२	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित) .	१०,७३,२६६
९६	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य .	१,६४,१०,४५०
१३३	सड़कों पर पूंजी परिव्यय . . .	२,४८,९१,७९९

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६०–६१ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगो के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
४६·	१	श्री यशपाल सिंह	मंत्रियों के यात्रा खर्च में कमी	१०० रुपये

†**अध्यक्ष महोदय** : ये मांगें और कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं सब से पहल मांग संख्या ९२ के बारे में कहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

कुछ हिस्सों में सड़कों का सुधार होना चाहिये । पश्चिमी किनारे के क्षेत्र में काफी यातायात की कठिनाई है ।

सड़कें राज्य सरकारों द्वारा अच्छी तरह से नहीं रखी जाती है । सड़कें बनाने के सम्बन्ध में देरी नहीं होनी चाहिए ।

केरल के पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी सड़कों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता ।

वर्ष के अन्त में मंत्रियों के दौरों पर अधिक धन व्यय किया गय है । मंत्रियों को आपातकाल में ऐसे खर्च कम करने चाहियें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) : हाल ही में नागालैंड में कुछ दुर्घटनाएं हुईं । नागा विद्रोही शान्तिप्रिय लोगों को तंग कर रहे हैं । उनके संरक्षण के बारे में कुछ पुलिस के दल भेजने के अतिरिक्त और क्या ठोस कदम उठाए गए हैं । समाचार पत्रों में यह समाचार भी आए हैं कि नागा-विद्रोहियों ने पाकिस्तान द्वारा दिए गए शस्त्रों का प्रयोग किया है । मैं जानना चाहता हूं कि इस की जांच की गई है कि नहीं ।

आपात काल में मंत्रियों को अपने दौरे कम कर देने चाहिएं । उन पर कम खर्च किया जाना चाहिए । क्या यह सच है कि जब मंत्री दौरे पर जाते हैं तो ६ या ८ आने मील उन्हें दिया जाता है ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : केन्द्रीय मंत्रियों को ६ आने प्रति मील नहीं दिया जाता है । यदि वे गैर-सरकारी कार का प्रयोग करे तो उन्हें इस दर से भत्ता दिया जाता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मन्त्रियों को सादगी से काम लेना चाहिए तभी और लोग उनका ठीक अनुसरण करेंगे ।

इस्पात के धृत मूल्य पर गैर-सरकारी क्षेत्र प्रभाव डालता है । जब तक लोहे और इस्पात के विक्रय मूल्य कम नहीं किए जाते, तो बहुत कठिनाई होगी । हमें इस्पात का उत्पादन इतना बढ़ाना चाहिए कि उत्पादन की लागत कम हो । देश को इस्पात सस्ते दर पर चाहिये । इसका एकमात्र यही हल है कि एक और पंचाट स्थापित किया जाना चाहिए और गैर सरकारी क्षेत्र के पंचाटों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि चौथे इस्पात सन्यन्त्र के लिए अमेरिका सहायता दे रहा है कि नहीं ।

श्री यशपाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जबकि हर जगह खर्च में कमी की जा रही है, मिनिस्टरों के टी० ए० का भत्ता बढ़ता जा रहा है । समुद्र के ज्वार भाटे की तरह से उन्होंने अपने खर्च को बढ़ाया है । सन् १९५७ में उनके टूर के ऊपर ५,५७,४४६ रु० खर्च हुआ, सन् १९५८ में ६,४९,११४ रु० खर्च हुए, सन् १९५९ में ६,४३,८६३ रु० और सन् १९६० हमारे लोकप्रिय मिनिस्टरों के टी० ए० का खर्च ९,५८,११० रु० हो गया । इसका मतलब यह हुआ कि ८० फी सदी इंक्रीज हुआ उनके भत्ते में । गांधीजी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन गांधीजी के नाम पर, सैक्रिफाइस और त्याग के नाम पर, रिनन्सिएशन के नाम पर, पैट्रियाटिज्म के नाम पर रुपये को पानी की तरह बहाते हैं । मेरा सख्त ऐतराज़ यह है कि अगर इस तरह से रुपये को बरबाद किया जायेगा तो देश में न डिफेन्स हो सकेगा, न डेवेलपमेंट हो सकेगा । आज देश का रुपया सब मिनिस्टर लोग खा जाते हैं ।

आप ख्याल कीजिये कि ३७,८०,००० रु० की जो नई मांगें मांग रहे हैं उसमें ३० फी सदी मिनिस्टरों के भत्तों के ऊपर खर्च हो जायेगा । मैं यहां पर अपनी बात नहीं कहता, सरकार की कहानी सरकार की जबानी ही पेश करता हूं । पी० ए० सी० की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है :

"मन्त्रियों के दौरों के बारे में पहले जानकारी दी जानी चाहिये । यदि मन्त्रालय दौरों के बारे में पहले ध्यान रखता तो आधिक्य न होता ।" एक तरफ सरकार ४७ करोड़ रु० वापस कर रही है लोगों को दिखलाने के लिये, दूसरी तरफ २,०५,८१९ रु० उसमें ज्यादा खर्च कर रही है । इस ढंग से आडम्बर से क्या फायदा है । अगर देश की सेवा करनी है तो जिस तरह से महात्मा जी बकिंघम पैलेस में लंगोटी लगा कर जा सकते थे वही आदर्श इन मिनिस्टरों को भी कायम करना चाहिये । जिस इंडियन कल्चर की दुहाई दी जाती है वह इंडियन कल्चर यह कहता है कि वजीरे आजम जिस को कहते हैं उसका आदर्श चाणक्य के शब्दों में यह है :

"उपलशकलमेतत् भेदकं गोमयानाम्
वटभिः उनहृतानां वर्हिषांस्तोम एष।

वजीर आजम ऐसा होता है कि उसके छपर पर थोड़े से उपले सूखते रहते हैं और पत्थर के टुकड़े रक्खे रहते हैं । आप गीत गाते हैं भारतीय संस्कृति के, वोट मांगते हैं महात्मा गांधी और त्याग के नाम पर और रुपये को इस तरह से उड़ाते हैं जिस तरह से कि विलायत का भी कोई मिनिस्टर नहीं उड़ाता है । हमारा आदर्श तो यह है कि एक दफा खलीफा हजरत उमर की दाल में घी डाल दिया गया । दीन और ईमान के को मानने वाले का आदर्श यह है कि जब उनके सामने घी आया तो उन्होंने पूछा कि बाकी मुसलमानों को घी मिला है या नहीं ? जवाब मिला कि बाकी मुसलमानों को नहीं मिला । हजरत उमर ने कहा मेरी थाली से घी निकाल दो, वह दाल हटवा दो, जब तक मालिक को घी नहीं मिलेगा तब तक गुलाम कैसे खायेगा ? लेकिन यहां उल्टा हिसाब है, जनता चाहे भूखी रहे, जनता मरती रहे, जनता चाहे सर्दियों और गर्मियों में परेशान रहे, जनता के बच्चों के पास चाहे किताबें न हों, जनता के बच्चों के पास पढ़ने के लिये फीस चाहे न हो, लेकिन मिनिस्टर लोग एक पैसा भी कम करनेके लिये तैयार नहीं हैं, जबकि किसान श्रमदान देता है, जब कि हरिजन श्रमदान देता है, किसान और मजदूर अपना काम छोड़ कर श्रमदान देते हैं, जब यू० पी० के किसानों की हालत यह है कि जो कुछ उसके यहां पैदा होता है, अगर १०० रु० की पैदावार होती है, तो ५० रु० फाइनेन्स मिनिस्ट्री ले लेती है, २५ रु० सी० बी० गुप्ता, जो कि वहां के वजीर आला हैं वह ले लेते हैं । जिसकी १०० रु० आमदनी है

उसके पास २५ रु० बचता है। जो काश्तकार है वह अपनी आमदनी का ७५ फी सदी सरकार को दे देता है, लेकिन मिनिस्टर लोग अपना भत्ता छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये मेरी दरख्वास्त यह है कि उनके भत्ते कम किये जायें, जिस तरह से आज पार्लियामेंट के मेम्बर अपने पासेज से सफर करते है उसी तरह से मिनिस्टर लोग भी सफर करें। काम जो कुछ हो रहा है वह आपके साम है। काम हो नहीं रहा है और रुपया उड़ा जा रहा है। मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर इस मांग को मंजूर किया जाय तो जो इसमें बढ़ोतरी की मांगें हैं उन पर अमल न किया जाय बल्कि मिनिस्टरों से कहा जाय कि उन चीजों पर खर्च ज्यादा न करें। अगर खर्च करेंगे तो देश और ज्यादा कंगाली और गरीबी की तरफ बढ़ेगा। यह वह देश है जिसमें लाखों बीघे जमीन इसलिये पड़ी रह गई है कि बीज का इन्तजाम नहीं है, यह वह देश है जिसमें ८ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनको एक वक्त खाना मिलता है, यह यह देश है जिसमें दिल्ली के अन्दर १ लाख से ज्यादा आदमी ऐसे हैं जिनके पास रैन बसेरा करने के लिये जगह नहीं है, और यहां के मन्त्री रुपया उड़ा रहे हैं। इस लिये मेरी दरख्वास्त यह है कि यह टी० ए० और डी० ए० खत्म किया जाये।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण): जब तक हम इस्पात के आयात में सहायता करने की नीति जारी रखना चाहते हैं, तो सीमान्त उत्पादक को दी गई राशि में परिवर्तन अवश्य होता रहेगा। इस सम्बन्ध में नीति बदलने का हमारा इरादा नहीं है। अतः इस मांग का समर्थन करता हूं।

डाक और तार विभाग के सामान्य राजस्व में लाभांश दिए जाने के बारे में रेलवे का प्रबन्ध ही अपनाया गया है। यह नया प्रबन्ध है। इसे दिलचस्पी से देखा जाना चाहिये। डाक और तार विभाग के सन्तुलन पर जो इसका प्रभाव होगा उसको भी निगरानी रखनी चाहिए।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से डिमांड्स नम्बर ४६, ६६ और १२५ पर बोलना चाहता हूं।

पहली दो डिमांड्स में यात्रा भत्ते आदि के खर्च की बात है। इसके ऊपर सबसे पहले माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है। मैं आपके जरिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न है, और जनता के ऊपर करों का बड़ा भारी बोझ लादा जा रहा है, ऐसी दशा में मन्त्रियों के यात्रा भत्ते में इस तरह से रुपया बहाना मैं उचित नहीं समझता। आप देखें कि हम लोग बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं और जनता से कहते हैं कि वे देश के लिये कुर्बानी करें और दूसरी तरफ जनता की गाढ़ी कमाई को इस प्रकार खर्च किया जाता है। मैं नहीं समझता कि मंत्रियों को इतने दौरे की आवश्यकता है। इलेक्शन में जाते हैं और बतलाते हैं कि हम सरकारी काम में गए थे। दूसरे कामों में जाते हैं। मैं इस समय कोई खास केस आपके सामने नहीं रखन चाहता, जरूरत हो तो रख भी सकता हूं। जाती मामलों में पैसा खर्च करके भी सरकार से वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए ताकि ये खर्चे कम किए जा सकें।

इसी तरह से मन्त्रालयों के खर्च की इसमें मांग है। ये मन्त्रालय सुरसा के मुंह की तरह बढ़ते जाते हैं। जितने अफसर बढ़ते जाते हैं, जितने अधिक आदमी रखे जाते हैं उतना ही काम कम होता है। जनता को उनसे परेशानी होती है, उसका काम नहीं होता। मगर डिपार्टमेंट पर डिपार्टमेंट और दफ्तर खुलते जाते हैं। गांवों में आप जाएं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि एक एक आदमी के पीछे एक एक अफसर हो। सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, मच्छर मारने वाले, मुर्गी पालने वाले आदि इतने अफसर हैं कि उनके कारण मुसीबत हो जाती है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार ये अफसरों की पलटनें खड़ी होती जाती हैं। इस तरह से बिला-वजह खर्च बढ़ जाते हैं और काम कुछ भी नहीं होता है सेक्रेटरी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पाण्डेय]

अण्डर सैक्रेटरी और दूसरे बड़े बड़े आफ़िसर्ज़ बहुत फ़िजूलख़र्ची करते हैं। मैं समझता हूं कि उनको जितना आराम पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ताकि काम बढ़े, उतना ही वे कम काम करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे काम न करने की कसम खाए बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि यह खर्चा कम किया जाये।

जहां तक डिमाण्ड नं० १२५ का सम्बन्ध है, मैं ठेकेदारी प्रथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज ठेकेदार हमारे मुल्क को पूरी तरह से लूट रहे हैं। मुझे बहुत विश्वस्त रूप से पता चला है कि **नीफा** में वास्तव में कोई सड़क या पुल नहीं बना, मोटरों के लायक कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन पेमेंट हो गया और ठेकेदारों ने वहां पर पैसा खाया।

पिछले दिनों हमारे यहां एसेम्बली में ठेकेदारों के बारे में सवाल किया गया था। वहां पर ४२ गांव ऐसे हैं, जिनको ऊंचा नहीं किया गया, वहां पर कोई मिट्टी नहीं पड़ी, लेकिन विलेज रेज़िंग स्कीम के अन्तर्गत पेमेंट हो गया। जब वहां पर मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि ४२ गांव कहां हैं, तो इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

श्री ब० रा० भगत : क्या ये गांव नागालैण्ड में है ?

श्री सरजू पाण्डेय : वहां पर तो रोड्ज़ बनी ही नहीं हैं। हां, कागज़ पर ज़रूर बनी हैं।

मैं मिसाल दे रहा हूं कि हमारे ज़िले में सरकार के कथनानुसार ४२ गांव ऊंचे किये गए, लेकिन एटुअली वे गांव थे ही नहीं और पेमेंट हो गया। वहां पर कोई गांव हैं ही नहीं। एक दो गांव नहीं, मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं कि पांच गांव ऐसे थे, जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। वे गांव मौजूद ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी पेमेंट हो गया।

इस प्रकार से ठेकेदारों को पैसा दिया जाता है और इंजीनियर तथा ओवरसियर आदि सब कमीशन खाते हैं। ज़मीन पर कोई चीज़ नहीं बनती है और पेमेंट हो जाता है।

इसलिए अगर मंत्री महोदय ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर दें, तो बहुत अच्छा होगा। ठेकेदारों की वजह से हमारे मुल्क का बहुत सा पैसा बर्बाद हो जाता है और कोई काम नहीं होता है। मैं निवेदन करुंगा कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाये और सारा काम सरकार के द्वारा किया जाये। इस के अलावा मंत्रियों, उपमंत्रियों और दफ़तरों का ख़र्च घटाया जाये।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड्ज़ फ़ार एक्सेस ग्रान्ट्स में लिखा है कि १९६०–६१ के लिए यह एमाउंट मांगा गया है। इस से प्रतीत होता है कि सरकार ने ख़र्च तो कर दिया, लेकिन कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर-जेनेरल के आबजेक्शन के कारण सरकार इस में एडजस्टमेंट करना चाहती है। मेरी समझ में नहीं आता कि शासन के पास इतना एफ़िशेन्ट स्टाफ़ होते हुए भी वह हमेशा इस प्रकार की ग़लतियां क्यों करता है। उस का एक ही कारण प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय जो दौरे करते हैं, वे एट दि एंड आफ़ दि यीअर, साल ख़त्म होने के समय, करते हैं। सैंट्रल गवर्नमेंट के एप्राप्रिएशन एकाउंट्स में पेज ७७, ग्रान्ट ४७ के नीचे लिखा है कि अनुदान से २७,२७८ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है जिस का विनियमन करने की आवश्यकता है। १९६०–६१ के अन्त में दौरे का खर्च बढ़ गया था। यह ग़लती १९६०–६१ में हुई और इसी लिए आज हाउस का इतना समय लिया जा रहा है और शासन यह डिमांड मांगने के लिए आया है। वही गलती १९६१–६२ में भी रिपीट की गई है। एट दि एंड आफ़ दि यीअर टूर किये

गये हैं और बताने के लिए कुछ एमाउंट सरेंडर कर दिया गया और फिर एक्सेस एमाउंट मांगा गया । मैं इस प्रथा के विरुद्ध हूं । अगर एफ़िशेंट स्टाफ़ के होते हुए भी ऐसी ग़लतियां बार-बार की जाती हैं, तो इस से ज्यादा दुःख की कोई बात नहीं हो सकती है ।

डिमांड नं० १७ मध्य प्रदेश से पुलिस बैटेलियन के भेजे जाने के बारे में है और इसी लिए मैं इस में ज्यादा इन्ट्रेस्टिड हूं । डिमांड नं० ५६ मणिपुर के बारे में है । नागा हिल्ज़ में अपराध (क्राइम्ज़) इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि मणिपुर में लोगों के लिए शान्त नागरिक जीवन व्यतीत करना बड़ा मुश्किल हो गया है । इतना ख़र्च करने के बाद भी शासन वहां के लोगों के जीवन की सिक्युरिटी की व्यवस्था करने में सफलीभूत नहीं हुआ है । मणिपुर की एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि उखरुल और लामेंगलांग सब डिवीज़नों को उपद्रवग्रस्त घोषित किया गया था । उस रिपोर्ट में क्राइम्ज़ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिस से मालूम होता है कि जहां तक डाके (डैकायटीज़) का सम्बन्ध है, १९६१–६२ में ४२ केसिज़ रिपोर्ट किये गये, जिन में से केवल ८ का इन्वेस्टीगेशन हुआ और कोर्ट में प्रासीक्यूशन केवल एक का हुआ । इसी प्रकार किड-नैपिंग के ११० केसिज़ रिपोर्ट किये गये, जिन में से ५६ केसिज़ का इन्वेस्टीगेशन हुआ और केवल ७ केसिज़ का प्रासीक्यूशन हुआ । उस स्टेटमेंट से यह भी ज्ञात होता है कि वहां पर कुल क्राइम्ज़ १७७२ रिपोर्ट किये गये, जिन में से १०२७ का इन्वेस्टीगेशन हुआ और केवल ५१० का प्रासी-क्यूशन हुआ । एक माननीय सदस्य के कथनानुसार, जो नागालैंड के पास मणिपुर में रहते हैं, और अख़बारों में प्रकाशित समाचारों से मालूम होता है कि नागालैंड में डिस्ट्रबैंसिज़ बढ़ रही हैं । इस से प्रतीत होता है कि शासन को वहां पर ला एंड आर्डर स्थापित करने में सक्सेस नहीं मिली है । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नागा गुंडाज़ से १५ ब्रिटिश राइफ़ल्ज़ और १८ जैप राइफ़लें प्राप्त की गईं । इससे प्रकट है कि उन लोगों को बाहर से राइफलें पहुंचाई जाती हैं । अगर इतना ख़र्च करने के बाद भी वहां पर कोई सिक्युरिटी नहीं है और डैकायटीज़, किडनैपिंग्ज़ और मर्डर हो रहे हैं, तो शासन को वहां की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए और वहां के गांवों के लोगों को शस्त्र देने चाहिए ।

डिमांड नं० ८५ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफस के बारे में है । आज टेलीफ़ोन्ज़ की बहुत मांग है, लेकिन पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्स डिपार्टमेंट की व्यवस्था ऐसी है कि एप्लाई, एप्लाई, नो रेप्लाई । वह एक अजगर डिपार्टमेंट है । समझ में नहीं आता कि कहां पत्र भेजे जाते हैं । सधवा में, जहां मैं रहता हूं, मनी-आर्डर फ़ार्म्ज़ नहीं मिलते हैं । मैंने इस के बारे में पोस्ट-मास्टर जैनरल को वायर किया, लेकिन उस का कोई जवाब नहीं आया और अब भी वहां पर मनी-आर्डर फ़ार्म्ज़ का डेफ़िस्टि है । आस-पास के गांवों से फार्म ला कर मनी-आर्डर करना पड़ता है ।

जहां तक टेलीफ़ोन्ज़ का सम्बन्ध है, सेंधवा में तो टेलीफ़ोन है, लेकिन आस-पास के गांवों की जनता बहुत समय से टेलीफ़ोन मांग रही है । इस के लिए बहुत प्रार्थनापत्र (एप्लिकेशन्ज़) भेजी गई हैं, लेकिन व्यापार केन्द्र (बिज़िनेस सेंटर) होने पर भी वहां टेलीफ़ोन नहीं उपलब्ध किये गये हैं । इस की वजह यह है कि पोस्ट आफ़िस का सर्कल नागपुर में है । एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी १९६२–६३ की रिपोर्ट में पेज ५ पर स्ट्रिक्टर्ज़ पास किये हैं :

अब मैं नैशनल हाइवेज़ के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं । हमारे यहां से आगरा बम्बई रोड गुज़रती है । नर्बदा नदी बीच में उसके पड़ती है । १९५६ में उस पर एक पुल बनाया गया है । बरसात के दिनों में प्रायः यह देखा गया है कि वह पुल आठ आठ रोज़ तक लगातार बन्द रहता है । उस नदी में सरकारी बोट्स चलती थीं, वे भी एक बार जब बोट डूब गई, और लोगों ने सरकार को डैमेजिज़ के नोटिस दिये, बन्द कर दी गईं । नर्बदा नदी पर ऐसा पुल बांधा जाना चाहिये जोकि

[श्री बड़]

बारहों महीने काम दे सके और ऐसा न हो कि ट्रेफिक इस तरह से बन्द करना पड़े । जब पुल को बन्द कर दिया जाता है तो इस का नतीजा यह होता है कि इंदौर साइड के लोग इंदौर में पड़े रहते हैं और दूसरी तरफ बम्बई के दूसरी तरफ पड़ रहते हैं और ट्रेफिक रुका (ब्लाक्ड) रहता है । वहां पर टॉल टैक्स भी लिया जाया करता था सवा रुपया या दो रुपया के हिसाब से लेकिन एक क्वेश्चन मैं ने इस के बारे में किया था और उस के जवाब में मुझे बताया गया है कि वह बन्द हो गया है । जब ट्रेफिक वहां आवागमन पर रुक जाता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि पोस्ट आफिस का काम भी रुक जाता है और टेलीग्राफ और वायर सिस्टम से ही कांटैक्ट स्थापित रह पाता है । इस पुल को बनाने की आप ने कोई व्यवस्था नहीं की है । १९६०-६१ के लिए जो आप खर्च कर गये हैं, उसकी मंजूरी यहां मांगने आये हैं । मैं कहना चाहता हूं आप इस मौके पर बतायें कि नैशनल हाइवेज़ के बारे में आप ने क्या किया है । आप टैक्स लेते हैं लेकिन पुल आज भी ऐसा नहीं बना पाये हैं कि जो वह बन्द हो जाता है बरसात के दिनों में वह बन्द न हो पाये । जब वह बन्द हो जाता है तो जो मालवाहक ट्रक्स पंजाब से इंदौर और बम्बई के इंदौर से दिल्ली आते जाते हैं, वे सब वैसे के वैसे पड़े रहते हैं । मैं चाहता हूं कि शासन इस तरफ ध्यान दे ।

जहां तक टेलीफोन की डिमांड का सम्बन्ध है, तीसरे प्लान में आप ने जो लक्ष्य रखा है, वह किस तरह से पूरा होगा, इस को आप हमें समझायें । यह खर्चा तो आप कर गये जो दूध गिर गया, उस पर रोने से फायदा नहीं हो सकता है । खर्चा आप कर गये हैं । उस पर अब टीका टिप्पणी करनी बेकार है । यह टीका टिप्पणी इसी दृष्टिकोण से की जा रही है कि आगे से आप ठीक काम करें ।

†**श्री ब० रा०भगत :** अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में कही गई बातों को लेने से पूर्व मुझे माननीय सदस्यों के मन में बार बार उठने वाली इस गलत धारणा को दूर करने का प्रयत्न करना है कि बहुत अधिक फजूल-खर्ची होती है या अतिरिक्त धन खर्च होता है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है । प्रारम्भ में ही यह बताया जा चुका है कि अतिरिक्त व्यय विशेष लेखा प्रक्रिया के कारण होता है जिस के कारण कभी कभी यह जानना कठिन होता है कि आय-व्ययक में उपबंधित राशि कम पड़ेगी या अधिक होगी । लेखे के वर्ष के काफी बाद सारे लेखे और रसीदें पूरी हो जाने पर राशि की कमी या अधिकता का पता लगता है । अत: मैं अनिवार्यत: इस बात पर बल देना चाहता हूं कि राशि खर्च होने के तुरन्त बाद अतिरिक्त व्यय का पता लगाने के लिए सारा भुगतान चेकों के रुप में न हो और उसकी सूचियां तैयार न की जायें तो वर्तमान लेखा-प्रणाली में ऐसा होना स्वाभाविक है । इस पर विचार कर के एक दो विभागों में इस का प्रयोग किया गया था और अधिक खर्च के कारण इसे छोड़ देना पड़ा । यह मांग करना ज्यादती होगा कि वर्तमान लेखा प्रणाली का बजट व्यवस्था में खर्च की कमी या ज्यादती बिल्कुल दूर कर दी जाये । अब हमें सभा में अनुपूरक मांगों या अतिरिक्त व्यय को विनियमित करवाने के लिए आना पड़ेगा । सरकार तो इस के लिए प्रयत्नशील है, सभा, प्राक्कलन तथा लोक लेखा समितियों को देखना चाहिये कि अतिरिक्त खर्च व्यय से कम हो । सारे वर्ष का बजट देखें तो उस में केवल ६·९५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है । हज़ारों करोड़ रुपये के बजट में यह बहुत थोड़ी प्रतिशतता है अर्थात् १ प्रतिशत से भी कम । अत: यह कहते हुए कि फजूलखर्ची होती है माननीय सदस्यों ने सावधानी नहीं बरती ।

नागालैंड की मांगों के सम्बन्ध में कुछ बातें कही गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बड़े** : महालेखा परीक्षक का यह कथन है कि राशि लौटाने की बजाय उन्हें इस प्रकार अतिरिक्त व्यय नहीं दिखाना चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सब किया जा रहा है। किन्तु जैसा मैं ने कहा जब तक लेखा प्रणाली और लेखा परीक्षा को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जाता तब तक ऐसा अनिवार्य है। इस मामले को महालेखापरीक्षक और सभा की समिति को सौंप दिया गया है। पृथक्करण को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और अधिक खर्च होगा।

यह कहा गया था कि नागा विद्रोहियों के पास आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं जिन्हें वे पाकिस्तानी सेनाओं से प्राप्त करते हैं। आधुनिक शस्त्रास्त्र कहीं से भी खरीदे या प्राप्त किये जा सकते हैं अतः पूरे मामले की जांच किये बिना यह कहना अनुचित है कि उन्ह अमुक साधन से हथियार मिलते हैं। सरकार जांच कर रही है और निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने पर सभा को बतायेगी।

मुझे आश्चर्य है कि यह सामान्य बात कही गई है कि पैसे तो दिये जा चुके हैं किन्तु सड़कें नहीं बनी। यह सच है कि सदस्यों पर सरकार की आशा के अनुसार काम तेजी से नहीं हुआ। मुझे बताया गया है कि सड़कें न केवल बनाई जा रही है बल्कि सड़क निर्माण कार्यक्रम को बड़ाया भी जा रहा है। किन्तु सदस्य को यह अनुभव करना चाहिये कि नेफा में थोड़ी सी विशेष अवधि में ही निर्माण क्या हो सकता है।

यह भी कहा गया कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्रकी सहायता के लिये संधारण का मूल्य निर्धारित किया गया है। यह भी पूछा गया कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में लागत क्यों बढ़ रही है और उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये या दूसरा कारखाना स्थापित करना चाहिये। सच यह है कि पुराने कारखाने नयों की तुलना में बहुत सस्ते हैं क्योंकि नये कारखाने में अत्यधिक पूंजी लगी। आज इस्पात कारखाने पर २०० करोड़ रुपया लगाना पड़ता १०,१२ या २० वर्ष पूर्व बहुत कम पैसा लगाना पड़ता था अतः उनकी प्रति टन लागत कम है। सरकार केवल राष्ट्रीयकरण के हेतु राष्ट्रीयकरण नहीं करती क्योंकि वह लोक हित अथवा राष्ट्रीय हित में नहीं है। संधारण मूल्य की नीति राष्ट्रीय हित के विचार से अपनाई गयी है। टाटा और इंडियन आयरन ने तो मांग की थी कि अधिक संधारण मूल्य निर्धारित किया जाये और यद्यपि उससे सरकारी कारखानों की हानि कम दिखाई देती किन्तु महत्वपूर्ण वस्तु का मूल्य न बढ़े इस विचार से सरकार ने बहुत विचार के पश्चात बाजार अथवा गैर-सरकारी उत्पादकों की आशा के प्रतिकूल कम मूल्य निर्धारित किया था। इस प्रकार सरकार की नीति का उद्देश्य स्पष्ट है कि इस्पात, सीमेंट या कोयले जैसी मुख्य वस्तुओं का मूल्य निर्धरित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्र का हित किस में है उपभोक्ता का हित किस में है और बाद के उत्पादकों की लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाद-विवाद का उत्तर देते हुए इस्पात और भारी उद्योग मंत्री ने यही बात स्पष्ट की थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: क्या माननीय मंत्री बोकारों इस्पात कारखाने के समाचार के बारे में भी कुछ बतायेंगे ?

†**श्री ब० रा भगत** : माननीय मंत्री अभी जर्मनी से लौटे है और वे उपयुक्त समय पर इस बारे में बतायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

माननीय सदस्यों ने बताया कि मंत्रियों के दौरों पर फिजूलखर्ची की जाती है। वे यह भूल जाते है कि मंत्री किसी मुनाफे के लिए दौरे नहीं करते। इस खर्च की राशियों का चाहे वे रेलवे का किराया हो या विमान का केवल समायोजन किया जाता है। मंत्री को कुछ नही मिलता।

माननीय सदस्य ने कारों द्वारा दौरे की ओर निर्देश किया था किन्तु यदि कार या सड़क द्वारा बहुत कम दौरा होता है क्योंकि वे अधिकांश जगहों पर विमान या गाड़ी द्वारा जाते हैं। जब सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया जाता है तब भी मंत्रियों को कुछ नहीं मिलता। पेट्रोल वगैरा का व्यय में प्रश्न नहीं होता। अधिकांश स्थानों पर मंत्री राज्य सरकारों के महमानों के रूप में रहते हैं और उन्हें नौकरों को देने के लिये तथा अन्य बचतों के लिए एक-चौथाई दैनिक भत्ता मिलता है। अतः इससे मंत्रियों को कोई लाभ नहीं होता।

तब खर्च क्यों बढ़ गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केन्द्र में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। बजट सत्र में तो मंत्रियों के लिये बाहर जाना बहुत कठिन होता है अतः यह सुविधा की बात है कि कभी वर्ष के अन्त में दौरे का कार्यक्रम बढ़ जाता है। इसे फजूलखर्ची कहना ठीक नहीं। माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्रियों को बोरियों के वस्त्र पहनने चाहियें। क्या वे चाहते हैं कि मंत्री साधुओं की तरह रहें। संसद् यह तो नहीं चाहती कि हम साधुओं की तरह रहें। वह तो यहीं चाहेगी कि हम सामान्य लोगों की तरह रहें और हमारे दौरों में फजूलखर्ची न हो। हाल ही में हमने मंत्रियों के साथ जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों का दौरा बंद कर दिया है।

प्रधान मंत्री ने एक परिपत्र भी निकाला है कि मंत्री सेलून न लिया करें और संभवतः रेलवे मंत्री जो प्रायः अपने कार्यवश बाहर दौरे पर रहते हैं सेलून लेते हैं, यह सावधानी बरती जाती है कि जिस खर्च को रोका जा सकता है वह कम से कम हो। वास्तव में संसद् ने मंत्रियों को ऐसे काम सौंप रखे हैं जिनके लिए उन्हें देश भर में जाना पड़ता है। अब संकटकाल है और यह संसद् को अनुभव करना चाहिये कि इस काल में मंत्री दफ्तर में फाइल का ही काम करे या देश में अधिकाधिक लोगों से मिलें। विकास, प्रतिरक्षा और अन्य कार्यों के संबंध में काम बढ़ रहा है। यदि इस काम के लिए उन्हें अधिक दौरे करने पड़ें तो इसे फजूलखर्ची नहीं समझना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६०-६१ के लिये आय व्ययक (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
		रुपये
१७.	नागा पहाड़ियां--त्वेनसांग क्षेत्र	७,०९,१२६
२४.	आय पर कर आदि	१,१५,५२८
४६.	मंत्रिमंडल	२,०५,८१९
५६.	मनीपुर	३,०६,८६९
६६.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	५३,२२२

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांगें की राशि
		रुपये
८२.	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१,७२,००,२२०
८५.	सामान्य राजस्व में डाक तथा तार विभाग का लाभांश तथा रक्षित निधि में विनियोजन .	७७,४०,६५९
८७.	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश पोत .	७,६२,३१४
९२.	संचार (राष्ट्रीय राजपथों सहित)	१०,७३,२६६
९६.	अन्य असैनिक निर्माण-कार्य .	१,६४,१०,४५०
१३३.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	२,४८,९१,७९९

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे) १९६०-६१

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम रेलवे के संबंध में वर्ष १९६०–६१ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा करेंगे।

क्रमांक संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त मांग की राशि
२०.	विकास निधि में विनियोग	१३,५८,९०,१६०

इसके लिये निर्धारित समय आधा घंटा है।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १९६०–६१ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें एक स्वीकृत अनुदान और है पारित विनियमों के संबंध में है लोक लेखा समिति (तीसरी लोक सभा की सिफारशों के अनुरूप प्रस्तुत की गई है। समिति ने वर्ष के विनियोग लेखे के पुनर्विलोकन और नियंत्रक महा लेखा परीक्षण द्वारा भली प्रकार जांच के बाद उन्हें दिये गये अतिरिक्त व्यय संबंधी टिप्पण के निकाय स्वरूप अपने प्रतिवेदन खंड १ के पैरा १२ में कहा है :—

"कि समिति सिफारिश करती है कि संविधान के अनुच्छेद ११५ में विहित ढंग में (प्रतिवेदन के पैरा १० में) अतिरिक्त व्यय का संसद् विनियमित करे।"

संसद द्वारा एक ही पारित अनुदान में १३ करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय हुआ है। १९६०–६१ में १९५९–६० के तीन अनुदानों की तुलना में एक ही अनुदान में अतिरिक्त व्यय हुआ है।

इस अतिरिक्त व्यय पर विचार करते हुए इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि रेलवे का अतिरिक्त धन ऐसे अनेक कारणों का द्योतक है जो रेलवे बजट पर प्रभाव डालते हैं और जिन पर नियंत्रण संभव नहीं। १३ करोड़ का अतिरिक्त धन प्राविधिक अतिरिक्त धन है क्योंकि अनुदान संख्या २० व्यय संबंधी अनुदान नहीं बल्कि वास्तविक अतिरिक्त धन का समायोजन मात्र है। इस बजट में १८·४३ करोड़ रूपये के अतिरिक्त धन की आशा की थी और वह सारे का सारा विकास निधि में लगाने का विचार था। वर्ष के अन्त में वास्तविक अतिरिक्त धन ३२·०१ करोड़ रूपया था जिसका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

विकास निधि में वास्तविक विनियोग हुआ है। १३·५९ करोड़ रूपये की वृद्धि विभिन्न कारणों और अर्थव्यवस्था के प्रभाव के कारण है। अन्य प्रभारित विनियोगों में मामूली वृद्धि हुई है। १६८, ५१५ रूपये और २८,५७० रूपये में थोड़ी सी वृद्धि ४९७ रूपये की है। अन्य तीन मदें या तो न्यायलयों की डिग्रियों के पालन के लिए हैं जिनकी आशा नहीं थी या रेलवे के निर्माण के लिये अर्जित भूमि की नीति पूर्ती के लिए असैनिक प्राधिकारियों द्वारा की गई अतिरिक्त मांग के कारण है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव सभा के समक्ष है।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस खर्च का विनियमन करने के लिए लोक लेखा समिति ने सिफारिश की है, ऐसा है जिसे कुछ प्रकार की मदों में मूल बजट में दिखाया गया था। ऐसी मदों के अर्न्तगत सभा नहीं जान सकती कि प्रकाशित खर्च की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। सरकार ऐसी मदो पर खर्च करने के बाद उसकी स्वीकृति मंगाती है जो कि अनुचित है। ऐसी अनियमितता का पता लोक लेखा समिति द्वारा जांच करने पर लगता है। ऐसी अनियमितता की रोक थाम होनी चाहिये।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : मैं मांग का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माल डिब्बों के संभरण में अब भी कठिनाइयां है जिसके कारण इमारती लकड़ी आदि के यातायात में बहुत कठिनाई होती है।

संथाल परगना में गोड्डा महत्वपूर्ण स्थान है जो रेलवे स्टेशन से ३० मील दूर है। वहां से रेलवे का सामान स्टेशन तक लाने में अब कठिनाई होने लगी है जब से बस सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया है रेलवे को यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिये या ठेकेदारों को दे देना चाहिये।

कई स्टेशनों पर पानी के पम्प बहते रहते हैं और पानी के निकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सरजू पांडेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं डिमांड नम्बर १३ पर कुछ कहना चाहता हूं। इसमें २५ हजार रुपये की मांग की गयी गयी है जिससे कि रेलवे कर्मचारियों के लिये अस्पतालों, पानी, स्कूलों, और पढ़ने आदि की व्यवस्था करने की बात है। मैं समझता हूं कि यह मांग तो वाजिब है। लेकिन मेरी शिकायत है कि खास तौर से छोटे रेलवे कर्मचारियों की अवस्था बहुत खराब है और वह भी खास तौर से नार्थ ईस्टर्न रेलवे पर। बहुत से स्टेशनों पर उनके लिये जो मकान हैं वे नाकाफी हैं और उनमें जगह बहुत कम है। बहुत से स्कूलों में टीचर नहीं है। और जो अस्पताल हैं उनमें उनका ठीक से इलाज नहीं होता। आपको सैकड़ों ऐसे रेलवे कर्मचारी मिलेंगे जो तरह तरह के रोगों के शिकार हैं, खास तौर से तपेदिक के मगर उन अस्पतालों में उनकी दवा नहीं होती और कभी कभी तो वे बड़े परेशान होते हैं और दूसरे अस्पतालों में भागते फिरते हैं। खास तौर से लखनऊमें, चारबाग में रेलवे कर्मचारियों के क्वाटर्स में पानी की अवस्था बहुत खराब है। पार्क के लिये रुपया मंजूर है मगर पार्क नहीं बनाया गया। छोटे छोटे कर्मचारियों से क्वार्टर का किराया तो चार्ज किया जाता है लेकिन उनको मकान नहीं मिलता।

इसी तरह से आप छोटे स्टेशनों पर जायें तो आप उनकी हालत देख सकते हैं। अगर आपको इलाहाबाद से कटिहार जाने का मौका हो तो आप देखेंगे कि स्टेशनों पर कर्मचारियों की बड़ी बुरी अवस्था है, उनके लिये न मकानों की व्यवस्था है, न पानी की, न स्कूलों की न अस्पताल

†मूल अंग्रेजी में

ठीक से काम करते हैं। इस लिये मेरा निवेदन है कि जो भी पैसा मिलता है उसका ठीक से इस्तेमाल हो। मेरा कहना यह है कि रेलवेज़ में छोटे कर्मचारियों की अवस्था बहुत ही खराब है। जो लोग सारी रेलवेज़ को चलाने के जिम्मेदार हैं, उनकी अवस्था बहुत बुरी है। मंत्री महोदय उनकी तरफ़ ध्यान दें और जो पैसा यहां से दिया जाता है, उसको सही मायनों में इस्तेमाल करने की व्यवस्था करें।

†**श्री सुब्बारामन** (मदुरै) : मांग का समर्थन करते हुये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सदस्यों को जब वापस जाना होता है तो उन्हें अपने नौकरों के लिये तीसरे दर्जे के टिकट लेने में कठिनाई होती है। उन्हें दस दिन पहले टिकटें नहीं मिलती और जब वे टिकट लेने स्टेशन पर जाते हैं तो कहा जाता है कि टिकटें समाप्त हो गई। माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मांग का समर्थन करते हुये मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोंडा स्टेशन की डिस्पेंसरी में ७ डाक्टरों की मंजूरी है किन्तु वहां केवल ३ डाक्टर नियुक्त हैं।

कटिहार में दो मंजिले क्वार्टर बनाये गये हैं किन्तु वहां ऊपर की टंकियों नहीं बनाई गईं।

सिलीगुरी जक्शन पर पीने के पानी का पम्प गन्दी नाली के पास है और पानी साफ करने का प्लांट भी नहीं है।

मेलीगांव में विपणन की उचित व्यवस्था है। बागगेरा वर्कशाप, गोरखपुर पुल की वर्कशाप में सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।

सभी स्टेशनों पर सहायक स्टेशन मास्टरों और प्वाइट्समैनों के आराम के लिये एक एक कमरा होना चाहिये।

गोंडा में एक तालाब है जिसे श्री शाहनवाज खां के तैरने का तालाब कहते हैं किन्तु वहां गन्दगी भरी रहती है।

२ अप्रैल, १९६३ को गुड़गांव में एक सब इस्पेक्टर ने वहां के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और अन्य कर्मचारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। ऐसी बातों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेशन मास्टर के पास और गार्ड के डिब्बे में जो फर्स्ट एड के बक्स रखे जाते हैं, वे प्रायः काम में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको आवश्यक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरा सुझाव है कि स्टेशन मास्टरों और गार्डज को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाये और इसके लिये रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाये, ताकि लोगों को छोटी मोटी चोट आने पर फर्स्ट एड दी जा सके।

सैंट्रल रेलवे में कानपुर से झांसी जो लाइन जाती है, उस पर एक स्टेशन चौंरा है, जो कि जंगल में स्थित है। वहां पर बिजली देने के बारे में चेयरमैन रेलवे बोर्ड द्वारा वादा किया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाये, ताकि वहां पर वाटर वर्कस बिजली से काम कर सके और स्टेशन और स्टेशन मास्टर आदि के घर में बिजली लगने पर उस जंगल में उन की सुरक्षा भी हो सके।

साथ ही लगा हुआ पुखरायां स्टेशन है। वहां पर रेलवे का एक मुसाफिरखाना बना हुआ है, लेकिन उस मुसाफिरखाने में पानी का इंतजाम नहीं है। कुंआ वहां से दूर है। पुखरायां में म्यूनि-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बृजबिहारी मेहरोत्रा]

सिपल वाटर वर्क्स है लेकिन इस मुसाफिरखाने में पानी दस्तयाब नहीं है। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहां पर नल लगाकर पानी का इंतजाम कर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर टुंडला के बीच में मंडौली नाम की जगह पर जो लेवेल क्रासिंग नम्बर ९० है, वहां पर एक फ्लैग या सब स्टेशन बनाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन वह आज तक भी नहीं बन पाया है। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां पर सब स्टेशन बनाने में जल्दी की जाये ताकि बरसात के पहले वह बन जाये।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी इन बातों पर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर) : ये जो अतिरिक्त मांगें यहां पर प्रस्तुत की गई हैं उनका समर्थन करते हुये एक दो बातें मैं कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे।

वीना कोटा सैक्शन के ऊपर गेट नम्बर ८ के नजदीक बहुत समय से इस बात की मांग की जा रही है कि वहां स्टेशन की आवश्यकता है। साथ ही वहां पर यात्रियों के खड़े होने का कोई इंतजाम नहीं है जिसकी वजह से बरसात और गर्मी के दिनों में यात्रियों को बेहद तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि अगर स्टेशन बनाने में देर हो तो कम से कम शैड की व्यवस्था तो वहां एक दम करदी जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी वीना में क्लास ३ और क्लास २ के कर्मचारियों की सभा हुई थी और मुझे भी उस सभा में आमंत्रित किया गया था। उस सभा में कहा गया कि मकानों के किराये बहुत बढ़ा दिये गये हैं जिससे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। वर्तमान समय में जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है, मकानों के किराये बढ़ाना मैं उचित नहीं समझता हूं। एक अर्से से उन लोगों को थोड़े किराये देने पड़ते थे लेकिन अब वे बढ़ा दिये गये हैं। मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर ध्यान दे और उनके मकानों के किराये कम करने की कृपा करे।

एक बात मुझे बड़े दुःख के साथ कहनी पड़ रही है और वह सागर स्टेशन के बारे में है। रेलवे क्रासिंग पर ब्रिज बनाने की बात को केन्द्रीय सरकार ने पांच साल हुये मंजूर कर लिया था और उसके लिये वह हर साल बजट में व्यवस्था करती आ रही है लेकिन आज तक वह उस पैसे का उपयोग नहीं कर सकी है। प्रांतीय सरकार से कहा गया था कि वह अपना एलाटमेंट करे जोकि उसने नहीं किया था। मुझे खुशी है कि इस वर्ष उसने अपना कोटा निर्धारित कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो निश्चय किया गया था, उस पर अब जल्दी से अमल होना चाहिये और कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिये। इसके कारण वहां लोगों को यातायात के मामले में बड़ी असुविधा होती है। यह बहुत आवश्यक है। शहर एक तरफ बसा हुआ है और स्टेशन दूसरी तरफ। यह भी बहुत जरूरी है कि स्टेशन से माल गोदाम तक के लिये एक लोहे का ओवर-ब्रिज डाल दिया जाये जिससे यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधा हो सके।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे की डिमांड के ऊपर बोलते समय में एक दो बातों की तरफ संक्षेप में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। लाखेरी में शहर एक

तरफ है और स्टेशन दूसरी तरफ। इस लिये वहां पर अगर ओवर ब्रिज बनाना जरूरी है और यदि आपके लिये यह संभव नहीं है तो कम कसे कम आप फुट ब्रिज बनाने की कृपा तो करें ताकि लोगों की जो समस्या है वह हल हो सके। आप की ट्रेंज़ जहां चाहें ठहर जाती हैं, मिनट दो मिनट के लिये आप जहां चाहें उनको ठहरा देते हैं। लेकिन आप इंद्रगढ़ या लाखेरी में जनता को नहीं ठहराते हैं और इसकी वजह से यात्रियों को कम से कम चौदह घंटे तक स्टेशन पर पड़े रहना पड़ता है और तब जाकर उनको दूसरी गाड़ी मिलती है। वहां पर अगर आप जनता को दो मिनट के लिये ठहरा दें तो बहुत लाभ यात्रियों को हो सकता है ।

कोटा राजस्थान के जो क्वार्टर्ज बने हुये हैं रेलवे के, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उनका वितरण ठीक ढंग से नहीं होता है और जिनकी सिफारिश होती है, उनको तो दे दिये जाते हैं और जिनकी सिफारिश नहीं होती है, उनको वे मिलते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि यह जो आधार है इन क्वार्टरों को एलाट करने का यह नहीं रहना चाहिये और सही आधार पर इनका वितरण होना चाहिये ।

अब मैं रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आपने स्कूल वगैरह खोल रखे हैं। वे नाममात्र के स्कूल हैं, दिखावे के स्कूल हैं। आप उनको इधर उधर भाखड़ा डैम या कोटा डैम दिखाने के लिये ले जाते हैं और इस तरह से उनका टाइम पास करके उमको छुट्टी दे देते हैं। इससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। अगर स्कूल आपने रखना है तो उसकी तरफ अच्छी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिये और उनको अच्छी ट्रेनिंग देने का आप प्रबन्ध करें।

यहां पर यह कहा गया है कि ड्राइवरों और गार्डों वगरह को सिर्फ २१३ घंटे तक महीने में काम करना पड़ता है। ब्याबर के अन्दर मुझे ड्राइवरों और गार्डों ने बताया कि उनको पांच पांच और छः छ. घंटे काम करना पड़ता है। आप चाहें तो तीन चार स्टेशनों का रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं। बेचारा गार्ड अगर मालगाड़ी के डिब्बे के अन्दर बैठा बठा सो जाता है, तो ऐसी हालत में उसका क्या कसूर है। यही वजह है कि एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। ड्राइवर भी जब लगातार इस तरह से ड्यूटी पर रहता है तो वह भी ऊंघने लग जाता है। मैंने एक बार एक से पूछा कि क्या तुम शराब पीते हो, उसने जवाब दिया कि पीते तो जरूर हैं, लेकिन ड्यूटी के बाद पीते हैं। क्या करें इतने थक जाते हैं कि हमें उठाने वाला कोई नहीं होता है। मैं इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिये आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। आप दो ड्राइवर्ज के पीछे एक और ड्राइवर रख दीजिये और इसी तरह से दो गार्डों के पीछे एक गार्ड और रख दीजिये, तो इन एक्सीडेंटस की संख्या बहुत कम हो सकती है और आपका खर्चा भी अधिक नहीं होगा। आप आज भी उनको डेढ़ रुपया प्रति घंटा के हिसाब से शायद ओवर टाइम एलांउस देते हैं। यह जो ओवर टाइम आप देते हैं, इतने में या इसमें कुछ और डाल कर आप एक आदमी ज्यादा रख सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपने नौकरियों के ५०० जगों के लिये दरख्वास्तें मंगाई थीं और आपके पास सत्तरह हजार एलीकेशंज आ गई थीं जिन में से ग्यारह हजार मैट्रिक, बी० ए० और एम० ए० थे। इन ग्यारह हजार को आप क्यों नहीं रख लेते हैं, पुराने कर्मचारियों को क्यों नहीं लेते हैं। अगर ऐसा किया जाये तो एक्सीडेंट होने बन्द हो सकते हैं। और पढ़े हुये लड़कों को काम भी मिल सकता है और बेकारी की बात कम हो सकती है आपका काम भी अच्छा हो सकता है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : माननीय सदस्यों ने रेलवेज की बहुत सी कमियों पर प्रकाश डाला है, जैसे स्थान की कमी, स्कूलों, अस्पतालों, क्वार्टरों, नलों, जल सम्भरण तथा ढके हुए शैडों आदि की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सें० वें० रामास्वामी]

कमी। परन्तु मेरा आप से सादर निवेदन है कि उन का अधिकाई अनुदानों की मांगों (रेलवेंज़) से इतना संबंध नहीं है। कुछ भी हो, इन बताई गई कमियों पर समुचित विचार करके उन को दूर करने का प्रयास किया जायेगा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि शीघ्र ही प्रत्येक खण्ड की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें हो रही हैं और इन बताई गई कमियों को सम्बद्ध जनरल मैनेजर के समक्ष रखा जा सकता है जो उन बैठकों में इन पर विचार विमर्श कर के पश्चात् इन का समाधान कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इन की बैठकें अधिक होनी चाहिएं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा हो सकता था परन्तु आपात के कारण बाधा पड़ गई। दिसम्बर में एक बैठक होने वाली थी वह भी आपात के कारण नहीं हो सकी। साधारणतया हम वर्ष में दो बार मिलते हैं।

श्री बारियर ने इस बात पर आग्रह किया कि लेखा संबंधी इतनी प्रक्रियाओं के बाबजूद भी गलतियां क्यों होती हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि केवल एक बड़ी अधिकाई मद लगभग १३,५९ करोड़ रुपये की है। यह केवल एक तकनीकी बात है। हमारी पूर्वधारणा से काफी अधिक है। इस लिये, यह एक अलग लेख के लिये विनियोग था। आखिर यह एक किताबी हेरफेर की बात है, और संसद् द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं हुआ है।

जहां तक अन्य मदों का संबंध है, भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर देने के संबंध में असैनिक न्यायालयों की कुछ न्यायालय डिक्रिया तथा परिनिर्णय हैं। इन बातों की प्रत्याशा नहीं हो सकती थी। निस्संदेह एक बात माननी पड़ेगी कि दो अथवा तीन मदें ऐसी हैं जो 'भारित' व्यय में दिखाये जाने की बजाय 'मतदेय' व्यय में दिखाई गई। यह गलतियों संबंद्ध रेलवे प्रशासनों के ध्यान में लाई गई हैं।

आखिर ऐसी छोटी मोटी गलतियों को उचित प्रसंग में देखना चाहिए। १००० करोड़ से भी अधिक आयव्ययक में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा केवल २.२ लाख रुपये की गलतियां पकड़ी गई हैं। अनुपाजिक दृष्टि से यह बहुत कम है।

जहां तक अन्य उठाई गई बातों का संबंध है, उन का समाधान अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय हो सकता है।

इस लिये मैं अनुरोध करता हूं कि अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान हो।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: इस पर कटौती प्रस्ताव कोई नहीं है। इस लिये मैं मांग को सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

'उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६०-६१ के रेलवे के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२०	विकास निधि में विनियोग	१३,५८,९०,१६० रुपये

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, १९६३ विधेयक

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : श्री स्वर्ण सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमनि दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर इस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में रेलवे के निमित्त कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में उन के लिये स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूचि अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (रेलवे) १९६३-६४

वर्ष, १९६३–६४ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	१०,००,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन	१,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	२,३३,३०,०००
१४	नई लाइनों का निर्माण	२०,००,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उक्त अनुपूरक मांगें सभा के समक्ष हैं ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : मैं परिचय के तौर पर संक्षेप में कहूंगा कि अनुपूरक मांग संख्या २ (सर्वेक्षण) तथा संख्या १४ (नई लाइनों का निर्माण) दोनों सिलिमुडी के निकट से आसाम तक परियोजित नई लाइन के संबंध में है। इस का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष १९६३-६४ के लिये आयव्ययक तैयार करने के पश्चात् लिया गया था ।

इन के अतिरिक्त पत्तन क्षेत्रों में लाइन के अलावा, गोआ की मुख्य रेलवे लाइन के व्यय के रेलवे अनुमानों में हस्तांतरण को विशेष रूप से संसद् के ध्यान में लाने के लिए अनुपूरक मांगों में १ कोयले के मूल्यों के दो नजरोपान्त पुनर्विलोकन के साधारण निर्माण व्यय पर प्रभाव (मांग संख्या ७), और (२) मांग संख्या ४, सामान्य प्रशासन, के अन्तर्गत एक प्रतीक उपबंध शामिल है । ऐसा इस लाइन के नियंत्रण तथा क्रियाकरण के परिवहन मंत्रालय (गोआ पत्तन प्रशासन) से दक्षिण रेलवे प्रशासन को हस्तांतरण संबंधी हाल ही में हुए निश्चय के अनुसार है । गोआ संबंधी कार्यवाही के पश्चात्, इस रेलवे पर नियंत्रण परिवहन मंत्रालय (गोआ पत्तन) का रहा है जो कि अन्त: कालीन प्रबंध था और इस के लेखे में व्यय के रेलवे अनुमानों को हस्तांतरण से यह मालूम होता है कि मई, १९६३ से नियंत्रण के हस्तांतरण का क्या प्रभाव पड़ा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सर्व प्रथम मैं मांग संख्या ४ पर बोलूंगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि १००० रुपये की टोकन ग्रान्ट के लिये क्यों कहा जा रहा है । गोआ का स्वतंत्र रेलवे एकक होना चाहिए था । इसे दक्षिण रेलवे से मिलाने के प्रस्ताव का मैं पूरी तरह समर्थक नहीं हूं । १००० रुपये के प्रतीक अनुदान की मंजूरी के लिये कहने की बजाय वेहतर यह होता कि हमें गोआ संबंधी स्थिति से परिचित कराया जाता । परन्तु इस के बाबजूद भी मैं इस मांग का समर्थन करता हूं । सिलिमुडी से आसाम बड़ी लाईन के लिये जो मांग है मैं उस का भी समर्थन करता हूं । पन्तु यह खेद का विषय है कि सरकार बड़ी समस्याओं को एक ही समय में न निबटाते हुए खण्ड खण्ड कर के निबटाती है । मंत्री महोदय को चाहिए कि वह संसद् सदस्यों को समस्त आसाम की परिवहन आवश्यकताओं के बारे में और सरकार द्वारा जो पग उन की पूर्ति के लिये उठाये गये हैं उन के बारे में अवगत कराये ।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के विधि विभाग में अवश्य कोई त्रुटि पाई जाती है जिस के कारण न्यायालय के मामलों में वृद्धि हो गई है। ठेकेदार भी रेलवे के लिये अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। इस लिये मैं रेलव मंत्री से पूछूंगा कि वह रेलवे के विधि विभाग को अधिक सशक्त बनाने के लिये क्या कर रहे हैं और निर्माण कार्य आदि के लिये सहकारी संस्थायें स्थापित करने संबंधी सिद्धांत को कब लागू कर रहे हैं। इन दोंनों बातों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

†**डा० रानेन सेन** (कलकता–पूर्व): रानी नगर से आसाम तक नई लाईन के लिये जो मांग है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

आसाम का महत्व देश की रक्षा और सम्पर्क की दृष्टियों से काफी है इसलिये मेरा सुझाव है कि बंगाल से आसाम तक एक बड़ी लाईन होनी चाहिए कलकत्ता से आसाम तक जाते हुए बड़ी और छोटी दोनों लाइनों पर यात्रा करनी पड़ती है गाड़ी बदलनी पड़ती है,जिसके कारण यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है । इसलिये इस लाइन को अवश्य बनाना चाहिए ।

रानी नगर से आसाम तक जो लाईन बनाई जा रही है उस के लिये बहुत सी भूमि अर्जित करनी पड़ेगी। गत वर्षों का अनुभव यह रहा है कि भूमि ले कर उस के प्रतिकर को वर्षों तक नहीं भुगताया जाता। सरकार के सभी विभागों में स्थिति यही है। मेरा अनुरोध है कि जो भूमि किसानों आदि से अर्जित की जाये उस के लिये प्रतिकर शीघ्र दे दिया जाये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसार) : पहले मैं मद संख्या ७ पर बोलूंगा । पहली मार्च से कोयले की कीमत ८० नये पैसे प्रति टन और फिर अप्रैल से ४९ नये पैसे प्रति टन बढ़ाई गई । मेरा निवेदन है कि कोयला एक मूल आवश्यकता है जिस के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों पर पड़ेगा । इसलिये बार बार कोयले के मूल्यों में वृद्धि करना ठीक नहीं है । उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये निजी कोयला खानों को मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी जाती रही है । गत वर्ष भी तीन बार कोयले के मूल्यों का पुनर्विलोकन किया गया । चालू वर्ष में एक ही मास में दो बार मूल्यों में परिवर्तन किया गया । ऐसा नहीं होना चाहिए था ।

अब मैं मद संख्या ४ के बारे में कहूंगा । गोआ को दक्षिण रेलवे के साथ मिला कर बहुत अच्छा काम किया है । इस से प्रशासनिक दृष्टि से गोआ देश के साथ एक हो जायगा ।

मद संख्या २ और २० आसाम तक बड़ी लाइन बनाने के सम्बन्ध में हैं । यह प्रसन्नता का विषय है कि बंगाल, बिहार और आसाम के सदस्यों की मांग को स्वीकार कर यह बड़ी लाइन आसाम तक बनाई जा रही है । देश के विभाजन से पूर्व आसाम तक रेलवे जाती थी परन्तु विभाजन के फलस्वरूप रंगपुर जिले में ४-५ वर्ग मील भूमि पाकिस्तान को चले जाने पर यह सीधी रेलवे नहीं रही । यदि वह भूमि का टुकड़ा भारत के पास रहता तो आसाम तक सीधे रेल सम्पर्क रह सकता था । यदि भुरुंगमदी में ३–४ मील भूमि भारत के पास हो तो भी सीधे आसाम से रेल सम्पर्क रह सकता है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री पाकिस्तान के साथ अन्य मामलों पर बातचीत करते समय इस मामले को भी उठायेंगे ताकि वह भूमि का टुकड़ा हमें मिल जाय और आसाम के साथ सीधे रेल सम्पर्क स्थापित हो सके ।

यदि फरक्का बांध पूरा नहीं होगा तो आसाम रेलवे लाइन सुरक्षित नहीं हो सकती । इसलिये, आसाम रेलवे की सामरिक महत्ता को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस बांध को पूरा किया जाय । इस के लिये यदि प्रतिरक्षा मंत्रालय को यदि कुछ धन देना पड़े तो भी इस काम में ढील नहीं करनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : आसाम तक जो बड़ी लाइन का प्रस्ताव है मैं उस का समर्थन करता हूं ।

उत्तर बंगाल और आसाम में जहां जहां रेलवे पुल बनाये जा रहे हैं वहां वहां संचार मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित कर के साथ ही साथ सड़क के पुल भी बना दिये जाने चाहिएं ताकि यह काम फिर न करना पड़े ।

कटिहार में बड़ी लाइन और छोटी लाइन के स्टेशनों में लगभग ४ फरलांग का अन्तर जिस के कारण रात्रि के समय यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अतः मेरा अनुरोध है कि इन दो स्टेशनों में सम्पर्क की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए ।

इस प्रस्तावित बड़ी लाइन पर स्टेशनों के लिये स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए ।

जिन लोगों से भूमि अर्जित की जाये उन्हें प्रतिकर अविलम्ब दिया जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री व० बा० गांधी** (बम्बई नगर—मध्य-दक्षिण) : मांग संख्या ४ के अन्तर्गत गोआ के लिये जो १००० रुपये का उपबन्ध किया गया है उस का मैं स्वागत करता हूं । गोआ केवल सामरिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । वहां की पत्तन का विकास कर के मैंगनीज आदि के व्यापार में वृद्धि हो सकती है । अतः गोआ के विकास के प्रयोजनार्थ जो भी कदम उठाया जाय मैं उस का समर्थन करता हूं ।

बजटोपरान्त जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे कोयले के मूल्यों में वृद्धि आदि, उन के कारण मांग संख्या ७, जो २.३३ करोड़ की है, रखी गई है । और साथ ही यह कहा गया है कि ईंधन, डीजल तेल आदि पर अधिक लागत के कारण अग्रेतर अनुपूरक मांगों के लाये जाने की सम्भावना है । मैं समझता हूं कि बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन और उन के मूल्य परिवहन सेवाओं पर निर्भर करते हैं । इस के परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है । अतः इन मूल्यों में वृद्धि के लिये रेलवे भी उत्तरदायी है । दो वर्ष पूर्व २१.२३ करोड़ रुपया प्राप्त करने के लिये रेलवे भाड़ा दर में वृद्धि कर दी गई थी । इस तरह की वृद्धियों का देश की समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है । इस दृष्टि से ऐसी समस्याओं पर विचार होना चाहिए ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : कोयले के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह २.६२ करोड़ रुपये की मांग रखी गई है । परन्तु इस समय यह अनुपूरक मांग रखना अत्यन्त खेदजनक बात है क्योंकि कोयले के मूल्यों सम्बन्धी स्थिति का सरकार को ज्ञान होना चाहिए था । कोयले के मूल्य सरकार की अनुमति के बगैर नहीं बढ़ते । यदि सरकार को स्थिति का ज्ञान था तो क्यों यह मांग आयव्ययक में ही नहीं रखी गई ?

रेलवे के भिन्न भिन्न भागों में कोयले की राख और अधजले कोयले के निर्वहन के लिये एक पद्धति नहीं अपनाई जाती । कहीं पर इस से काफी धन प्राप्त होता है तो कहीं पर यह दोनों वस्तुयें बेकार जाती हैं । इन के निर्वहन की पद्धति के नियमन से अधिक धन प्राप्त हो सकता है । उस से इस अनुपूरक मांग की राशि को पूरा किया जा सकता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयव्ययक के ठीक एक मास पश्चात् इस अनुपूरक मांग का प्रस्तुत किया जाना खेदजनक है। सरकार पहले से ठीक अनुमान लगाने में असफल रही है। इस के अतिरिक्त, कोयले के मूल्य एक ही मास में दो बार क्यों बढ़ने दिये गये ? इतनी वृद्धि की अनुमति क्यों दी गई ? इस का प्रभाव रेलवे पर और अन्य उद्योगों पर भी पड़ेगा। मंत्री महोदय को इन बातों का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

एक बात यह मेरी समझ में नहीं आई कि बड़ी लाइन रानीनगर से कहां तक बनाई जायेगी। आप ने रानीनगर से आसाम तक लाइन बनाने का प्रस्ताव किया है, परन्तु आसाम नाम का कोई भी स्टेशन नहीं है। आप को किसी विशेष स्थान का नाम देना चाहिए था जहां तक यह लाइन बनाई जा रही है। जब कोई मांग सभा के सामने लाई जाती है तो उस के बारे में पूरी जानकारी और आंकड़े उपलब्ध करने चाहियें। इस में छिपाने वाली बात क्या है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मीलों की संख्या तो दी गई है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : परन्तु पूर्व, उत्तर, पश्चिम अथवा दक्षिण में, किसी स्थान का नाम नहीं दिया गया है।

बड़ी लाइन बनाने सम्बन्धी निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया। आपातकाल अक्तूबर, १९६२ में आरम्भ हुआ परन्तु आज तक सरकार सोती रही। आयव्ययक में भी इस के लिये उपबन्ध नहीं किया गया। यह खेदजनक बात है।

वर्ष १९४७ से पूर्व छोटी लाइन से रेलवे को लाभ हो रहा था और बड़ी लाइन से घाटा। परन्तु अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। अब बड़ी लाइन से लाभ हो रहा है और छोटी लाइन से घाटा। आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया जाय। केवल यह देख कर कि अब बड़ी लाइनों से लाभ हो रहा है सारी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना सर्वथा अनुचित है। मेरा अनुरोध है कि सारी स्थिति का अध्ययन कर के ही कोई निर्णय किये जाने चाहिएं।

प्रतिरक्षा के बारे में जो भी व्यय हो उस पर तो कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता, परन्तु फिर भी इतना मेरा निवेदन जरूर है कि इस व्यय के विविध अंगों की समुचित छानबीन अवश्य कर लेनी चाहिए। छोटी बड़ी लाइनों में क्या दोष है और किस प्रकार खर्च हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार यह बताये कि क्या बड़ी लाइनों की तुलना में छोटी लाइन पर कम आय के प्रश्न का अध्ययन किया गया है ? यह भी बताया जाना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि सिलगुडी–हल्दीबाड़ी लाइन को बड़ी लाइन में क्यों बदला जा रहा है। इस ६१ और ३१ मील की अदला बदली का क्या लाभ होगा ?

इस के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिस से रेलवे प्रशासन की अज्ञानता का पता चलता है। रेलवे प्रशासन के विभिन्न क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र पश्चिम रेलवे का है। उसका मुख्यालय बम्बई में है। बम्बई वाले शायद यह समझते हैं कि बम्बई से आगे कोई दुनिया ही नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए कि इन्दौर-देवास-उज्जैन बडी लाइन को भारत के सर्वेक्षण विभाग के नक्शे में मीटर लाइन कैसे दिखा दिया गया। मेरा कहना यह है कि रेलवे मंत्रालय को इस प्रकार सो कर काम नहीं करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : इस बात में मैं श्री गुह का समर्थन करता हूं कि सरकार को गौनलगाह–गोकलगंज लाइन को पाकिस्तान से लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यह आसाम की बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। यद्यपि यह छोटी है और इस के दो ही स्टेशन हैं तथापि यदि इसे ले लिया जाय तो आसाम की संचार सम्बन्धी सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं।

बरसोई से राधिकापुर तक जो बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, यह ३० मील लम्बी ह। इसे शीघ्र ही बदल देना चाहिए क्योंकि केवल यही एक ऐसी लाइन है जो हमें पाकिस्तान से मिलाती है। इसी प्रकार का प्रश्न खजूरियाघाट-सिलीगुडी लाइन की है। यहां पर पैसेंजर सेवा लागू की जानी चाहिए। यहां पर यदि कहीं सम्भव हो तो बड़ी लाइन का विस्तार कर देना चाहिए।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने गोआ रेलवे के लिए जाने और बड़ी लाइन को आसाम तक बढ़ा देने का समर्थन किया है। एक केवल श्री दी० चं० शर्मा ने विपरीत टिप्पण लिखा है। इस के द्वारा लगभग ५० मील लम्बी गोआ लाइन दक्षिण जोन द्वारा अपने हाथ में ले ली जानी है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि यह दक्षिण जोन में ही रहेगी। कुछ माननीय सदस्यों ने इस के लिए पृथक जोन बनाने का सुझाव दिया था, परन्तु यह सम्भव नहीं है।

१९५६ में गोआ प्रशासन जो कि पुर्तगाल के हाथ में था और भारत के बीच कुछ खिचाव आ गया था। तब तक इस रेलवे का नियंत्रण एक अंग्रेजी समवाय के पास था। उसका नाम वैस्टर्न इंडिया पुर्तगाल रेलवे कम्पनी लिमिटेड था। इसका वास्तविक प्रशासन दक्षिण रेलवे के हाथ में ही रहा है। अब कुल्लम से वास्को-डि-गामा तक की लाइन दक्षिण रेलवे में मिला दी जायेगी और वास्कोडिगामा से परमागाओं तक की लाइन पर पत्तन प्राधिकार का नियंत्रण रहेगा। शायद कोई नौवहन केन्द्र की भी स्थापना करनी पड़े। इस दिशा में कई प्रकार की समस्यायें हैं और अभी तक बिल्कुल स्पष्ट चित्र हमारे समक्ष नहीं है, परन्तु हमने अभी हाल इसे दक्षिण रेलवे के साथ मिलाने का काम पूरा कर दिया है।

सिलीगुडी–हल्दीबाड़ी लाइन के संबंध में प्रो० शर्मा पूछते थे कि इसे बड़ी लाइन क्यों बनाया जा रहा है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यह लाइन मूल रूप में बड़ी लाइन ही थी और विभाजन के बाद कुछ विशेष कारणों से इसे छोटी लाइन बना दिया था। अब इसको पुनः बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। इस पर लगभग १/२ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है। और यह ३० मील लम्बी होगी। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि मैं इस बारे में पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। इस बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। यह भी अभी कहना कठिन है कि यह लाइन कहाँ समाप्त होगी। यह रानी नगर से आरम्भ होगी। लाइन की समाप्ति का स्थान अन्तिम सर्वेक्षण पर निर्भर है।

पाकिस्तान से लाइन लेना मंत्रालय के प्राधिकार से परे है। इस बात के बारे में बातचीत करना वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है ? मुआवजा देने के बारे में रेलवे सुस्ती से काम नहीं कर रही है। श्री त्रिवेदी का यह आरोप भी गलत है कि रेलवे प्रशासन जागरूक नहीं है। बड़ी लाइन पर कलकत्ता से खजूरियाघाट तक सीधी गाड़ी चलाने के लिये फरक्का पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है। कोयले के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त शुल्क की व्यवस्था रेलवे आय व्ययक में नहीं की जा सकी। उस समय तक इस मामले को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था। यह जो भी मूल्य वृद्धि हुई है, यह आय व्ययक पारित हो जाने के बाद हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक लेखा समिति के आदेशानुसार सब मदों पर व्यय होने वाली अनुपूरक माँगें हम संसद के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे विचार में इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। माननीय सदस्यों को इसका स्वागत करना चाहिये।

†**श्री अ० च० गुह** : सामरिक महत्व की बनायी जाने वाली रेलों के व्यय का कुछ अंश प्रतिरक्षा विभाग को उठाना चाहिये।

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस पर भी विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६३–६४ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

माँग संख्या	शीर्षक	अनुपूरक माँग की राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	१०,००,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन . . .	१,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) . .	२,३३,३०,०००
१४	नई लाइनों का निर्माण	२०,००,०००

विनियोग रेलवे संख्या ४ विधेयक, १९६३

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से और कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन के प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में और कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं सरदार स्वर्ण सिंह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंडवार चर्चा होगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १, २, ३ अनुसूची विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, २ और ३, अनुसूची विधेयक का नाम, अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) विधेयक, १९६३

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द किया गया था और अब प्रतवेदन सदन के समक्ष है । समिति ने विधेयक में कुछ संशोधन कर दिये हैं । मुख्य संशोधन खंड ४ के उपखंड (ख) में किया गया है । उसका संबंध उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु से है । व्यवस्था की गयी है ।

"कि इसके बारे में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके निर्णय करेंगे और इस बारे में राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा ।"

श्री कामत ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि यदि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से निर्णय होगा तो इस संशोधन में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस मामले में राष्ट्रपति ने हमेशा ही मुख्य न्यायाधीश की सलाह को स्वीकार किया है । मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि विधेयक में इस संरक्षण की व्यवस्था हो जाने से यह निश्चित हो जायेगा कि इस संबंध में भविष्य में कोई विवाद खडा नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण संशोधन है वह खंड ५ में है। इसका संबंध एक जगह से दूसरी जगह तबदील होने वाले न्यायाधीशों के भत्ते से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह है कि उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानान्तरित होने वाले न्यायाधीश स्वीकृत भत्ता, उन न्यायाधीशों को भी उपलब्ध हो जाय जो कि इस संशोधन हो जाने से पूर्व तबदील हो गये थे। खंड ८ में संशोधन किया गया है और व्यवस्था की गयी है कि उच्च न्यायालय को जिसके क्षेत्राधिकार में वाद का विषय अथवा उस संबंधी कोई भाग उत्पन्न हुआ है, उसे आवश्यक प्रलेखों के जारी करने का क्षेत्राधिकार रहे। हमने इसमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा १०, १२ और २० के शब्द लिये हैं।

सरकार के सुझाव पर जो सब से अधिक महत्वपूर्ण संशोधन संयुक्त समिति ने किया है वह खंड १० में है। यह सारभूत संशोधन है। इसके द्वारा पद में कमी संबंधी सभी मामलों को संविधान के अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत लाया गया है। बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद सरकार का विचार था कि क्योंकि वह सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिनिधान करने के अधिकार को छीनना नहीं चाहती। सरकार किसी भी कर्मचारी को पूरा अवसर देना चाहती है ताकि वह उसके विरूद्ध होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये वह सफाई दे सके। बिना पूरी जाँच किये बिना उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जायेगा। मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार का विचार नियम २५ को बदलने का नहीं है। सरकार सुनवाई का पूरा अवसर देना चाहती है। ऐसा करते समय दंड के बारे में प्रतिनिधान के प्रश्न को नियमों द्वारा विनियमन के लिये रखा जायेगा। इस बारे में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसमें और भी संशोधन करने को तैयार है परन्तु उसमें शर्त यह है कि यह निरन्तर स्पष्ट है कि दंड के बारे में प्रतिनिधान का अधिकार को बनाये रखा जाय। एक यह भी बात है कि उसमें कार्यवाही के दोहरेपन तथा नयी साक्षी के लाने पर दबाव न डाला जाय। पहिले पदच्युत अथवा पद अवनति न कर उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जानी चाहिये। इसमें सजा कम होगी। यदि कोई ऐसा संशोधन होता तो हम इस पर विचार करने को तैयार थे।

न्यायाधीशों के आयु के बारे में संयुक्त समिति ने निर्णय किया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु ६२ वर्ष कर दिया जाये। सुझाव है कि यह आयु वद्धि उन लोगों पर लागू हो जो कि इस विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपे जाने के पूर्व सेवा निवृत हो रहे थे। परन्तु श्री कामत को यह बात पसन्द नहीं है।

माननीय सदस्य देखें कि श्री त्यागी ने एक संशोधन दिया है। वे यह भी ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति इस बात पर निर्भर होगी कि विधेयक कब अधिनियम बनेगा। यदि हम मामले में शीघ्रता लायें, तो कुछ रह जायेंगे। यदि हम ऐसा न करें, या राज्य इस पर शीघ्रता से विचार न करे, तो बहुत से न्यायाधीश नहीं रह सकेंगे और उन्हें यह लाभ नहीं प्राप्त होगा। ऐसे न्यायाधीश बहुत से हैं, जिनकी योग्यता और अनुभव को देखते हुये हम उन्हें रखना चाहेंगे, क्योंकि आयु के साथ साथ उन की योग्यता और निर्णय शक्ति भी बढ़ती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो इसे ६२ तक क्यों रखा गया है। इसे जीवन भर का बनाना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : यह एक भिन्न मामला है। जब हमने एक बार इसे ६२ तक बढ़ाने का निर्णय कर लिया है, तो इस का लाभ उन न्यायाधीशों को क्यों न दिया जाय, तो इस के अन्तर्गत आ सकते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कू० सेन]

एक अच्छी विधि का मुख्य पहलू यह है कि इस का लागू होना निश्चित होना चाहिये। इस लिये मुझे श्री त्यागी का संशोधन, जो कि उस तिथि के बारे में है, जब से यह अधिनियम लागू होना है, स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। हम अब भी इस पर विचार कर सकते हैं और सहमति से निर्णय कर सकते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यद्यपि संयुक्त समिति ने इसे बहुमत से अस्वीकार कर दिया है।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि संयुक्त समिति का निर्णय अन्तिम होता, तो हम उसकी सिफारिशों पर विचार न करते। संयुक्त समिति का अत्यधिक सम्मान करते हुए भी, मैं कहूंगा कि उसकी राय संसद् के अधीन है।

अन्य उपबंधों के बारे में कोई बड़ा विवाद नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, उस पर राय जानने के लिये ३१ जुलाई, १९६३ तक परिचालित किया जाये (१)।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि विधेयक को, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, उस पर राय जानने के लिये अगले सत्र के पहले दिन तक परिचालित किया जाये (९)

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का विरोध करना मेरे लिये बहुत अरूचिकर है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयकों के संबंध में इस प्रकार का संशोधन देना साधारण नहीं है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

परिचालन का प्रस्ताव करना इस लिये आवश्यक हो गया है कि संयुक्त समिति के ४५ सदस्यों में से २० ने विमति टिप्पण दिये हैं। इस के अतिरिक्त बहुत सी विधि संबंधी संस्थाओं और वैधिक मंडलों ने इस विधेयक के उपबंधों के विरूद्ध संकल्प पारित किये हैं। अनुच्छेद ३११ के संबंध में कर्मचारी संघों और केन्द्रीय कार्मिक संघों ने जो रायें प्रकट की थीं, उन की भी उपेक्षा की गई है। बहुत से न्यायाधीशों ने भी विधेयक के उपबंधों के विरुद्ध राय प्रकट की है, किन्तु इस की भी उपेक्षा की गई है।

इस के अतिरिक्त संयुक्त समिति ने कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों को बिलकुल बदल दिया है और ऐसे सिद्धांत रख दिये हैं, जो मूल विधेयक के पुरःस्थापन के समय नहीं थे। माननीय मंत्री ने कुछ संशोधन भी दिये हैं। कुछ संशोधन संयुक्त समिति में भी प्रस्तुत किये गये थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु निश्चित करने के लिये अब संसद को विधि द्वारा उपबन्ध करने का अधिकार दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि इसे अनिश्चित भविष्य पर छोड़ दिया गया है। इस संबंध में माननीय मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित करने के मामले में संविधान के उपबन्धों में एकरूपता होनी चाहिये। जहां तक संयुक्त समिति द्वारा किये गये परिवर्तन का संबंध है, उसमें कहा गया है कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह के बाद किया जाये। उस से राष्ट्रपति के अर्थात् सरकार की शक्तियों में

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई परिवर्तन नहीं करता। इस संबंध में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों ने भी अपनी राय प्रकट की है, जिस का आशय यह है कि उच्चतम न्यायालय या उच्चन्यायालय के किसी न्यायाधीश की पदावधि को भारत सरकार के एक सचिव की राय पर निर्भर करना बहुत शोचनीय होगा। संविधान का तत्संबंधी वर्तमान उपबन्ध अनुच्छेद २१७ में दिया गया है। इस से स्पष्ट होता है कि इस के अन्तर्गत राष्ट्रपति को नियुक्ति को छोड़ कर कोई अधिकार नहीं, जहां तक के उसकी पदावधि का संबंध है। उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है और उसे केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।

यह सिद्धांत बहुत पुराना है न्यायाधीश की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये दो सिद्धांत माने गये हैं। पहला यह कि न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें उसकी पदावधि के दौरान में न बदली जाये और दूसरा यह कि पदावधि निश्चित होनी चाहिये। इस विषय पर ब्रिटेन के प्रख्यात वकील राबसन ने लिखा है और अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी अपनी पुस्तक में भारतीय न्यायाधीश की स्वतंत्रता की सराहना की है। संयुक्त समिति ने यह उपबंध किया है कि उच्च न्यायालय की आयु का प्रश्न राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से निश्चित करेंगे और राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम होगा। राष्ट्रपति के लिये मुख्य न्यायाधीश की राय मानना अनिवार्य नहीं होगा। मैं समझता हूं कि उनको प्रशासनकि निर्णय से संबद्ध करना बहुत आपत्तिजनक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल जारी रखें।

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम राष्ट्रीय आर्थिक विकास के हित में अनिवार्य जमा और तत्संबंधी योजना बनाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर आगे खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। महान्यायवादी अब यहां उपस्थित हैं, वे सदन को संबोधित करेंगे।

†**महान्यायवादी (श्री सा० के० दफ्तरी)** : इस विधेयक के संबंध में मुझ से दो प्रश्न पूछे गये थे। पहला यह कि क्या संसद को इस विधेयक को अधिनियम में परिवर्तित करने के लिये विधायिनी प्राधिकार है। दूसरा यह था कि यदि अधिनियम पारित कर दिया जाये, तो क्या यह संविधान के मूल अधिकार अध्याय के विरूद्ध तो नहीं जायेगा।

जहां तक क्षमता का संबंध है, मैंने यह विचार प्रकट किया है कि यह सूची ३ अर्थात् समवर्ती सूची की पदसंख्या २० के अन्तर्गत आयेगा। वह मद है। "आर्थिक और सामाजिक आयोजन"। इस बात पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि इस विधेयक के उपबन्धों में २० से गहरा संबंध है। राज्यों की सूची में ऐसा कोई मद नहीं है, जिसके अन्तर्गत यह आ सकता है।

अब हम उस अवशिष्ट शक्ति को लेते हैं, जो कि संगत अनुच्छेद और सूची १ की मद ९७ के अन्तर्गत संसद में निहित है। इस मद और तत्स्थानी अनुच्छेद दोनों के अन्तर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मामले पर विधान बनाये जो सूची १ या सूची ३ में सम्मिलित नहीं है।

मूल अधिकारों के संबंध में, दो अनुच्छेदों का अध्ययन किया जाना है। पहला अनुच्छेद ३१ है। मेरी राय में इस के दूसरे भाग से, जो कि अर्जन और अधिग्रहण के बारे में है, इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धन का अर्जन या अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। अर्जन या अधिग्रहण केवल सम्पत्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सा० के० दफ्तरी]

का हो सकता है, जिसका कि धन के रुप में प्रतिकर दिया जा सके। धन के बदले में धन का प्रतिकर नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता कि आप एक व्यक्ति से १०० रूपये लें और उसे दो रूपये प्रति कर दे दें। इस लिये यह ठीक कहा गया है कि धन सर्वोपरि अधिकार का उचित विषय नहीं है। इस लिए मैंने यह राय दी है कि अनुच्छेद ३१ का दूसरा भाग इस पर लागू नहीं होता।

अनुच्छेद ३१(१) सम्पत्ति से वंचित करने के बारे में है और उसमें लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से, सिवाय विधि के प्राधिकार से, वंचित नहीं किया जा सकता। यदि यह माना जाये कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर खंड २ में उल्लिखित विभिन्न लोगों से एक निश्चित सीमा तक धन लेगा तो वैसा करना सम्पत्ति का वंचन होगा, जो अनुच्छेद ३१ (१) के अनुसार है। अब यह अनुच्छेद १९(१) (च) के साथ पढ़ते हुए विवाद में पड़ सकता है, जिसमें यह लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार है। परन्तु इसको उचित ठहराया जा सकता है यदि यह अनुच्छेद १९(५) में आये और यह प्रकट किया जा सके कि इस प्रकार के धारण पर प्रतिबंध उचित है और लोकहित में है। मेरी राय में विधेयक के उपबंध उचित है, और लोकहित में है। किन्तु यह व्यावहारिक राजनीति का मामला है और जब माननीय सदस्य विभिन्न खंडों का अध्ययन करेंगे, तो त्रुटियां नजर आ जायेंगी। विधेयक के अन्तर्गत जो योजना बनेगी वह सदन के सामने रखी जायेगी। और सदन उस में संशोधन कर सकता है।

अर्थव्यवस्था या राजनीति के क्षेत्र में न जाते हुए, किन्तु वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, किसी रूप में अनिवार्य जमा राष्ट्रीय हित में है इस स्थिति को देखते हुए मैं इस विषय पर पहुंचा हूं, जो कि मैं ठीक समझता हूं कि विधेयक न केवल सूक्ष्म है बल्कि संवैधानिक भी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टीकरण के हेतु मैं माननीय सदस्यों को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। ये एक दो से अधिक नहीं होने चाहियें।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : मैं महान्यायवादी का ध्यान बम्बई डाइंग एंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के मामले की ओर दिलाता हूं जो कि पृष्ठ दो के मध्य में है।

बम्बई डाइंग और मेनुफेक्चरिंग कम्पनी के मामले में १९५८ में उच्चत्तम न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वह इस बात पर आधारित था कि अनुच्छेद १९ के प्रयोजनों के लिये धन भी एक सम्पत्ति ही है; किन्तु साथ ही उनकी यह भी धारणा थी कि यह अनुच्छेद ३१(२) का विषय नहीं है। वास्तव में वह उस समय वादप्राप्य वस्तु पर निर्णय दे रहे थे और वह प्रत्यक्ष रूप से विस्तृत प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे थे।"

यह अभिकथन दो धारणाओं पर आधारित है; एक तो यह कि वादप्राप्य वस्तु पर ही विचार किया गया था और दूसरा यह कि अनुच्छेद १९ के अर्थों में धन भी एक सम्पत्ति ही है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उनसे तर्क नहीं कर सकते न ही उनके मत को गलत बता सकते हैं। हम केवल उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकते हैं।

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं भी वस्तुतः यही कर रहा हूं। यह मामला धन से संबंधित था। राज्य ने समवाय से दो प्रकार का धन जमा करने के लिए कहा था : कर्मचारियों से वसूल किया गया जुर्माना और मजूरी का बकाया जिस का भुगतान कर्मचारियों ने नहीं लिया था। मैं महान्यायवादी

---

†मूल अंग्रेजी में

का ध्यान निर्णय के मुख्य भाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या उन्होंने उस निर्णय की बातों को ध्यान में रखा है? और क्या अब वह उसे निर्णय को देखते हुये अपना मत बदल कर सरकार से विधेयक को वापिस लेने के बारे में कहेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा ?

†**महान्यायवादी** : मैं यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। मैंने एक राय कायम की है। हो सकता है कि माननीय सदस्य की राय ठीक हो और मेरी गलत हो। हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय दोनों की बातों को गलत बता कर एक तीसरा ही मत अभिव्यक्त करे। किन्तु मैं यह कहूंगा कि उनकी बात सुनने के बाद भी मेरी वही राय है जो पहले थी।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : महान्यायवादी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धन प्रभुताधिकार के सिद्धांत के अन्तर्गत नहीं आता। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने १९५३ के एस० सी० ए० ६३ और १५४ के ए० सी० ए० १३२ के मामले में यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद ३१ (१) और ३१(२) दोनों प्रभुताधिकार के संबंध में ही है। फिर यदि महान्यायवादी यह कह कर कि यह मामला ३१(२) के अन्तर्गत नहीं आता और ३१ (१) का संबंध इससे जोड़ते हैं तो यह उच्चतम न्यायलाय के अभिमत से कहां तक संगत है ?

†**महान्यायवादी** : बाद को इस निर्णय में परिवर्तन हो गया था। यदि माननीय सदस्य मेरी लिखित राय को देखें तो उन्हें यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): क्या अनुच्छेद ३१(१) और ३१(२) एक दूसरे से पृथक किये जा सकते हैं और क्या अनुच्छेद ३१(२) से असंबंधित सम्पत्ति से भी किसी को वंचित किया जा सकता है ?

†**महान्यायवादी** : जहां तक पहली बात का संबंध है जैसा कि मैंने अभी कहा था, उच्चतम न्यायालय ने कुछ प्रयोजनों के लिये ऐसा किया है। और जहां तक दूसरी बात का संबंध है अनुच्छेद ३१(२) में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त भी यदि कोई धन का, शराब इत्यादि में, दुरुपयोग करता है तो उसे उससे वंचित किया जा सकता है।

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : इस विधेयक में लगान का उल्लेख है। किसानों से लिये जाने वाले लगान के आधार पर, विधेयक द्वारा इन किसानों पर जो ५ रु० प्रति वर्ष से अधिक लगान देते हैं, ५० प्रतिशत अनिवार्य बचत लागू की गई है। मेरा विचार है कि इस प्रकार वंचित किया जाना सामान्य करारोपण से कुछ अधिक भिन्न है। चूंकि लगान राज्य सूची के अन्तर्गत आता है इसलिये यह भी वहीं आता है। इस प्रकार यह राज्य सूची पर अनधिकार हस्तक्षेप है।

†**महान्यायवादी** : इस विषय को विधान की मूल वस्तु को ध्यान में रख कर देखना चाहिये। इसकी मूल वस्तु अनिवार्य बचत और उसका जमा किया जाना है। इसलिए यह राज्य सूची के अन्तर्गत नहीं आता।

इस विधेयक में लगान का दो प्रयोजनों के लिये उल्लेख हुआ है। एक तो उस व्यक्ति को बताने के लिये जो जमा करेगा। यह केवल उस व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये है। अनिवार्य जमा के संबंध में यह बताया गया है कि उसकी दर उपखंड (२) में उल्लिखित दर से अधिक नहीं होगी और वह उल्लिखित दर लगान का ५० प्रतिशत है। यह लगान का उगाहना नहीं है, केवल उस अधिकतम सीमा को बताना है जिस तक अनिवार्य जमा की जा सकेगी।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री धवन** (लखनऊ) : क्या सम्पत्ति पर अधिकार करना अनुच्छेद ३१(२) के अर्थों में सम्पत्ति का अर्जन करना नहीं होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : विधेयक के खंड ९ में जमा के बकाया के बराबर दंड देने का उपबंध है ; यह बिना प्रतिकर के स्पष्ट रूप से जब्त करना है । दंड के रूप में देय से अधिक का भुगतान कर संबंधी विधियों के अतिरिक्त और किसी विधि के अधीन नहीं आते । नियंत्रण के अधीन रखी जाने वाली सम्पत्ति से अधिक दण्ड अथवा किसी अन्य रूप में मांग का विधान किसी भी विधि में नहीं है । ऐसे नियमों के अधीन नियंत्रण किसी विशेष सम्पत्ति पर लागू होता है और उसी तक सीमित रहता है, उसके स्वामी अथवा उसकी किसी अन्य सम्पत्ति पर नहीं ।

खंड १० में यह उपबंध है कि बकाया राशि की वसूली लगान के बकाया के समान ही की जायेगी । उत्तर प्रदेश की विधि के अनुसार लगान का बकाया निम्नलिखित विधियों से वसूल किया जाता है : गिरफ्तारी और निरोध, चल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री, जोत की बिक्री, उसकी अचल सम्पत्ति पर ब्याज, कलक्टर के प्रबंध में रखते हुये गांव की कुर्की ।

अब संविधान के अनुच्छेद १९ के अनुसार किसी सम्पत्ति के प्रयोग पर नियंत्रण लगाया जा सकता है । उससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता और आप अनुच्छेद ३१ के अधीन सम्पत्ति का अर्जन कर सकते हैं । किन्तु मान लीजिये आपको वह सम्पत्ति नहीं मिलती तो क्या आप दूसरी सम्पत्ति कुर्क कर सकते हैं अथवा उसको बेच सकते हैं ?

†**महान्यायवादी** : दंड का उपबंध किया जा सकता है । इस दंड का स्वरूप फौजदारी और दीवानी दोनों हो सकता है । किन्तु यहां केवल दीवानी दंड की ही व्यवस्था है । इस दंड का स्वरूप अर्जन अथवा अधिग्रहण करने का नहीं है; केवल एक अतिरिक्त राशि लगान के बकाया के समान ही वसूल की जायेगी । किसी विशेष सम्पत्ति के विरुद्ध यह कायवाही नहीं की जायगी । यह सामान्य उपबंध है और वसूल करने का तरीका विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है । और ऐसा उपबंध केवल कर संबंधी उपायों में ही नहीं दूसरे उपायों में भी है ।

†**श्री दाजी**: सम्पत्ति पर अधिकार करने के दो ही तरीके हैं : एक तो प्रभुताधिकार का सिद्धांत है और दूसरा पुलिस शक्ति का सिद्धांत । महान्यायवादी ने यह स्वीकार किया है कि यह पहले सिद्धांत के अन्तगत नहीं आता । और मैं समझता हूं कि इसका दण्डिक स्वरूप नहीं होने से यह दूसरे सिद्धांत के अन्तर्गत भी नहीं आता । फिर इस संबंध में तीसरा कौन सा सिद्धांत लागू होगा ?

†**महान्यायवादी** : यह विभाजन न सर्वथा पृथक है न व्यापक ।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : क्या अनुच्छेद ३१ क, खंड (१) (ख) भी इस संबंध में लागू होते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने भाषण में इस का उल्लेख कर सकते हैं । श्री त्यागी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वित्त मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं कि यह विधेयक कर से संबंधित नहीं है । यह अर्जन और अधिग्रहण भी नहीं है । फिर इस विधेयक को कौन सा नाम दिया जाये ? क्या इसे संपत्ति से वंचित करने वाला विधेयक कहा जाये ? किन्तु किसी को उसी सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है जिसका समाज विरोधी ढंग से दुरुपयोग किया

---

†मूल अंग्रेजी में

जा रहा हो। क्या हम ऐसे नागरिक को भी संपत्ति से वंचित कर सकते हैं जो अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रहा हो? ब्रिटेन में भी युद्ध के दिनों में ऐसा किया गया था। किन्तु यह कर के रूप में था। किन्तु यह उनके कथानुसार कर के स्वरूप का नहीं है और संपत्ति से वंचित करने का औचित्य नहीं है। फिर उन का क्या मत है?

†**महान्यायवादी** : मैंने अपना मत पहले ही व्यक्त कर दिया है कि यह संपत्ति से वंचित करने के अन्तर्गत आता है। चाहे वह इसे अच्छा समझे या बुरा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : आपातकाल के अधीन अनुच्छेद १९ को निलम्बित कर दिया गया है। उनके द्वारा अनुच्छेद १९ के प्रति किये गये सारे उल्लेख असंगत हैं और उस अनुच्छेद पर आधारित अनिवार्य जमा योजना विधेयक का औचित्य अमान्य है।

†**महान्यायवादी** : मैंने इस विधेयक पर बिना आपातकाल के निर्देश के ही विचार किया है। आपातकाल कभी भी समाप्त किया जा सकता है संभवतः वित्त मंत्री ने भी वाद-विवाद के दौरान यह कहा था कि विधेयक आपातकाल के संबंध में नहीं है। माननीय सदस्य इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जो कुछ मैंने कहा तथा जो कुछ उस का प्रभाव है वह दोनों आपातकाल के लिये मान्य न समझे जायें।

इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३ / १० वैशाख, १८८५ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २९ अप्रैल, १९६३

---

९ वैशाख, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नो के मौखिक उत्तर		५४२३—४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०६७	कोयला खान मजदूरों का कल्याण . .	५४२३—२५
१०६८	आकाशवाणी पर हिन्दी का प्रयोग . . .	५४२५—२७
१०६९	टोकियो में आयोजित अणु वैज्ञानिक सम्मेलन . .	५४२८—२९
१०७०	गांधी साहित्य	५४२९—३१
१०७१	जवानों के लिये ज्यादा प्रोटीन वाला भोजन .	५४३१—३२
१०७२	आसाम में सैनिक स्कूल	५४३२—३४
१०७४	कुओमिन्तांग सरकार के साथ राजनयिक सम्बन्ध . .	५४३४—३५
१०७५	लाओस की स्थिति . .	५४३५—३७
१०७६	योजना आयोग का पुनर्गठन . .	५४३८—३९
१०७७	एमरजेंसी कमीशन .	५४३९—४१
१०७८	नेफा के लिये शिक्षा कार्यक्रम . .	५४४१—४३
१०७८-क	१९६२ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आम चुनाव . .	५४४३—४४
१०७९	छावनी अधिनियम	५४४४
१०८०	भारतीय नौसेना को शक्तिशाली बनाना . . .	५४४५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
९	जामनगर के निकट विमान दुर्घटना . .	५४४६
प्रश्नो के लिखित उत्तर		५४४६—७२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०७३	अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चलचित्र . . .	५४४६
१०८१	आकाशवाणी पर छोटा राष्ट्रीय गान .	५४४७

विषय पृष्ठ

प्रश्नो के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

१०८२	मद्यनिषेध	५४४७
१०८३	नये आयुध कारखाने	५४४८
१०८४	चीनियों द्वारा युद्धबन्दियों की मुक्ति	५४४८-४६
१०८६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	५४४६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४१४	वर्धा में प्रतिरक्षा कारखाने	५४४६-५०
२४१५	नेफा में विमान दुर्घटना	५४५०
२४१६	ब्रिटेन के लिए पासपोर्ट	५४५०
२४१७	उड़ीसा में जयपुर, में ट्रांसमीटर	५४५१
२४१८	उड़ीसा में पंजीकृत तकनीकी व्यक्ति	५४५१
२४२०	महाराष्ट्र में रेडियो सेटों का वितरण	५४५१
२४२१	स्थानीय विकास निर्माण कार्य	५४५२
२४२२	महाराष्ट्र के पंजीबद्ध व्यक्ति	५४५२
२४२३	भारतीय वायुसेना के विमान चालक	५४५२-५३
२४२४	एमरजेंसी कमीशन के अफसर	५४५३
२४२५	योजना परियोजना	५४५३
२४२६	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा डकैतियां	५४५४
२४२७	नाल हवाई अड्डा	५४५४
२४२८	श्री अली साबरी की भारत यात्रा	५४५४
२४२६	केरल से हज के तीर्थ यात्री	५४५५
२४३०	पाकिस्तानिनों द्वारा त्रिपुरा में अनधिकृत प्रवेश	५४५५
२४३१	जवानों के लिए उपहार	५४५५-५६
२४३२	बोमडीला में अस्पताल	५४५६
२४३३	तीसरी योजना की प्रगति	५४५६
२४३४	राजस्थान की सशस्त्र पुलिस के गुमशुदा अफसर	५४५६-५७
२४३५	आकाशवाणी से हिन्दी समाचार बुलेटिन	५४५७
२४३६	प्रैस परामर्शदात्री समिति	५४५७-५६
२४३७	जवानों के लिये पुस्तकें	५४५६

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२४३८	फिजियोलाजी संस्था	५४६०
२४३९	बन्दियों के लिए आकाशवाणी कार्यक्रम	५४६०
२४४०	गोआ की मुक्ति के लिए कोष	५४६०–६१
२४४१	पाकिस्तान जाने के लिए पारपत्र	५४६१
२४४२	अमेरिका में प्रकाशित 'इंडिया न्यूज'	५४६१
२४४३	चीनी आक्रमण के विरुद्ध प्रचार पर व्यय	५४६२
२४४४	उड़ीसा से भर्ती	५४६२
२४४५	योजना कोष का व्यपवर्तन	५४६२
२४४६	जम्मू तथा काश्मीर में समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आवण्टन	५४६३
२४४७	एमरजेंसी कमीशन के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा इस्तीफे	५४६३
२४४८	पंजाब में पासपोर्टों की जाल साजी का मामला	५४६३–६४
२४४९	अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग	५४६४
२४५०	गोआ में बीहड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना	५४६४–६५
२४५१	भारतीय सेना में चीनी लोग	५४६५
२४५२	दिल्ली में कारखाने	५४६५–६६
२४५३	नागालैंड प्रशासन के लिये वित्तीय शक्तियां	५४६६
२४५४	औद्योगिक समझौता संकल्प	५४६६
२४५६	आयुक्त डिपो शकूर बस्ती	५४६६–६७
२४५८	मिस्र में आबू सिम्बल मन्दिर	५४६७
२४५९	केरल में आणविक बिजली घर	५४६७
२४६०	दिल्ली में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये निवास स्थान	५४६८
२४६१	समाचारपत्रों के पृष्ठानुसार मूल्य	५४६८
२४६२	दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल	५४६८–६९
२४६३	दिल्ली छावनी में बिजली की कमी	५४६९
२४६४	एम० ई० एस० दिल्ली छावनी	५४६९–७०
२४६५	दिल्ली छावनी बोर्ड की वर्क्स कमेटी	५४७०
२४६६	छावनी नियमों का अनुवाद	५४७०–७१
२४६७	दिल्ली छावनी में छावनी फंड क्वार्टर	५४७१
२४६८	दिल्ली छावनी में भूमिगत नालियां	५४७१

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२४६९ दिल्ली छावनी का असैनिक क्षेत्र . . . ५४७२

२४७० व्यापारी फर्मों में सैनिक पदाधिकारी . . ५४७२–७३
२४७१ गोआ में आयात लाइसेंसों के लिये जांच समिति . . ५४७३
२४७२ वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी समन्वय समिति . . ५४७३
२४७३ अम्बाला छावनी में आग . . . ५४७४
२४७४ बाल फिल्म संस्था के लेखे . . . ५४७४
२४७५ बाल फिल्म संस्था . . . ५४७४–७५
२४७६ सिक्किम में दुर्भिक्ष ५४७५
२४७७ छावनी नगर नसीराबाद . . . ५४७५–७६
२४७८ एम० ई० एस०, बैरकपुर . . . ५४७६–७७
२४७९ डाक्टरों को सेना में कमीशन . . . ५४७७
२४८० सेना मुख्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क . . . ५४७७–७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५४७८—८०

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने दिल्ली में पानी की अत्यधिक कमी और जल-प्रदाय का समय कम करने के निर्णय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५४८१–८२

(१) वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे की एक प्रति।

(२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक के बारे में महान्यायवादी के मत की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित विवरण, जिनमें प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के वे उत्तर दिये गये हैं, जो सम्बन्धित प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के लिए सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे।

(एक) प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक-सौ-सत्रहव प्रतिवेदन के अध्याय ५ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण

(दो) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण;

विषय पृष्ठ

(तीन) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ;

(चार) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) सत्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ;

(पांच) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के सत्ताईसवें प्रतिवेदन के अध्याय ४ में दर्ज सिफारिशों के उत्तर बताने वाला विवरण ।

(४) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के कार्यवाही सारांश और इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय—हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल—सम्बन्धी पैंतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति ।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४८३

सचिव ने वर्तमान अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और २२ अप्रैल, १९६३ को सभा में दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३ को सभा पटल पर रखा ।

लोक सेवा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ५४८३

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ५४८३–८४

विधि मंत्री ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री की ओर से डालमिया जैन ग्रुप की कई कंपनियों के मामले की छान बीन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये जाँच आयोग के प्रतिवेदन के कुछ पहलुओं के बारे में श्री० सी० के० दफतरी महान्यायवादी, और श्री० ए० वी० विश्वनाथ शास्त्री, मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवा- निवृत्त न्यायाधीश, के प्रतिवेदन के संबंध में एक वक्तव्य दिया और प्रतिवेदन के भाग २ को सभा पटल पर भी रखा, जिसमें समवाय अधिनियम के संशोधन और प्रशासन पर विचार किया गया है ।

विधेयक पुरस्थापित ५५०३

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६३

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३ ५५०९–१०

विधेयक पारित . . . . . ५४८४—८८

(१) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि बंगाल (बिक्री कर) दिल्ली संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

(२) रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

(३) रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३ पर भी विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९६०–६१ . . . ५४८८—५५०२

वर्ष १९६०–६१ के रेलवे आय-व्ययक सामान्य के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई। माँगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०–६१ . . .

वर्ष १९६०–६१ के रेलवे आय-व्ययक के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की माँगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई। माँगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३–६४ . . . ५५०४—०९

वर्ष १९६३–६४ के लिये रेलवे के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक माँगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई। माँग पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

विधेयक विचाराधीन . . . . . ४५१०—१७

(१) विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) विधेयकक पर राज्य सभा द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये। विधेयक को, उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किये जाने के संबंध में दो संशोधन प्रस्तुत किये गये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(२) अनिवार्य जमा योजना विधेयक पर खंडवार चर्चा जारी रही। महान्यायवादी (श्री सी० के० दफ्तरी) ने भी वाद-विवाद में भाग लिया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९६३ / १० वैशाख, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

अनिवार्य जमा योजना विधेयक तथा संविधान (पन्द्रहवाँ संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा तथा इनका पारित किया जाना ; विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६३ पर भी चर्चा तथा इसका पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—582 (Ai) LSD—18-6-63—160.

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), १९६०-६१ ५४८८—९७

श्री वारियर . ५४८९

श्री स० मो० बनर्जी ५४८९-९०

श्री यशपाल सिंह ५४९०-९१

श्री व० बा० गांधी ५४९१

श्री सरजू पाण्डेय ५४९१-९२

श्री बड़े . ५४९२-९४

श्री ब० रा० भगत . ५४९४-९७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६०-६१ ५४९७—५५०२

श्री सें० वें० रामस्वामी ५४९७-९८

श्री वारियर . ५४९८

श्री हिम्मत सिंहका . . . ५४९८

श्री सरजू पाण्डेय . ५४९८-९९

श्री सुब्बरामन . . ५४९९

श्री प्रिय गुप्त . . . ५४९९

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा . . ५४९९-५५००

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी . . ५५००

श्री ओंकार लाल बेरवा ५५००-०२

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक, १९६३—पुरस्थापित तथा पारित ५५०३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३-६४ ५५०४-०९

श्री सें० वें० रामस्वामी . . ५५०४

श्री दी० चं० शर्मा . ५५०४-०५

डा० रानेन सेन ५५०५

श्री अ० चं० गुह ५५०५

श्री प्रिय गुप्त . . . ५५०६

श्री व० बा० गांधी . . ५५०६

श्री उ० मू० त्रिवेदी . . ५५०६-०७

श्री च० का० भट्टाचार्य ५५०८-०९

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६३—पुरस्थापित तथा पारित . ५५०९-१०

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . ५५१०-१३

श्री अ० कु० सेन . . ५५१०-१२

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी . ५५१२-१३

अनिवार्य जमा योजना विधेयक

खंड ४ . . ५५१३-१७

महान्याय वादी (श्री सो० के० दफ्तरी) . ५५१३-१७

दैनिक संक्षेपिका ५५१८-२३

P.L.S. 41 XVIII. 54. 6?.
160

© १६६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।